लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं / Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 71(6)
DATE. 21.3.23

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[Tbis is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची CONTENTS

अंक 27, बुधवार, 20 दिसम्बर, 1972/29 अग्रहायण 1894 (शक)

No. 27, Wednesday, December 20, 1972/Agrahayana 29, 1894 (Saka)

ता०प्र०संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
523	फिल्म उद्योग में संकट	Crisis in Film Industry . . .	1
527	राजस्थान में कोटा और जयपुर में डाक के वितरण में विलम्ब	Late delivery of Mails at Kotah and Jaipur in Rajasthan . .	4
528	नगरीय पुलिस प्रशासन के बारे में विचारगोष्ठी	Seminar on City Police Administration	5
532	राजस्थान का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Rajasthan .	7
533	आयातित कच्चे माल से फैन्टा तथा कोका कोला का उत्पादन	Production of Fanta and Coca-Cola from Imported Raw Material . .	8
534	बिहार लघु उद्योग निगम द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials required by Bihar Small Scale Industries Corporation	11
535	शिक्षाप्रद टेलीविजन के लिये उपग्रहों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत में गोष्ठी का आयोजन	UN Seminar in India on Application of Setellities for Instructional TV .	12
536	विदेश नियंत्रित कम्पनियों द्वारा अपने देशों को धन भेजा जाना	Remittances made by Foreign Controlled Companies	13
537	पांचवी पंचवर्षीय योजना में केरल का विकास	Development of Kerala during Fifth Plan	15
539	संसद् सदस्यों की सिफारिशों पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to freedom fighters on recommendations of Members of Parliament	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
521	योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन	Restructuring of Administrative set up for achieving Plan Targets . .	17
22	पांचवी योजना के दृष्टिकोण पर श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा	Discussion with representatives of Labour Unions on approach to Fifth Plan	18
524	1973-74 की वार्षिक योजना के बारे में राज्य सरकारों के साथ योजना आयोग की बातचीत	Planning Commission's discussion with State Governments on Annual Plan for 1973-74	19
525	असम-नागालैंड सीमा विवाद	Assam-Nagaland Boundary Dispute .	19
526	केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक	Meeting of Central Advisory Council of Industries	20
529	'कैथोड रे ट्यूब' के लिये फासफोरस तैयार करने के बारे में पेटेन्ट के लिये आवेदन पत्र	Application for a patent on development of Phosphorus for Cathode Ray Tube	20
530	इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा डाक्टरों के लिये राज्यों में रोजगार योजनायें	Employment Plans for Engineers, Technicians and Doctors in States . .	21
531	आसाम की भाषायी समस्या पर बातचीत के लिये आसाम और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्रियों की प्रधान मन्त्री के साथ बैठक	Meeting of Assam and West Bengal Chief Ministers with Prime Minister to Discuss Assam Language Problem	22
538	आकाशवाणी के कोजीकोड केन्द्र के कार्यकरण के विरूद्ध शिकायत	Complaint against Functioning of Kozhikode Station of AIR . .	22
540	दिल्ली में सार्वजनिक संस्थानों के निकट शराब की दुकानें खोलना	Opening of Liquor Shops in Delhi near Public Institutions	22
अता० प्र० सं० U. S. Q. No.			
5049	स्वनियोजित स्नातक इंजीनियर	Self Employed Engineering Graduates	23
5050	फोटोग्राफी कागज का बनाया जाना	Manufacture of Photographic Paper .	23
5051	कोलार जिले (मैसूर) के एक गांव में एक लड़के की बलि दिया जाना	Sacrifice of a Boy in a Village in Kolar District (Mysore)	24

अता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5052	भोपाल छावनी डाकघर में अल्प बचत खातों में कथित गोल माल	Alleged Bungling in Small Savings Accounts in Bhopal Cantonment Post Office	24
5053	सामुदायिक श्रवण योजना के अधीन रेडियों सेट लगाना	Installation of Radio Sets under Community Listening Scheme . .	24
5054	मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के लिए सामुदायिक रेडियों सेट	Community Radio's Sets for Adivasi Areas in Madhya Pradesh . .	25
5055	विदेशी सहयोग से सेफ्टी रेजर ब्लेडों का निर्माण	Manufacture of Safety Razor Blades With Foreign Collaboration . .	25
5056	रीजनल फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास द्वारा मलयालम के चल चित्र निर्माताओं को परेशान किये जाने का समाचार	Alleged Harassment of Malayalam Film Producers by Regional Film Censor Board, Madras . . .	25
5057	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के निर्देशक बोर्ड की बैठक	Meeting of Board of Directors in Hindustan Paper Corporation . .	25
5058	कार्मिक विभाग में 58 वर्ष से अधिक आयु तक अधिकारियों का सेवा में रहना	Officers Continuing Beyond 58 years in the Department of Personnel . .	26
5059	गृह कल्याण केन्द्र द्वारा की गयी बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग	Utilisation of Sale Proceeds by Grih Kalyan Kendra	26
5060	दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों और गृह कल्याण केन्द्र में हस्तशिल्प शिक्षकों की उपलब्धियां	Emoluments of Craft Teachers in Delhi Government Schools ane Grih Kalyan Kendra.	27
5061	आकाशवाणी के आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन	Change in Service Conditions of AIR Artistes	27
5062	बिहार के रेडियो स्टेशन से वाणिज्यिक सेवा	Commercial Service over Radio Station in Bihar	27
5063	चम्बल और यमुना घाटी के विकास कार्य को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव	Proposal for Taking up the Subject of Development of Chambal and Jamuna Valleys by the Centre . . .	28
5064	दिल्ली पुलिस में कथित असन्तोष	Alleged Unrest in Delhi Polic . .	28
5065	मशीन टूल्स कारपोरेशन और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में तकनीशनों की भर्ती	Recruitment of Technicians in Machine Tools Corporation and HMT . .	29

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5066	बनस्पति निर्माताओं को टिन प्लेटों की सप्लाई	Supply of Tin Plates to Vanaspati Manufacturers	30
5067	बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना	Issue of Lisences to Larger Houses	30
5068	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	Pay and Allowances of National Productivity Council Staff . . .	30
5069	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कर्मचारियों का मांग पत्र	Charter of Demands of N P C Employees	31
5070	विशिष्ट कोटि (स्पेशल केटेगरी) के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन देने की व्यवस्था	Provision of Telephone Connections under 'Special Category' . .	32
5071	जयपुर के महाराजा के संग्रह से चुरायी गई प्राचीन वस्तुओं को बाहर भेजने का मामला	Case of Sending out of Antiques Stolen from Collection of Maharaja of Jaipur	32
5072	ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for Manufacture of Tractors	32
5073	टी-25 ट्रेक्टरों का निर्माण	Manufacture of T-25 Tractors .	34
5074	अवर सचिव के पद पर पदोन्नत करने के लिये अनुभाग अधिकारियों का साक्षात्कार	Interview of Section Officers for Promotion to the Grade of Under Secretary	34
5075	अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के पद पर पदोन्नति	Promotion of Section Officers to the Grade of Under Secretary . .	35
5076	अवर सचिव से लेकर संयक्त सचिव तक के रैंक के अधिकारियों के लिये 'ड्राफ्ट जाब' योग्यतायें	'Draft Job' Qualifications for the Officers from the rank of Under Secretary to joint Secretary	36
5077	मदन पार्क, रोहतक रोड, दिल्ली में डाक सुविधाएं	Postal facilities in Madan Park, Rohtak Road, Delhi	37
5078	मंत्रिमंडल सचिवालय में अनुसंधान अधिकारियों के पद	Posts of Research officers in Cabinet Secretariat	37
5079	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, आसाम के निदेशक के विरुध आरोप	Allegations against the Director, Regional Research Laboratory, Jorhat, Assam	38
5080	अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की अपेक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्राथमिकता दिया जाना	Preferential Weightage being given to I A S Officers over other Central service Officers	38

अता०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5081	महाराष्ट्र के प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में श्रम प्रधान परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to initiate Labour Intensive Projects in Drought Prone Areas of Maharashtra	39
5082	"फूड इरिडियेशन" लागू करना	Introduction of Food Irradiation	39
5083	बम्बई धूम्र अपदूषण अधिनियम, 1912 को संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में लागू करना	Extension of the Bombay Smoke Nuisance Act, 1912 to the Union Territory of Delhi	40
5084	बिजली के संकट के सम्बन्ध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन	Report of a High Powered Committee on Power Crisis	40
5085	कलकत्ता में हजारों टेलीफोन निष्क्रिय	Thousands of Telephones Dead in Calcutta	41
5086	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निपटाए गये राज्यों के मामले	Cases disposed of by CBI pertaining to States	41
5087	अमरीकी ईसाई धर्म प्रचारक, बिल्ली ग्राहाम द्वारा नागालैंड की यात्रा	Visit to Nagaland by American Evangelist, Billy Graham . . .	42
5088	टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी का ट्रक निर्माण के लिए विस्तार	Expansion of the Tata Engineering Locomotive Company for Manufacture of Trucks	42
5089	भारत में फिलिस्तीनी छात्र	Palestinian Student in India .	43
5090	आई०टी०टी० तथा सी०आई०ए० के बीच सम्पर्क	Links between ITT and CIA .	44
5091	टायरों के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Tyres	44
5092	भारत की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in the Country	45
5093	कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of Artificial Limbs Factory at Kanpur	45
5094	राष्ट्रीय आय में वृद्धि	Increase in National Income	45
5095	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में फालतू कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Surplus Employees in Central Government Offices . .	46
5096	पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षणों की प्रतिशतता	Percentage of Reservations for Backward Classes	47

अता०प्र०सं० U.S.O.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5097	शिक्षित बेरोजगार के लिए कार्य करने का अधिकार (राइट टू वर्क) योजना के लिए आवंटित राशि के उपयोग में कमी	Shortfall in use of Allocation for Right to Work Scheme for Educated Unemployed	
5098	ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licence for manufacture of Tractors	48
5099	टेलीविजन और रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना	Setting up of an Institute for Training in TV and Radiography .	48
5100	शराब के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Liquor .	48
5101	स्मारकों तथा होटलों के रूप में परिवर्तित किए गए भूतपूर्व नरेशों के भवन	Houses of former Rulers converted into Monuments and Hotels . .	49
5102	उत्तर प्रदेश और कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्रों में अणुशक्ति चालित एकीकृत विकास समूहों की स्थापना	Setting up of Nuclear Powered Integrated Development Complexes in UP and Kutch Saurashtra Regions	50
5103	बकरगढ़ (दिल्ली) ग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को कृषि योग्य भूमि वापस दिलाना	Restoring of Agricultural Land of Freedom Fighters of Village Bakargarh (Delhi)	51
5104	देश की सभी भाषाओं के लिए वैकल्पिक लिपि के रूप में देवनागरी का प्रयोग	Use of Devnagri Script as alternative Script for all the Languages in the Country . .	51
5105	संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिल्ली उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वाइस प्रिंसीपलों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए रक्षित कोटा निश्चित करने का अनुरोध	Request for fixation of Reserved Quota for Scheduled Castes/Tribes in Appointments of Vice-Principals in Delhi Higher Secondary Schools through U. P. S. C.	52
5106	टेलीविजन सैटों के निर्णाण के लिए दिल्ली की फर्मों को ऋण	Loans to Delhi Firms for Manufacture of TV ets . . .	53
5107	लाजपत नगर, नई दिल्ली, स्थित अखिल भारत नेत्र सुधार संस्था को आवंटित सरकारी भूमि का दुरुपयोग	Misuse of Government allotted Land to All India Blind Relief Society Lajpat Nagar, New Delhi . .	53
5108	उड़ीसा में माइक्रोवेव व्यवस्था	Micro Wave System in Orissa	54

अता०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5109	अधिकारियों को अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training Programme for Officers to Change their Outlook . . .	54
5110	श्री टाटा के ज्ञापन के बारे में उन से बातचीत	Discussion with Shri Tata on his Memorandum	55
5111	गृह मन्त्री और मराठी भाषी लोगों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में चर्चाधीन विषय	Subjects discussed at a Meeting of Home Minister and a Delegation of Marathi speaking population .	55
5112	दिल्ली में टेलीफोन की बकाया राशि	Outstanding Telephone Arrears in Delhi.	55
5113	रायलसीमा के लिये प्रादेशिक विकास योजना	Regional Development Plan for Rayalaseema	56
5114	आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में उद्योग	Industries in Coastal Districts of Andhra Pradesh	56
5115	चौथी योजना में आंध्र प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Andhra Pradesh during Fourth Plan .	57
5116	राज्यों में जनशक्ति के आयोजन और नीतियों सम्बन्धी उच्च-शक्ति प्राप्त परिषद् बनाना	Setting up of High Power Councils for Manpower Planning and Policies in States	58
5117	कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को आयात लाइसेंस का जारी किया जाना	Issue of Import Licence to Coca Cola Export Corporation . . .	58
5118	प्राथमिकता तथा गैर--प्राथमिकता वाले क्षत्रों में काम कर रही विदेशी कम्पनियों द्वारा रुपये को बाहर भेजा जाना	Remittances made by foreign Companies in priority and Non-priority Sectors	59
5119	भारतीय बाजारों में फैन्टा की उपलब्धि सुलभ बनाने हेतु 'ओरेंज स्पेशल' का उत्पादन बन्द करना	Stoppage of production of "Orange Special" to facilitate entry of "Fanta" in Indian Markets, ...	59
5120	प्रेस द्वारा स्वेच्छा से सुधार लाना	Voluntary reform through Press	60
5121	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनु-फैक्चरिंग कम्पनी का विस्तार	Expansion of Hindustan Photo Films Mfg. Co.	60
5122	लघु उद्योगों की प्रगति	Progress of Small Scale Industries	61
5123	बिहार का विकास	Development of Bihar	62

अता०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5124	उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् का गठन	Composition of Central Advisory Council of Industries	63
5125	केरल में लघु उद्योगों के विकास के लिए राशि का आवंटन	Allocation of Funds for Development of Small Scale Industries in Kerala .	63
5126	केरल के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित विशेष रोज़गार योजना	Centrally sponsored special Employment Scheme for Kerala .	64
5127	केरल में चौथी योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए राशि का नियतन	Allocation of Funds for Setting up Industries in Kerala during Fourth Plan	65
5128	केरल स्थित उद्योगों के लिए निधियों का नियतन	Allocation of Funds for Industries in Kerala	66
5129	मन्नानथोडी और तेल्लीचेरी के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Direct Telephone Line between Mannanthody and Tellicherry . .	66
5130	टोकियो के द्वितीय एशियाई जनसंख्या सम्मेलन	Second Asian Population Conference in Tokyo	66
5134	ट्रैक्टर के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Tractors	67
5135	पांचवी योजना के लिए विदेशी सहायता	Foreign Aid for Fifth Plan .	68
5136	भूतपूर्व नरेशों द्वारा बन्दूक आदि रखा जाना	Possession of Fire Arms by former Rulers	68
5137	एयर इंडिया के कार्यालय के बाहर शिव सेना के व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Shiv Sena men outside Air India Office . . .	69
5138	लाइसेसों के लिए गुजरात से आवेदनपत्र	Applications from Gujarat for Licences	69
5139	पश्चिम बंगाल-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा दल को तैनात करना	Posting of BSF on West Bengal-Bangladesh Border	69
5140	संचार मंत्रालय द्वारा खादी के कपड़े का क्रय	Purchase of Khadi Cloth by Ministry of Communications	70
5141	अप्रैल, 1968 की हड़ताल के बाद सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को उनके वेतन तथा भत्तों की अदायगी	Payment of Salary and Allowances to the employees whose services were terminated after 1968 strike . .	70
5142	सरकारी उपक्रमों से विज्ञापन	Advertisements given by Public Undertakings	71

अता०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5143	प्रसिद्ध गायक सहगल की 25वीं बरसी पर स्मृति डाक टिकट	Commemorative Postage Stamp to mark the 25th Anniversary of Famous Singer Sehgal . . .	71
5144	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स में अनियमित नियुक्तियां	Irregular appointments in National Industrial Development Corporation and Bharat Pumps and Compressor Ltd.	72
5146	नई दिल्ली में हुई 'इकनामिक' पत्रकारों की विचार गोष्ठी	Seminar of 'Economic' Journalists held at New Delhi	72
5147	23 नवम्बर, 1972 को केन्द्रीय मन्त्री द्वारा विजयवाड़ा का दौरा	Visit of the Union Minister to Vijayawada on 23rd November, 1972	72
5148	पत्र बमों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा धातु सूचक यंत्र का निर्माण	Metal detector made by National Physical Laboratory for detecting Letter bombs	73
5149	मीडियम वेव पर स्थानीय कार्यक्रम प्रसारित करने वाले मध्य प्रदेश के रेडियो केन्द्रों की संख्या	Number of Madhya Pradesh Radio Stations Broadcasting Local Programmes on Medium Wave . .	73
5150	टेलीप्रिन्टर मशीनों का निर्माण	Manufacture of Teleprinter Machines .	74
5151	पांचवी योजना में कृषि फार्मों तथा खनिज विकास के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for Agriculture Farms and for the Development of Minerals during Fifth Plan . .	74
5152	दिल्ली में अचल सम्पत्ति का क्रय और विक्रय	Sale and Purchase of Immovable Properties in Delhi	74
5153	अपेक्षाकृत बड़े व्यापार गृहों का विस्तार	Expansion of Bigger Business Houses .	75
5154	तार मैसेंजरों के वेतन	Remuneration Rates of Telegram Messenger	75
5155	आकाशवाणी में कोषाध्यक्षों तथा स्टोर की देखभाल करने वाले स्टाफ को देय विशेष भत्ता	Special Allowance payable to Cashiers and Staff handling Stores in AIR .	76
5156	टेलीविजन उपग्रह का छोड़ा जाना	Launching of a Satellite for TV . .	76
5157	पांचवी योजना के दृष्टिकोण में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु राज्यों को मार्गदर्शी निर्देश	Guidelines for States for preparing proposals for inclusion in Approach to Fifth Plan	76
5158	पांचवी योजना के दौरान मैसूर में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Mysore during Fifth Plan . .	77

अता०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5159	सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर देना	Additional Chance for Government Employees to Appear in IAS examination	78
5160	सेफ्टी रेज़र ब्लेड उद्योग की अनुज्ञप्त क्षमता	Licensed Capacity of Safety Razor Blades Industry	78
5161	बीकानेर को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना	Declaration of Bikaner as Backward District. .	79
5162	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Production of TV Sets	79
5163	केन्द्रीयकृत सुधार व्यवस्था	Centralised Reforms Agency .	80
5164	उद्योगपतियों के तकनीकी सहयोग से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Backward Areas with Technical Collaboration of Industrialists .	80
5165	दिल्ली में अपराधों के मामले	Crime Cases in Delhi . .	80
5166	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में प्रबन्धक और मुख्य लेखापाल की नियुक्ति	Appointment of Manager and Chief Accounts Officer in Khadi Gramodyog Bhawan New Delhi .	81
5167	विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत अमरीकी सहयोग	Indo American Cooperation in the Field of Science and Technology .	81
5168	पांचवी योजना के निरूपण के लिए विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहयोग	Economic Cooperation from Foreign Countries for Formulation of Fifth Plan	82
5169	देश में हिप्पियों के आने पर रोक लगाना	Ban of Influx of Hippies into the Country	82
5170	वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना में रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर बल देना	Stress in the annua plan for 1973-74 on Generation of Employment Opportunities . .	82
5172	अन्तरिक्ष में टेलीविज़न प्रसारण उपग्रह की स्थापना करना	Placing of Television Broadcasting Satelite in Orbit	82
5173	दिल्ली न्यायिक सेवा के लिये अधिकारियों का चयन	Selection of Officers for Delhi Judicial Service Cadre	83
5174	विदेशी निजी पूंजी निवेश तथा तकनीकी सहयोग	Foreign Private Investment and Technical Collaboration . . .	84
5175	हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा बम्बई की एल्युमिनियम चद्दर बेलन मिल के लिये उपकरण सप्लाई करना	Supply of Equipment for Aluminium Sheet Rolling Mill Bombay by HEL Bhopal	84

अता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5176	राजस्थान के लिए राज्य योजना बोर्ड की स्थापना करना	Setting up of State Planning Board for Rajasthan	84
5177	टेलीफोन प्रणाली के सन्दर्भ में विदेशी जानकारी	Foreign know-how in Telephone System	85
5178	राष्ट्रीय विकास निगम	National Development Corporation	85
5179	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्रप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये निधियों का नियतन	Allocation of Funds for setting up of Industries in West Bengal, U.P. and A.P.	85
5180	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में परामर्शदात्री समिति	Advisory Committee in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	86
5181	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चोरी	Theft in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	86
5182	कटेधान (हैदराबाद) में स्थित सार्थसमूह में स्वनियोजन	Self Employment Complex in Katedhan (Hyderabad)	87
5183	टेलीविज़न के पुर्जों के आयात में कमी करने हेतु इसके देशी पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Indigenous TV Components to reduce Import Content	87
5184	क्षेत्रीय छोटे समाचारपत्रों को समाचार देना	Supply of news reports to Regional Small Newspapers	88
5185	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा परामर्शदात्री सेवा	Consultancy services by National Industrial Development Corporation	88
5186	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती लड़ने के लिए गद्दा की अनुपलब्धता	Non-availability of wrestling mat in International Style	88
5187	हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रतिवदन	Project reports submitted by Hindustan Paper Corporation	89
5188	ईंट भट्ठा उद्योग में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Brick Kiln Industry	89
5189	खोई से कागज बनाने के लिए लाइसेंस देना	Issue of licence for production of Paper from Bagasse	90
5190	सांगली कोआपरेटिव सुगर फैक्टरी को कागज बनाने के लिये लाइसेंस देना	Issue of licence to Sangli Cooperative Sugar Factory for manufacture of Paper	90
5191	मध्य प्रदेश की "दैनिक अवंतिका" के ग्राहकों की संख्या	Circulation figure of "Dainik Avantika" of Madhya Pradesh	90
5192	भारत द्वारा श्रीहरिकोटा रेंज से प्रथम उपग्रह छोड़ने का कार्यक्रम रद्द करना	Concellation of programme to launch the first Satelite by India from Sriharikota Range	91

अता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5193	गैर सरकारी क्षेत्र में तथा नेपा मिल्स के विस्तार से अखबारी कागज का उत्पादन	Production of News Print by Private Sector and through expansion of Nepa Mills 91
5194	मिजोरम विधान सभा भवन को उड़ाने का षडयंत्र	Plot to blow up Mizoram Laegislature Building 92
5195	भारतीय प्रशासन सेवा और श्रेणी I के अधिकारियों की कमी	Shortage of I A S and Class I Officers. 92
5196	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये विशेष भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा	Special I A S Examination for Central Government employees . . . 92
5197	भ्रष्टाचार के मामलों के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गये पुलिस अधिकारी तथा न्यायिक अधिकारी	Officers of Police and Judicial Officers caught by C B I for Corruption . 93
5198	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गये श्रेणी I के अधिकारी	Class I officers caught by C B I 94
5199	प्रत्येक राज्य में ज़िला स्तरीय आयोजना	District Level Planning in each State . 94
5200	जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानान्तरण	Shifting of J. Stone and Co. (India) Limited outside West Bengal . . 95
5202	इन्डियन कार्बन फैक्टरी, बजबज, कलकत्ता	Indian Carbon Factory, Budge Budge, Calcutta 95
5203	पांचवी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना	Finalisation of Fifth Plan . 96
5204	गुप्त डाक व्यवस्था	Underground Postal System . . 96
5205	भारतीय मानक संस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विभागीय उम्मीदवारों के लिये सेक्शनल अधिकारियों के पदों का आरक्षण	Reservation of Posts of Sectional Officers for Departmental Candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Indian Standards Institution 96
5206	लघु उद्योगों में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Small Scale Industries 97
5207	सितम्बर 1969 से नवम्बर 1971 की अवधि में सरकार द्वारा खरीदी गई फियट कारों के लिए अधिक ल्य का भुगतान	Payment of Excess Price for Fiat Cars purchased by Government between September 1969 and November 1971 97

अता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5208	राज्य सेवाओं के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नत करना	Promotion of Officers from State Service to All India Services . . .	98
5209	काश्मीर के बारे में स्वर्गीय सरदार पटेल के विचार	Late Sardar Patel's views on Kashmir .	8
5210	कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे उद्योगों पर अधिक बल देने के लिये कार्यक्रम	Programme to Lay more Emphasis on Agriculture and Industries Producing Consumer Goods	99
5211	नागालैण्ड के संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चों द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग	Demand of United Democratic Front of Nagaland for imposition of Presidents Rule in the State . .	99
5212	रोजगार अवसरों का उत्पन्न किया जाना	Generation of Employment Opportunities	99
5213	"यू० एस० एस० आर० एडिड सिनेमाज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News Item—"USSR Aided Cinemas"	100
5214	विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच सहयोग के लिए करार	Agreement for Cooperation between India and Czechoslovakia in the Field of Science and Technology . .	100
5215	विद्रोही नागाओं द्वारा 21 नवम्बर, 1972 को चकबामा के समीप सैनिकों पर गोली चलाना	Firing by Rebel Nagas on Troops near Chakabama on the 21st November, 1972	101
5216	"पुलिस यूज टियर गैस आन दिल्ली स्वीपर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News item Captioned "Police use Tear Gas on Delhi Sweepers" . .	101
5217	भारत स्थित गिरजा-घरों को विदेशी उपहार तथा दान	Foreign Gifts and Donation to Churches in India	102
5218	विदेशी नागरिकों का भारत में अवध रूप से आना तथा यहां से जाना	Illegal in and out Traffic of Foreign Nationals into India . .	102
5219	राज्यों द्वारा चौथी योजना की विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Fourth Plan Power and Irrigation Projects by States .	102
5220	आकाशवाणी का मिथिला प्रसारण केन्द्र	Mithila Broadcasting Station of AIR .	103

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5221	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की गतिविधियों का प्रचार करने के लिये पुस्तिका	Pmphlet Advertising Activities of NIDC	103
5222	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली के प्रौद्योगिकी सलाहकार ब्यूरो के स्टेशनरी स्टोर्स में माल की घटोतरी	Shortage in Stationery Stores of Technological Consultancy Bureau of NIDC New Delhi	104
5223	श्री एम० जी० रामचन्द्रन के सचिव से जाली विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Fake Foreign Currency seized from the Secretary of Shri MG Ramachandran	105
5224	विभिन्न मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in various Ministries .	106
5225	केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC's Recommendations on Centre State Relations	106
5226	उद्योगों के लिए रूस से तकनीकी सहायता	Technical Assistance from USSR for Industries	106
5227	विदेशी तम्बाकू कारखानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisaion of Foreign Tobacco Factories	107
5228	स्क्रिप्ट लेखक परीक्षा में मध्य प्रदेश के उम्मीदवार	MP Candidates for Script Writers Test	107
5229	खण्डवा, बुरहानपुर और इन्दौर के बीच सीधी टेलीफोन लाइनें	Direct Link between Khandva Burhanpur and Indore	107
5230	आकाशवाणी के मध्य प्रदेश स्थित केन्द्रों से मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों और विधायकों की वार्ता	Talks of Madhya Pradesh MP's and Legislators over Akashvani Centres of Madhya Pradesh . . .	108
5231	आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा भूख हड़ताल	AIR Artistes on Hunger Strike .	108
5232	1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमें	Prosecutions of Central Government Employees in connection with their Participation in 1968 strike .	108
5233	डाक तथा तार विभाग में विभागीय अवकाश	Departmental Leave in P &T Departmment	109
5234	भारतीय मानक संस्था में पदों का आरक्षण	Reservation of posts in Indian Standards Institution	109

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5235	भारतीय मानक संस्था में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या — Strength of Employees belonging to Scheduled Castes in Indian Standards Institution	110
5236	आनन्द बाजार पत्रिका के निदेशक से पुलिस द्वारा पूछताछ — Interrogation by Police of a Director of Anand Bazar Patrika . . .	111
5237	दिल्ली तथा बम्बई में टेलीविजन पर कृषि तकनीकी विधियों का प्रदर्शन — Demonstration of Agricultural Technology over TV in Delhi and Bombay	111
5238	जल-विवादों के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सिंचाई परियोजनाओं का पांचवीं योजना में शामिल न किया जाना — Non inclusion of Irrigation Projects for Drought affected Areas in Fifth Plan due to water disputes . . .	112
5239	चीनी के कारखाने स्थापित करने हेतु विचाराधीन आशय पत्र — Pending Letters of Intent to steeing up Sugar Factories . . .	112
5240	राजस्थान की विकास संबंधी समस्याओं तथा पिछड़ेपन का अध्ययन — Study of the Development Problems and Backwardness of Rajasthan . .	113
5241	प्रिंटिंग मशीनों की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय उद्योग निगम के पास विचाराधीन पड़े आवेदन पत्र — Applications from National Small Scale Industries Corporation for supply of printing machines	114
5242	रोड रोलरों का उत्पादन — Production of Road Rollers . .	115
5243	आकाशवाणी के वाराणसी केन्द्र में अधिक शक्ति वाला ट्रांसमीटर — High Power Transmitter at Varanasi Station of AIR	115
5244	आयकर अधिकारियों के स्थायी रिक्त पदों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय — Supreme Court Judgement re. permanent vacancies of Income Tax Officers	115
5245	मारुति लिमिटेड द्वारा पुर्जों तथा डिजायनों का आयात — Import of equipment and designs by Maruti Limited	116
5246	मुल्की कानूनों संबंधी प्रश्न का हल — Resolving of Mulki Rules Issue .	116
5247	औद्योगिक उत्पादन में सुधार — Improvement in Industrial Output	116
5248	पंचायत स्तर पर योजना — Panchayat Level Planning .	117
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table .	121
	राज्य सभा से संदेश — Messages from Rajya Sabha	123
	लोक लेखा समिति — Public Accounts Committee . .	124
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति — Committee on Private Members Bills & Resolutions	124

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
56वां और 58वां प्रतिवेदन	Fifty sixth and Fifty eighth Reports	124
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings .	124
65वां प्रतिवेदन	Sixty fifth Report . . .	124
अतारांकित प्रश्न संख्या 2206 में शुद्धि के बारे में	Re. Correction to Unstarred Question No. 2206	124
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	125
12वां, 13वां और 14वां प्रतिवेदन	Twelfth, Thirteenth and Fourteenth Reports	125
दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता दिये जाने तथा अमरीका द्वारा वियतनाम पर बमबारी बन्द किये जाने के बारे में याचिका	Petition re. recognition of Provisional Revolutionary Government of South Vietnam and stoppage of bombing in Vietnam by USA	126
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प	Resolution re. Recommendations of Railway Convention Committee .	127
श्री किरुतिनन	Shri Tha Kiruttinan .	127
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda . .	128
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	129
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai .	129
राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक	National Library Bill	131
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	1 1
श्री एच०एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	131
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	133
श्री समर गुहा	Shri Samar Guha . .	135
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan . . .	138
रिचर्डसन एण्ड क्रूडडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक	Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill	140
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	140
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheshwar Prasad	140
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	141
श्री आर० बी० बड़े	Shri R. V. Bade .	142
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	
खंड 2 से 31 और 1	Clauses 2 to 31 and	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	144
अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक	All India Services Regulations (Indemnity) Bill	144

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	145
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	145
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	145
आधे घंटे की चर्चा	Half-an Hour Discussion . .	147
खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में वेतन-मानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . .	147
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	147
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheshwar Prasad	148
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	148
22वां प्रतिवेदन	Twenty Second Report	148

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 20 दिसम्बर, 1972--29 अग्रहायण 1894(शक)

Wednesday, December 20, 1972-Agrahayana 29, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at two minutes last Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्म उद्योग में संकट

*523 श्री डी० के० पंडा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म उद्योग एक बड़े संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह संकट किस प्रकार का है और कितना बड़ा है; और

(ग) क्या इस संबंध में फिल्म निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (ख) तथा (ग) : जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि फिल्म उद्योग को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है, यद्यपि इसकी अपनी आवर्ती समस्यायें है। हाल ही में सरकार को सिने कच्ची फिल्मों की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि तथा प्रस्तावित शहरी सम्पत्ति सीमा विधेयक में सिनेमाओं के शामिल किये जाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन भी मिले हैं।

श्री डी० के० पंडा मंत्री महोदय ने टालने वाला उत्तर दिया है क्योंकि यह सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि फिल्म उद्योग गम्भीर संकट से गुजर रहा है। 22 अक्टूबर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "अनहैल्दी ट्रैन्ड्स इन इन्डियन सिनेमा शीर्षक" से प्रकाशित समाचार में इस संकट का उल्लेख किया गया है। दूसरे समाचारपत्रों में भी इस संकट का उल्लेख किया गया है। इस संकट में फिल्म उद्योग की निर्यात आवश्यकताओं को पूरा न करनें तथा कच्चे माल की कमी और बहुत सी वस्तुओं की अनुपलब्धता की ओर निर्देश किया गया है। इसमें बताया गया है कि आयोजन में तकनीकी पद्धति का अध्ययन नहीं किया गया है। देश में 7,400 थियेटर हैं और प्रत्येक वर्ष 400 से 500 के बीच वृद्धि हो जाती है। उद्योग संकट-ग्रस्त है और उजर नकारात्मक किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या खोसला समिति की सिफारिशों को कार्यक्रम दिया गया है और, यदि नहीं, तो इस संकट को दूर करने के लिये इन सिफारिशों को कब तक कार्यक्रम दिया जायेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) खोसला समिति का प्रतिवेदन मुख्यतया सेंसर व्यवस्था के संबंध में है, पूरे फिल्म उद्योग से इसका संबंध नहीं है । खोसला समिति की सिफारिशों के बारे में अगले सत्र में सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

फिल्म उद्योग में अन्य वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में जो कुछ कहा गया है, इसके लिये फिल्मों संबंधी एक व्यापक नीति की आवश्यकता है, जो सरकार ने बनानी आरम्भ कर दी है । हम जिन बहुत से उपायों पर विचार कर रहे हैं उनमें से एक स्वायतशासी फिल्म परिषद् की स्थापना के लिये एक विधेयक लाना भी है । फिल्म उद्योग में कम वेतन वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित करने के लिये संसद में एक अन्य विधेयक लाने का भी विचार है । विधेयकों के प्रस्तुत हो जाने के बाद सदन में फिल्म उद्योग की वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा करने का भी विचार है । इन सब उपायों से फिल्म उद्योग को गति मिलेगी ।

श्री डी० के० पंडा : क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष श्री तारीक ने फिल्म निर्माताओं पर आरोप लगाया है कि वर्त्तमान समय में 150 करोड़ रुपए जो राशि परिचलन में है उसमें आधी राशी काले धन की है, और क्या सरकार ऐसी बातों को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ।

अध्यक्ष महोदय: अब आप मूल प्रश्न से परे जा रहे हैं।

श्री जी० के० पंडा : प्रश्न फिल्म उद्योग में संकट के विषय में है । इसीलिये मैंने मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा है कि क्या यह सच है कि 150 करोड़ रुपये के काले धन की राशि विशेषतया अभी भी परिचलन में है जबकि अध्यक्ष श्री तारीक ने निहित स्वार्थों तथा फिल्म उद्योग के निर्माताओं के विरुद्ध ऐसा आरोप लगाया है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री आई० के० गुजराल: मैंने श्री तारीक का प्रेस वक्तव्य देखा है । क्योंकि मैं तथा मेरे मंत्रालय का काले धन से कोई संबंध नहीं है अतः यह प्रश्न सम्बद्ध मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

श्री वयालार रवि : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि यह संकट विशेषतया दक्षिण में सेंसर बोर्ड द्वारा पैदा किया गया है, सरकार सेंसर बोर्ड द्वारा मलयालम फिल्मों में पैदा किये गये संकट को दूर करने के लिये कदम उठायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से असम्बद्ध है । श्री शंकरदयाल सिंह ।

Shri Shankar Dayal Singh : Indian Film industry occupies second position in the world. It is a fact that the film industry is facing a crisis. May I know whether the renowned Film actor Shri Dalip Kumar had met Prime Minister last week and had discussed the matter in this regard, if so, what points were discussed and what reply the Prime Minister gave to him?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक श्री दिलीपकुमार के प्रधानमंत्री से मिलने की बात है वह मुख्यतया प्रधानमंत्री से रक्षा समिति जो फिल्म उद्योग ने सैनिकों की सहायता के लिये धन एकत्र करने के लिए बनायी है; के लिये समय देने के लिये अनुरोध करने के बारे में मिले थे और उन्हें समय दे दिया गया है जब वे आकर प्रधानमंत्री को थैली भेंट करेंगे ।

जहां तक फिल्म उद्योग की कठिनाइयों की बात है, हम उनसे परिचित है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम उपाय कर रहे हैं।

श्री एस० ए० शमीम : क्या यह सच है कि सरकार को फ़िल्म निर्माताओं से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । जिसमें अध्यक्ष श्री तारीक के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, और क्या यह भी सच है कि श्री तारीक ने सार्वजनिक रूप से यह बात कही है कि जिन फिल्म निर्माताओं ने ज्ञापन भेजा है उनमें से अधिकांश पर सरकार का लाखों रुपया बकाया है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न पूछा है।

श्री जी० विश्वनायन : यह प्रश्न सफेद धन के बारे में हैं।

श्री एस० ए० शमीम : यह प्रश्न फिल्म उद्योग में संकट के विषय में ह। फिल्म उद्योग में संकट है और एक दूसरे पर आरोप, प्रत्यारोप लगाये जा रहे ह।

श्री आई० के० गजराल : यह सच है कि आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं परन्तु सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उनका कोई संबंध नहीं है । वास्तव में यह विदेश व्यापार के अन्तर्गत आता है । अतः म इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question of setting up a film council is under consideration of the Government for the last many years. I would like to know the time by which final decision is likely to be taken in this regard. Is it a fact that the Government is going to give up the idea of setting up the Film council?

Shri I. K. Gujral : I have already stated that a Bill is to be presented in this regard and I hope this will be presented in the House during next session.

Shri R. P. Yadav : May I know whether the Government is aware of the fact that the big producers get all the cinemas booked for their pictures and the small producers do not get them for the display of their fiims? I would also like to know whether the Government would adopt measures in this regard?

श्री आई० के० गुजराल : आपने जो कुछ कहा है वह ठीक है। यदि कोई संकट है तो वह प्रदर्शन के क्षेत्र में है । प्रदर्शन के लिये भारत में आवश्यकता से कम सिनेमाघर हैं। कुल मिलाकर हमारे यहां 4500 स्थायी तथा 3000 चलते फिरते सिनेमागृह हैं। सम्पूर्ण जनसंख्या के अनुपात में यह संख्या बहुत कम है । इसलिये हम अधिक सिनेमा गृहों का सुझाव दे रहे हैं। फिल्म वित्त निगम श्रृंखला में फिल्म थियेटरों की स्थापना के लिये एक ऐसा ही कार्य कर रहा है । सूचना मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक राज्य को मनोरंजन कर से होने वाली अपनी आय का 10 प्रतिशत राज्य में सिनेमाघर बनाने के लिये अलग रखना चाहिये ।

श्री समरगुह : पश्चिम बंगाल फिल्म उद्योग, जिसने बहुत सी ऐसी फिल्में बनायी है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय परितोषिक प्राप्त हुये हैं, गम्भीर संकट में है । इस संकट के बारे में जांच करने के लिये एक समिति बनाई गई थी । उस समिति ने क्या सिफारिशें की थी और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं।

श्री आई० के० गुजराल : श्री दत्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसे पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग में संकट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी । समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था, माननीय सदस्यों ने उसे देखा होगा। पश्चिम बंगाल में इस परिस्थिति से छुटकारा दिलाने संबंधी कुछ सिफारिशों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है और हमारा विचार बहुत शीघ्र कार्यवाही करने का है।

श्री मनोरंजन हाजरा : पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार छविगृह परिरक्षण पद्धति को समाप्त करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : हमें ऐसी किसी परिरक्षण पद्धति के विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मनोरंजन हाजरा : जब फिल्म निर्माता छविगृह के स्वामी को कोई फिल्म दिखाता है, तो वे बहुत बड़ी धन राशि लेते हैं । इससे निर्माता को हानि होती है और यह भी संकट का एक कारण है । क्या आप इस पद्धति को समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैंने बताया है, वास्तविक रूप में कमी सिनेमाघरों की है । इसी कारण सिनेमाघरों के स्वामी फिल्म निर्माताओं तथा फिल्म वितरकों को अपनी शर्तें मनवाते हैं । इसका उपाय यही है कि देश में अधिक सिनेमा घर हों । हम इसी चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

Shri K. C. Pandey : May I know whether the production of obscence and vulgar Films is not a reason contributing to the crisis in Film industry? Is it also one of the reasons of the crisis?

श्री आई० के० गुजराल : मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा नियम है । कभी-कभी भद्दी फिल्में बनाई जाती हैं और हम सेंसर बोर्ड के माध्यम से उनके प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाते हैं । हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भद्दी तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों को भड़काने वाली फिल्म नहीं बनाई जायेंगी । पीछे सेंसर की नीति फिल्म का कुछ भाग काट देने की थी परन्तु अब ऐसे निदेश हैं कि जब हिंसात्मक प्रवृतियां भड़काने वाली कोई फिल्म बनाई जाये तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

श्री कृष्णचन्द्र हालदार : क्या यह सच है कि फिल्मों की तस्करी से भारत को प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है । देश को इस समय फिल्मों के निर्यात से 6.5 करोड़ रुपये की आय होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि तस्करी को किस प्रकार रोका जा सकता है क्योंकि इसी के कारण फिल्म उद्योग संकट का सामना कर रहा है ।

श्री आई० के० गुजराल : यह सच है कि भारत से फिल्मों की तस्करी होती है और देश को विदेशी मुद्रा की हानि होती है । क्योंकि इस चीज का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता, अतः किसी के लिये भी यह कहना कठिन है कि इससे कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होती है । परन्तु एक बात निश्चित है कि तस्करी होती है । इसीलिये हम सीमा-शुल्क अधिकारियों के माध्यम से तस्करी रोकने का प्रयास कर रहे हैं । राज्य-व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने की पद्धति का भी तस्करी रोकने पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

Late delivery of mails at Kotah and Jaipur in Rajasthan

*527. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the mail is delivered late at Kotah and Jaipur as the mail for these two places is sorted out at Jaipur and Sawai Madhopur respectively;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the difficulties experienced by Government in sorting out the mail at the places for which it is meant?

Deputy Minister in the Ministry of Communications (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No, sir.

(b) Question does not arise.

(c) The mail for delivery for big cities having Zonal delivery offices is being sorted out in the RMS Mail offices situated at those places depending upon time and source of receipt of the mail. Sorting of Town Delivery mail is also done at other mail offices/R.M.S. Sections. The only consideration for mail sorting is to see that the mail is delivered at destination earlier than it would have been otherwise. The time available for a sorting office, the amount of mail matter at its disposal and the available Rail Road or air transport connections are the guiding factors in deciding the location of any sorting work.

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister has just now stated that the dak-sorting is done at their Headquarters. But when there are R.M.S. offices at Kota and Jaipur, why the dak meant for Jaipur is sorted out at Sawai Madhopur which is a small branch. This means that the posted work is done at three places and the dak is distributed through post offices, sorted at R.M.S. office and carried by Railways. What is the harm in sorting out the Jaipur dak at Jaipur itself? Jaipur is a big R.M.S. office. So what is the objection?

Shri Jagannath Pahadia : I have said that we have no objection, but certainly we want that the dak for kota should reach Jaipur as early as possible. Wherever we get time we sort it out there. Jaipur-dak is sorted out in such a manner that the Kota-dak bag gets sorted at Jaipur itself and reaches Kota directly; and in case we get time at Sawai Madhopur we sort it out there itself so that it does not remain unattended after reaching Kota. Otherwise the dak would go to Kota and again it would be sorted out and delivered. Thus, it will get delayed.

Shri Onkar Lal Berwa : It is a bogus reply, when they have no objection, why do not they sort it out at that very place? That is my question.

Mr. Speaker : Your supplementary also needs sorting.

Shri Jagannath Pahadia : This we do in the interest and for the convenience of the people.

Shri Onkar Lal Berwa : The train carrying dak from Jaipur comes after the Frontier Mail and thus the dak remain lying there throughout the night and is sent the next day by Frontier Mail and thus gets delayed for 12 hours. It is not possible to change the timings of these trains so that this 12 hour gap is removed.

Shri Jagannath Pahadia : We are helpless if the train comes late. We do send the dak as soon as we get the rail connection.

नागरीय पुलिस प्रशासन के बारें में विचार-गोष्टी

*528. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री सत्यचरण बसेरा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नगरीय पुलिस प्रशासन के बारे में एक विचार-गोष्ठी आयोजित हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गईं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के नगर प्रशासन में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र ने "नगर पुलिस प्रशासन" पर 29, 30 सितम्बर, 1972 को एक गोष्ठी का आयोजन किया था । गोष्ठी में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है जिस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाय। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने गोष्ठी की कार्यवाही यथासमय प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया है । फिर भी निम्न-लिखित मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया था :--

(i) शहरी पुलिस प्रशासन को नगर की चुनौती ।

(ii) लघु माइक्रो संगठन की समीक्षा :

(iii) आंतरिक संगठन का मूल्यांकन ।

(iv) शहरी पुलिस संगठन का अन्य नगर स्थानीय प्राधिकारणों तथा संस्थाओं के साथ संबंध

(v) शहरी पुलिस प्रशासन में विशिष्टीकरण क्षेत्र ।

(vi) शहरों में पुलिस थानों का पुनर्गठन ।

(vii) विधि तथा व्यवस्था का पृथक करण-अलग जांच खण्ड का विकास ।

(viii) कर्मचारियों की समस्यायें तथा प्रशिक्षण ।

(ix) सार्वजनिक संबंध तथा पुलिस के विरुद्ध जनता की शिकायतों का निराकरण ।

भारत सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण पर एक समिति स्थापित की है, जिसकी सिफारिशें शीघ्र ही आने की आशा है । उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय गोष्ठी में उठाये गये विषयों पर भी विचार किया जाएगा ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विवरण के संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि पुलिस व्यवसाय में सर्वोत्तम प्रतिभा वाले लोगों को आकर्षित करने के लिये तथा उनकी वर्त्तमान सेवा-शर्तों को उत्तम बनाने के लिये सरकार का विचार क्या-क्या प्रोत्साहन देने का है ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है । यह सच है कि विचार गोष्ठी में इस विषय पर भी विचार किया गया था कि अधिक प्रतिभाशाली तथा शिक्षित लोगों को पुलिस सेवाओं की ओर आकर्षित किया जाना चाहिये । तथा प्रवेश के स्थान इस समय उपलब्ध स्थानों से अधिक होने चाहियें ।

प्रोत्साहन देने संबंधी विशिष्ट प्रश्न पर वर्त्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में विचार किया जाना है । इन बातों का निरन्तर पुनरावलोकन किया जाता है । मैं इस संबंध में कोई व्यापक उत्तर तो नहीं दे सकता; परन्तु हम गोष्ठी द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर भी उस समय विचार करेंगे जबकि नियुक्त की गई पुलिस प्रशिक्षण समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेंगे ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या यह सच है कि कुछ दिनों से पुलिस की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है तथा पुलिस सेवा संबंधी नियम, अधिनियम, क़ानून तथा विनियम पुराने पड़ गये हैं, और यदि हो तो पुलिस प्रशासन को आधुनिक रूप प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पुलिस सेवा को आधुनिक बनाने की आवश्यकता और उसमें निरन्तर सुधार करने पर जोर देने की आवश्यकता को हम मानते हैं । परन्तु यह कहना या सोचना सही नहीं है

कि पुलिस सेवा में सुधार करने उसको आधुनिक बनाने तथा बदलते समाज को अनुसार उसमें यथोचित परिवर्तन लाने और उसे अधिक जिम्मेवार बनाने तथा साथ ही अपराधों की जांच-क्रिया में सुधार करने के लिये कुछ नहीं किया गया है । उदाहरण के लिये, मैं आपको बताता हूं कि गत वर्षों में किस प्रकार के संस्थान स्थापित किये गये हैं । तकनीकी क्षेत्र में केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, केन्द्रीय विधि विज्ञान संस्थान साथ प्रयोगशालायें फिंगर प्रिन्ट्स ब्यूरो आदि सरकार ने स्थापित किये हैं । देश में पुलिस प्रशासन संबंधी विभिन्न समस्याओं के बारे में अनुसन्धान करने के लिये पुलिस अनुसंधान तथा अध्ययन का डाक ब्यूरो भी खोला गया है । किशोर अपराध, पुलिस सामुदायिक संबंधों तथा अनुसंधान प्रक्रिया आदि विभिन्न मामलों के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान का डाक संस्थान भी चलाया जा रहा है । इसलिये इस संबंध में विभिन्न संस्थान कार्य कर रहे हैं । पुलिस प्रशिक्षण संबंधी डाक समिति स्थापित की गई थी जिस का डाक विचारणीय नियम पुलिस तथा जनता के संबंधों तथा दृष्टिकोण की जांच करना भी था । इस समिति के प्रतिवेदन की हमें प्रतीक्षा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : विचार गोष्ठी की इन सिफारिशों के अतिरिक्त जिनपर कि मंत्री महोदय ने पुलिस प्रशासन की सुनियोचित करने हेतु विचार करने का आश्वासन दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों की सेवा-शर्तों और कार्य-स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कारगार कार्य-वाई की गई है तथा क्या खोसला समिति की सभी सिफ़ारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : खोसला समिति की सिफ़ारिशों के बारे में मैं एक दम तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह प्रश्न नगरीय पुलिस प्रशासन के बारे में गोष्ठी के बारे में था। परन्तु मुझे यह अवश्य मालूम है कि उस समिति की बहुत-सी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा क्रियान्वित कर दिया गया है । यह सब सच्चाई है ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that now a days the police force is not having modern vehicles, wireless sets and modernised arms? When we are not able to provide them with modern vehicles and weapons, how could they detect cases? What the Government is doing in this behalf?

Shri Atal Bihari Vajpayee : They set the people right with the help of lathis.

Shri K. C. Pant : It is a pertinent question and we have gone into it. The central Government have formulated a modernisation scheme to enable the police force to work more scientifically. States are given assistance also—75 per cent in the shape of loans and 25 per cent as grants-in-aid-so as to increase their mobility and provide them with jeeps, wireless equipments, and other scientific devices; and also to enable them to modernise the crimes records and training. The states have been given Rs. 14—15 crores since 1970 to date for these purpose besides 914 jeeps, scientific equipments and wireless equipments.

Industrial Development of Rajasthan

*532. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state:

(a) Whether the Central Government have not been extending necessary assistance and co-operation to Rajasthan State for industrial development for the last ten years;

(b) Whether the State Government have made a complaint to the Central Government in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto?

Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Shri M. C. Daga : Actually, I do not mean complaint. If there is a complaint, the spirit behind that is to bring about improvement. The annual report shows that for 567 projects a sum of Rs. 357 crore has been sanctioned, but Rajasthan has received only 17 crores of rupees for 14 projects which is too less, even as he has admitted.

Shri Siddheshwar Prasad : Financial assistance has been provided for the projects that were approved by us, out of those submitted by Rajasthan, we will provide financial assistance in future also for such projects as have been proposed by Rajasthan and approved by us.

Shri M. C. Daga : May I know the number of applications for licences pending with Rajasthan Government for installing new units and since when they are pending and why?

Shri Siddheshwar Prasad : It is entirely a different question. Separate notice should be given for it.

Shri M. C. Daga : The hon. Minister says that the Government has been extending necessary help to Rajasthan Government for the last ten years but the statistics reveal that Rajasthan has not received due attention.

Shri Siddheshwar Prasad : Upto the Third Five Year Plan, only 12 crores of rupees were given to Rajasthan Government for central projects but now in the Fourth Plan a sum of Rs. 93 crores has been provided.

As I have stated just now, the Government is prepared to consider the projects both in the Private and Public sector, if there be any.

Shri M. Ram Gopal Reddy: Rajasthan is entirely a desert area and the number of persons interested in licences is limited. Accordingly, do the Government propose to set up some industries there on their own?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question.

Shri Shrikishan Modi : Do the Government propose to establish a branch of I.F.C. in Rajasthan also, if so; when and if not, what are the reasons therefor?

Mr. Speaker : Your question is not relevant.

Mr. Kachwai remains on his legs always. In the House of Commons, Members are found on their legs once or twice a week and that also when they are concerned. Members do not remain on their legs there always. This is not proper.

आयातित कच्चे माल से फैन्टा तथा कोका-कोला का उत्पादन

*533. **श्री एस० ए० मुरम्यनन्तम्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को ए० यू० लाइसेन्स के अधीन दी गई 1,95,200 रुपये के मूल्य के आयातित कच्चे माल से कितने क्रैट फैन्टा तथा कोका कोला तैयार किया जा सकता है;

(ख) वित्त वर्ष 1971-72 तथा 1972 में अब तक की अवधि में कुल कितने क्रेट कोका कोला तथा फैन्टा का उत्पादन हुआ;

(ग) यदि वास्तविक उत्पादन ए० यू० लाइसेन्स के अधीन आयात किये गये कच्चे माल से होने वाले उत्पादन से अधिक है, तो कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन किस प्रकार अतिरिक्त आयातित कच्चा माल प्राप्त कर सका है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई अदालती जांच कराने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अनुमानतः 3.9 लाख क्रेट।

(ख) कोका कोला और फैंटा का 1971-72 और 1972-73 में (1 अप्रैल से 30 नवम्बर तक) अनुमानित उत्पादन क्रमशः 3187 लाख क्रेट और 230 लाख क्रेट रहा ।

(ग) और (घ) वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस पर आयातित कच्चे माल के अलावा कोका कोला निर्यात निगम के पास निर्यात सम्बर्धन नीति के अन्तर्गत प्राप्त किए गए लाइसेंसों पर उपलब्ध आगे के लिये स्टाक था । 31-3-1971 तक उन्हें निर्यात के 20% तक के बराबर पुनर्भरण आयात की अनुमति प्राप्त थी जो 1971-72 से घटाकर 4.5% कर दी गई है । चूंकि बोतल भरने वाले संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अब निर्यात संवर्धन कोटा उपलब्ध नहीं है अतः 1972-73 में बोतल भरने वाले संयंत्रों का 7 लाख रुपये का तदर्थ नियतन किया गया है । उनको यह नियतन वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस के अलावा चालू नीति के अनुसार किया गया है । इन परिस्थितियों में न्यायिक जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एस० मुरनगनन्त्रम : मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

श्री के० एस० चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोका-कोला और फैन्टा के अतिरिक्त उत्पादन से शरबत तथा सिरप बनाने वाले छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? यदि हां, तो इन छोटे व्यापारियों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न तथ्यात्मक जानकारी के बारे में है और आप प्रतिकूल प्रभाव के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इन छोटे व्यापारियों के हितों की सुरक्षा हेतु, क्या कार्यवाही करने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय इसका उत्तर आप को नहीं अपितु मंत्री महोदय को देना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता । यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री के० एस० चावड़ा: पिछले सत्र के दौरान भी यह प्रश्न उठाया गया था और आपने इसकी अनुमति भी दी थी और तब यह कहा गया था कि यह प्रश्न औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बद्ध है । पिछले सत्र में किए गए प्रश्नों एवं उत्तरों की सूची मेरे पास है ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य इस संबंध म पृथक प्रश्न का नोटिस दें । यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न के (घ) भाग से संबंधित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि शरबत तथा सिरप बनाने वाले छोटे व्यापारियों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार क्या उपाय करेगी

अध्यक्ष महोदय : आप बहस न कीजिए ।

श्री के० एस० चावड़ा : यह अनुचित है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक कोका-कोला की बोतल के पीछे जो हम पीते हैं 25 पैसे अमरीका को मिलते हैं।

श्री सिद्धेश्व र प्रसाद : हमारे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन : इस प्रश्न पर पिछले कई सत्रों में चर्चा हो चुकी है ।

श्री के एस० चावड़ा : पिछले सत्र के दौरान भी मैंने यह प्रश्न पूछा था और तब भी कहा गया कि सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जी० सिद्धेश्वर प्रसाद : हम यह जानते हैं कि कोका-कोला निर्यात निगम को 100 रुपये स्वदेश भेजने के लिए 120 रुपये अर्जित करने होते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : यह कोई उत्तर नहीं है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री चित्तिबाबू : कोका कोला की एक बोतल के पीछे अमरीका को 25 पैसे मिलते हैं।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : आपका यह कथन सही नहीं है क्योंकि जितना कुछ धन अमरीका भेजा गया है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : विधिवत् रूप से ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : वह लगभग 2 करोड़ रुपया है। अतः वार्षिक उत्पादन की दृष्टि से एक बोतल के पीछे 25 पैसे नहीं हो सकते।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : तो फिर वास्तव में कितना भेजा जाता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसका मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा और मैं अभी हिसाब नहीं लगा सकता । मुख्य बात तो यह है कि. . . . . .

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : कितना धन वहां जाता है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस प्रक्रिया में हमें विदेशी मुद्रा की आय होती है क्योंकि जितना धन हम बाहर भेजते हैं उससे अधिक निर्यात से कमा लेते हैं और इसी आधार पर हम उन्हें ऐसा करने देते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हमें प्रति बोतल अमरीका को कितना देना पड़ता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कोका कोला निर्यात निगम परम्परागत वस्तुओं जैसे काजू, चाय, काफी इत्यादि का भी निर्यात करता है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : केवल कोका-कोला का निर्यात . . .

श्री ज्योर्तिमय बसु : यह सही नहीं है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : तब मैं पता करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The price of the coca cola is not the same in all parts of the country. It is different in different cities. In Bihar a bottle of coca cola costs one rupee, in Orissa it costs one rupee and twenty five paise and in Srinagar it costs one rupee and fifty paisa whereas we get it here only for 50 paise. So, I wish to know if the Government propose to fix a uniform price for it?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : कोका कोला की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह कोई आवश्यक पदार्थ नहीं है। मैं तो चाहूंगा लोग कोका कोला पिएं ही नहीं। जितनी जल्दी हमें इससे छुटकारा मिले, उतना ही अच्छा है।

Shortage of Raw Materials required by Bihar Small Scale Industries Corporation

*534. **Shri Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Small Scale Industries Corporation is facing great difficulty in getting the supply of scarce raw material;

(b) the extent to which the quantity of scarce raw material supplied by the Centre falls short of the reqirements of Bihar; and

(c) whether it is proposed to increase the supply thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a), (b) & (c) A general shortage of certain scarce raw materials is experienced in Bihar as well as in the other States of the country. Since information regarding the actual requirements of small scale units is not available, it is difficult to assess the exact extent of shortage. However, efforts are being continuously made to increase the allocation of raw materials for small scale industries, depending upon their availability.

Shri Madhukar : Bihar State is backward in respect of small scale industries as there is acute shortage of raw material. Bihar Government and Bihar Small Scale Industries Corporation have time and again invited the attention of Central Government to the scarcity of raw material in the State, but the centre has not so far been in a position to meet that shortage. May I know the reasons for it?

Shri Siddheshwar Prasad : Sir, as I have said in the answer to the original question, efforts are continuously being made to increase the supply of raw material to Bihar and there has been definite increase in the supply during the last three years. Supply of raw material to Bihar or Bihar Industrial Development Corporation was being made through Hindustan Steel. But Bihar could not lift as much raw material as was allotted to the state for their requirements. We have again asked Hindustan Steel to give more help to the State.

Shri Madhukar : May I know whether Government have made any assessment about the total requirement of raw material for the small scale industries in Bihar; and the percentage thereof being supplied by Government?

Shri Siddheshwar Prasad : Sir, no assessment has so far been made about the total capacity of small scale industries in Bihar State. I have asked the State authorities to make such an assessment. I hope Bihar Government will collect the required information by the end of next year. Such instructions have been given to other states also. After the relevant information is made available to the centre, a policy will be laid down in this regard. We will try our best to meet the requirement of raw material of the small scale industries in full.

श्री राम सहाय पांडे : कच्चे माल के अभाव से न केवल बिहार के लघु उद्योगों के सामने संकट आया हुआ है, बल्कि इससे उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने का सिद्धान्त धराशायी हो रहा है। न केवल बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

Shri Siddheshwar Prasad : There has been constant increase in the supply of raw material to the small scale industries during the last few years. Raw material in increased quantity was supplied to various states. Moreover, necessary steps will be taken to feeds the small scale industries according to their requirements and to remove the difficulties being faced by them.

Shri Ramavatar Shastri : I would like to know whether Government have seen the reports in the newspapers of Bihar regarding the closure of many small scale industries in the state and if so, what steps Government propose to take immediately to deal with this crisis?

Shri Siddheshwar Prasad : Wherever, crisis arose due to shortage of raw material, we tried to supply more raw material. As regards the supply of steel, Bihar got 4463. tonnes of steel during 1969-70 and this quantity increased to 6956 tonnes during 1971-72 Similarly, increase has been made in the supply of other materials too.

Shri R. P. Yadav : Will Government take any steps to ensure that Bihar Government lift all the raw material allotted to them in view of the fact that they failed to lift all the raw material allotted to the state last time ?

Shri Siddheshwar Prasad : It is a suggestion for action an I will draw the attention of Bihar Government towards it.

Mr. Speaker : This is enough. Now I will take up next question.

शिक्षाप्रद टेलीविजन के लिए उपग्रहों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत में गोष्ठी का आयोजन

*535. **श्री एम० कतामुतु:**

श्री किशन मोदी श्री :

क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार टेलीविजन पर शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के लिए उपग्रहों के उपयोग के सम्बन्ध में भारत में विचारगोष्ठी आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस गोष्ठी में कितने देश भाग लेंगे; और

(घ) उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन व्यवस्था के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के पैनल की एक बैठक 12 से 20 दिसम्बर, 1972 तक भारत में होगी।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियन्त्रित निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेने के लिए शामिल हो रहे हैं :—

आस्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया, ईरान, आइवरी कोस्ट, जापान, केनया, मलयेशिया, मंगोलिया, नाइजीरिया, फिलीपीन तथा थाईलैंड।

इसके अलावा, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमरीका के विशेषज्ञ भी व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग ले रहे हैं।

(घ) इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अन्तरिक्ष विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण, कृषि, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालयों के अधिकारी करेंगे।

श्री एम० कतायुतु : इस विचारगोष्ठी में समाजवादी देश भाग क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त : रूस को निमंत्रित किया गया था, किन्तु वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका। अमरीका की भी यही स्थिति है। किन्तु ऐसी बैठकें समय-समय पर विभिन्न देशों में होती रहती हैं। इस बार यह निर्णय किया गया था कि बैठक विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए हो और ऐसे देश में हो जहां उपग्रह-संचार और टेलिविजन व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली गई हो। इसी कारण से यह गोष्ठी भारत में हुई। पहले यह विचार था कि इस गोष्ठी को केवल उन देशों तक सीमित रखा जाए जो एशिया और सुदूरपूर्व देशों के लिए आर्थिक आयोग (इकाफे) के सदस्य हैं। बाद में, अफ्रीकी क्षेत्र के देश—अफ्रीका आर्थिक आयोग से सम्बन्धित देश—भी सम्मिलित कर लिए गए थे। अतः इसमें भाग लेने वाले अधिकतर देश एशिया और अफ्रीका के हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन मोदी

श्री श्रीकिशन मोदी : मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that it will not be possible for any country to check the propaganda to be done through satellites? Is it also a fact that in a U.N. meeting, India said that countries, which did not want such propaganda, may be allowed to keep off ?

Shri **K. C. Pant** : It is a complicated question. But it is a fact that those countries, which do not want any programme should not be forced to hear or see such programmes one such code has been in UNESCO and the same has been discussed in U.N. also, where we made our view clear.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can we check the propaganda?

Shri K. C. Pant : This is a question of evolving a code.

विदेशी-नियंत्रित कम्पनियों द्वारा अपने देशों को धन भेजा जाना

*536. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेश-नियंत्रित कम्पनियां, जिनके कार्यालय भारत में हैं, वास्तव में वस्तुओं का स्वयं निर्माण न करके अपने व्यापार-चिह्न से ही व्यापार करती हैं और मुख्यतः भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे कारखानों में निर्मित वस्तुएं ही बेचती हैं ?

(ख) क्या बहुत-सी विदेशी कम्पनियां थोड़ी-सी पूंजी लगाकर अपने देशों को काफी बड़ी धनराशि भेजने में सफल हो जाती हैं, क्योंकि देश में ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग अत्यधिक है; और

(ग) क्या सरकार विदेशी फर्मों की इन गतिविधियों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। इस प्रकार के कुछेक मामले जानकारी में आए हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में उचित संशोधन किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारत में कितने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्न प्रयोग में आ रहे हैं, उनमें से कितनी कम्पनियां अपना माल स्वयं तैयार करती हैं और कितनी अपना माल भारतीय निर्माताओं समेत अन्य निर्माताओं से तैयार करवाती हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमारी जानकारी में जो मामले आए हैं, वे हैं : 1. सिंगर स्वीइंग कम्पनी, 2. चेसबोरो पोण्ड्स लिमिटेड, 3. फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी, 4. यूनियन कार्बाइड, 5. कालगेट पामोलिव और 6. बाटा शू कम्पनी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था। क्या श्री सुब्रह्मण्यम इसका उत्तर देंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं भारत में स्थित विदेशी पेटेन्टों की संख्या तत्काल नहीं बता सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पेटेन्ट नहीं, व्यापार चिन्ह।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे सहयोगी ने उन फर्मों के नाम बताए हैं जो विभिन्न वस्तुओं के वितरण के लिए अपने व्यापार चिह्नों का उपयोग कर रही हैं। उनकी संख्या जानने के लिए वह एक अलग प्रश्न की सूचना दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने कितने रुपये स्वदेश भेजे और इनसे हमें कितना आर्थिक और प्रगति का लाभ मिला ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : ये कम्पनियां भूतकाल में अस्तित्व में आई और उनमें से कुछ विशेष कर दो—यहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं करती हैं। वे यहां केवल माल का वितरण करती हैं। अन्य कम्पनियां अधिकतर निर्माण करने वाली कम्पनियां हैं और इसके साथ-साथ वे अन्य लोगों द्वारा निर्मित माल का वितरण भी करती हैं। उनमें से कुछ ने निश्चय ही आर्थिक उन्नति में अपना योग दिया है और इसके साथ उन्हें भी लाभ हुआ है। अब हम इस स्थिति में हैं कि उनके कार्य पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करें। इसीलिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा था कि गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने कितना रुपया स्वदेश भेजा।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या हाल ही में कुछ विदेशी कम्पनियों ने स्वयं ही अपने आपको भारतीय कम्पनियों में बदलने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी गई है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में हमारा सिद्धांत है कि वे धीरे-धीरे अपनी विदेशी पूंजी कम करती जाएं। जब भी वे विस्तार के लिए तथा नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए कहते हैं, तो हम उन पर इस बात के लिए ज़ोर डालते हैं कि वे अपने विदेशी इक्वीटी पूंजी के आधार को कम करते जाएं। यह धीरे-धीरे हो रहा है।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या सरकार का विचार विदेशी इक्वीटी को कम करके 26 प्रतिशत तक करने का है, यदि हां, तो कब ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अब हमने 40 प्रतिशत की सीमा रखी है। प्रत्येक विदेशी कम्पनी को अपनी इक्वीटी 40 प्रतिशत तक घटा लेनी चाहिए। पर कुछ मामलों में हम 51 प्रतिशत तक की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों में कराधान सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल का विकास

*537. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष उपाय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के दौरान देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कार्यनीति और आयामों पर सम्बद्ध प्रश्नों सहित, अभी विचार किया जा रहा है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या राज्य सरकार ने किन्हीं विशेष नये उद्योगों को शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से बात की है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में क्या कार्रवाई की है ?

श्री मोहन धारिया : जैसा मैंने बताया कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। योजना तैयार करते समय हम केरल सरकार की ऐसी सभी आवश्यकताओं पर विचार करेंगे।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केरल राज्य में भयंकर बेरोज़गारी है, क्या केन्द्रीय सरकार केरल में रोज़गार-प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए कदम उठाएगी ?

श्री मोहद धारिया : जी हां।

श्री एम के० कृष्णन : क्या सरकार केरल में एक इस्पात कारखाना स्थापित करेगी और कोज़ीकोड के लौह-खनिज का उपयोग करेगी ?

श्री मोहन धारिया : मैं बता चुका हूं कि पांचवीं योजना अभी बन रही है। हमारा यह पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम लौह-खनिज समेत केरल में विद्यमान सभी संसाधनों का, जहां तक सम्भव हो, केरल की आवश्यकतानुसार उपयोग करें।

संसद् सदस्यों की सिफारिशों पर स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन देना

*539. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गत बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी कि संसद् सदस्यों के सिफारिश करने पर उन स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों पर भी पेंशन देने के लिए विचार किया जाएगा जिनके जेल जाने के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने संसद् सदस्यों ने ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सिफारिश की है;

(ग) उनमें से राज्यवार कितनों को तथा किस-किस को पेंशन स्वीकृत की गई है; और

(घ) उन सभी को पेंशन न देने के क्या कारण हैं जिनके मामलों की सिफारिश संसद् सदस्यों ने की थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस संबंध में एक घोषणा गत वर्षाकालीन अधिवेशन में की गई थी न कि बजट अधिवेशन में कि यदि जेल प्राधिकारियों अथवा जिला मैजिस्ट्रेट से सजा के प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो किसी संसद् सदस्य अथवा विधायक अथवा भूतपूर्व संसद् सदस्य अथवा भूतपूर्व विधायक, जो आवेदक के साथ जेल में रहा हो, द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र, जिसके साथ आवेदक द्वारा सजा का शपथपत्र भी हो, के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता। 1,10,000 से भी अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं और न तो उन संसद् सदस्यों की संख्या बताना सम्भव है, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की सिफारिश की है और न ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम व संख्या देना सम्भव है जिनकी ऐसी सिफारिश की गई है।

2. इसी प्रकार 6,000 से भी अधिक मामलों में पेंशन की स्वीकृति के लिए अनुमोदन कर दिया गया है। ये जेल प्राधिकारियों, जिला मैजिस्ट्रेटों और संसद् सदस्यों/भूतपूर्व संसद् सदस्यों, विधायकों/भूतपूर्व विधायकों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर स्वीकृत की गई हैं। बड़ी संख्या में अनुमोदित मामलों के कारण यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन से मामले किसी संसद् सदस्य की सिफारिश के आधार पर स्वीकृत किए गए थे। किन्तु जब तक कोई संसद् सदस्य अथवा उस मामले के लिए कोई भूत-पूर्व संसद् सदस्य आवेदक के साथ सहबन्दी न रहा हो, तब तक ऐसे मामलों में की गई कोई सिफारिश सजा का वैध सबूत नहीं समझा जा सकता। उन मामलों की संख्या बताना भी सम्भव नहीं है जिनमें संसद् सदस्य की सिफारिश, उनके सहबन्दी न होने के कारण, स्वीकृत नहीं की जा सकी।

Shri Ramavatar Shastri : After going through the statement I have come to the conclusion that why few freedomfighters, who had been in prisons with members of Parliament for more than six months have been granted pension. Is it a fact that even after the recommendation of an M.P. that such and such person had been in prison for more than six months with him, the Secretary of Home Affairs Department had asked them to send a letter of some M.P. or some ex-M.P. to that effect? If so, the reasons therefor?

Shri K.C. Pant: Where a M.P. has given the certificate that such and such freedom-fighter had been in Jail with him, according to our rules we take it as correct. If any such case has come to the notice of the hon. member, as he has stated just now, he may please forward that to us.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार एक संसद् सदस्य का साथ हरेक का कैसे हो सकता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसे कुछ लोग हैं। विशेषकर इस ओर से हमारे पास बहुत-से प्रार्थनापत्र आए हैं।

I may clarify one thing more that we should not think that these persons are being given less. But it is sure they are being given numbervise, they are being given preference. Those who had sent their applications earlier are getting early and others may be getting some time after.

Shri Ramavatar Shastri : Even after the recommendation of MP's are the State Governments also asked, if so, why? Will the Government take steps to give pensions to such persons soon?

Shri K. C. Pant : First of all a copy of the application goes to the State Government and another one to the Central Government, on which investigations are conducted. Secondly, many MPs' have written that such and such person had been in Jail with him but they have not given the specific time. It is possible that in such cases there may be some investigations to see whether that person was in Jail for more than six months or not. MPs authentication was about Jail but he cannot certify other necessary things and that is why investigations are conducted. It is possible that for such matters State Governments might have been asked to investigate.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

*521. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार योजना से संबंधित प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) केन्द्र में आयोजन तंत्र यानी योजना आयोग का हाल ही में निम्न प्रकार पुनर्गठन किया गया है :—

(1) आयोग में प्रभागों का अधिक संगत वर्गीकरण जिसमें (क) विभिन्न क्षेत्रों का काम करने वाले समान प्रभागों तथा उनके अन्तः सम्बन्ध, (ख) योजना निरूपण तथा समन्वय प्रभागों तथा (ग) सेवा प्रभागों का स्पष्ट सीमांकन हो;

(2) समान प्रभागों को सुदृढ़ करना ताकि उन्हें (क) दीर्घकालीन क्षेत्रीय आयोजन, (ख) परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की तैयारी तथा काम होने से पूर्व मूल्यांकन, (ग) योजना निष्पादन का प्रबोधन और (घ) अपने काम में सूचना विषय-वस्तु में सुधार का काम शुरू करने में पूरी तरह सज्जित किया जा सके;

(3) परियोजना मूल्यांकन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन व सूचना को प्रोत्साहन समर्थन में सेवा प्रभागों में आवश्यक विशेषज्ञता का निर्माण किया जा सके; और

(4) काम के जिन क्षेत्रों और/या क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें अध्ययन और अनुसंधान के लिए नये पदों का चयन।

जहां तक राज्य स्तर पर आयोजन तंत्र का संबंध है, वहां संगठनात्मक संरचना और राज्यों के आयोजन विभागों के कार्य की आम समीक्षा की गई और यह अनुभव किया गया कि इस समय राज्यों में विद्यमान आयोजन संगठनों में न तो पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं और न ही जनता का सहयोग प्राप्त किया गया है। इन निष्कर्षों तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने राज्यों से सिफारिश की है कि (क) शीर्ष आयोजन संगठनों की स्थापना की जाए और (ख) राज्य आयोजन विभागों को सुदृढ़ किया जाए, इस संबंध में वांछित सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(क) राज्य स्तर पर एक शीर्ष संगठन होना चाहिए जिसमें मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री तथा विभिन्न विभागों और विषयों के प्रतिनिधि होने चाहिएं।

(ख) शीर्ष संगठन के काम को तकनीकी विशेषज्ञों की अध्यक्षता में गठित संचालन दलों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति (अध्यक्ष) सरकार से बाहर विशेषकर कृषि, उद्योग, सिंचाई और बिजली, समाज सेवाएं, परिवहन, जनशक्ति व रोजगार क्षेत्रों के होने चाहिएं। इन संचालन दलों के अध्यक्ष ऊपर (क) में दर्शाए गए शीर्ष आयोजन संगठनों के सदस्य होने चाहिएं।

(ग) इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए कि शीर्ष आयोजन संस्था योजना तैयार करने में मार्गदर्शन करने तथा योजना के कार्यान्वयन में प्रबोधन का कार्य करने में सक्रिय है, एक पूर्णकालिक गैर-सरकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए जो शीर्ष संस्था का प्रमुख होगा। उपाध्यक्ष राज्य योजना विभागों के माध्यम से कार्य करेगा। इन विभागों को शीर्ष आयोजन संस्थाओं के सचिवालयों के रूप में कार्य करना चाहिए।

(घ) योजना विभागों को इस बात में सहायता पहुंचाने के लिए कि वे शीर्ष आयोजन संस्थाओं के लिए अपने सचिवालयी कार्यों को पर्याप्त रूप से कर सके उनके कर्मचारियों की संख्या में समुचित वृद्धि की जानी चाहिए। इस हेतु उनमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ सम्मिलित किए जाएं। साथ ही इन विभागों का विभिन्न एककों में कार्यात्मक दृष्टि से पुनर्गठन भी किया जाना चाहिए। ये यूनिट मुख्य रूप से निम्न प्रकार होंगे :—

(1) **भावी योजना यूनिट** :—संसाधन संबंधी तालिकाएं तैयार करना तथा उन्हें अद्यतन करना तथा दीर्घावधि भावी योजनाएं तैयार करना;

(2) **प्रबोधन, योजना, सूचना तथा मूल्यांकन यूनिट**

(3) **परियोजना निर्माण यूनिट**—निवेश परियोजनाएं तैयार करने में विभिन्न विभागों की सहायता करना तथा उनका प्रत्याशित मूल्यांकन;

(4) **क्षेत्रीय/जिला आयोजन यूनिट**—क्षेत्रीय तथा जिला आयोजना प्राधिकारियों को मार्ग-दर्शन प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता पहुंचाना; तथा

(5) **योजना समन्वय यूनिट**—विकास के वर्तमान/प्रत्याशित स्तर का मूल्यांकन, अगले पांच/एक वर्ष के लिए समेकित नीति के अन्तर्गत परस्पर प्राथमिकताओं का निर्धारण, जन-शक्ति, माल तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि का निर्धारण तथा स्थानीय तथा क्षेत्रीय योजनाओं को एक संतुलित एवं कार्यशील योजना में समंजित करना।

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पर श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा

*522 **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ पांचवीं योजना के दृष्टिकोण और विशेष रूप से प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने सहित औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में नीतियों पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन/धारिया) : (क) मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने और वेतन-मूल्य-आय सम्बन्धी नीति तैयार करने की सम्भावना जैसे मामलों पर

सितम्बर, 1971 में संगठनबद्ध श्रमिकों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई थी। लेकिन पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1973-74 की वार्षिक योजना के बारे में राज्य सरकारों के साथ योजना आयोग की बातचीत

*524. **श्री के० लकप्पा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों के साथ वर्ष 1973-74 के लिए उनकी वार्षिक योजनाओं के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को करों के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1973-74 की वार्षिक योजना के बारे में कुछ राज्य सरकारों के साथ चर्चा पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य राज्यों के साथ अभी जारी है।

(ख) जी, हां। जिन राज्य सरकारों के साथ चर्चा हुई है उनको यह परामर्श दिया गया है कि वे यथासम्भव अधिक-से-अधिक अतिरिक्त संसाधन जुटाएं ताकि विकास की गति को तीव्र किया जा सके।

(ग) उन राज्य सरकारों ने, जिनके साथ चर्चा हो चुकी है, योजना आयोग के इस परामर्श को सामान्यतः स्वीकार कर लिया है। किन्तु राज्यों की निश्चित प्रतिक्रिया केवल विधान-मंडलों में उनके बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही पता चल सकेगी।

असम-नागालैंड सीमा विवाद

*525. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड सरकार ने असम-नागालैंड सीमा विवाद संबंधी अन्तरिम समझौते का उल्लंघन करने के बारे में असम को दोषी ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) नागालैंड सरकार ने असम-नागालैंड सीमा के चार अंतरिम करारों में से एक के उल्लंघन के बारे में कुछ समय पूर्व शिकायत की थी। इस करार की एक प्रतिलिपि जो काकाडेंगा जंगल से संबंधित है संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०-4092/72] नागालैंड की शिकायत यह है कि यिम्पांग, चम्पांग, पुरानी तसोरी तथा नई तसोरी के ग्रामवासी जिन्होंने इस जंगल क्षेत्र में बहुत पहले से कृषि की थी असम सरकार द्वारा नए लोगों को वहां बसा कर उन्हें कृषि करने के अधिकारों से वंचित करना था। जांच करने के बाद असम सरकार ने इन आरोपों का खण्डन किया है तथा लिखा है कि इस जंगल की कोई भूमि न तो तथाकथित गांवों के निवासियों की वास्तविक कृषि के अंतर्गत है और न ही 23 मई, 1972 को अन्तरिम करार में हस्ताक्षर होने के पश्चात् इस जंगली क्षेत्र में नई बसापत के लिए कोई भूमि ही दी गई है।

केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक

०526. **श्री प्रभु दास पटेल :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद की बैठक 18 नवम्बर, 1972 को हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (सी० सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया :—

(1) सामान्य आर्थिक स्थिति और औद्योगिक विकास :

(2) अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग ;

(3) मशीन निर्माण उद्योग के क्षेत्र में पूर्ण आत्म निर्भरता ; और

(4) उद्योगों को तकनालाजी की सहायता।

'कैथोड़ रे ट्यूब' के लिए फासफोरस तैयार करने के बारे में पेटेन्ट के लिए आवेदन-पत्र

*529. **श्री के कोंडंडा रामी रेड्डी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केथौड रे ट्यूब" के लिये फास्फोरस तैयार करने के बारे में पेटेन्ट के लिय एक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 1968 से विवाद चल रहा है ;

(ख) क्या इस महत्वपूर्ण पेटेन्ट को, जिससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, पिछले तीन या चार वर्षों से रोके रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) वर्ष 1966–67 के दौरान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) के चार वैज्ञानिकों ने कैथोड़ रे ट्यूब के लिये फासफोरस पर कार्य प्रारम्भ किया था। वर्ष 1968 में इसकी आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। फिर भी, यह फासफोरस आयातित सामग्री पर निर्भर था और इतना होने पर भी आयातित फासफोरस के मुकाबले में अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अन्तर्गत वर्णक्रम संदर्भ में उतनी चमक प्राप्त न हो सकी, जितनी होनी चाहिये थी। उत्पादन के लिये भी यह लाभ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया।

दल के प्रधान ने इस फासफोरस को पेटेन्ट करने के लिये आज्ञा मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सितम्बर, 1969 में उन्होंने पूर्णरुपेण व्यक्तिगत तथा घरेलू कारणों के आधार पर त्यागपत्र दे दिया और अमरीका चले गये। अन्य वैज्ञानिकों से पेटेन्ट लिखने के लिये अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक इन लोगों ने पेटेन्ट को लिपिबद्ध नहीं किया है ।

टेलीविजन के लिये तथा अन्य कार्यों के लिये उपयोगी स्वदेशी तथा अधिक गुणों से सम्पन्न फोस्फर पर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) में कार्य किया जा रहा है। जब इसका उत्पादन होने लगेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है।

इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा डाक्टरों के लिए राज्यों में रोजगार योजनाएं

*530. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से उच्च योग्यता प्राप्त इजीनियरों, तकनीशियनों और डाक्टरों के लिये उनकी रोजगार योजनाओं के बारे में सूचना मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको रोजगार देने सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) 1. योजना आयोग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर 1971–72 में निम्नांकित स्कीमें पहले ही शुरू की जा चुकीं हैं :—

(1) ग्रामीण इजीनियरिंग सर्वेक्षण ;

(2) कृषि सेवा केन्द्र ;

(3) सिंचाई और बिजली परियोजनाओं का अन्वेषण ;

(4) राष्ट्रीय राजमार्गों का अन्वेषण ;

(5) ग्रामीण जलपूर्ति के लिये अभिकल्प (डिजाइन) एककों का गटन ;

(6) बीज पूंजी, किराया खरीद सुविधाओं और संचालनात्मक औद्योगिक बस्तियों के माध्यम से अपना धंधा शुरू करने के लिये प्रोत्साहन।

चालू वर्ष के दौरान, छोटे उद्योगों द्वारा इंजीनियरों और डिप्लोमा होल्डरों को रोजगार देने की स्कीम शुरू की गई है। इसके लिये सरकार 50 प्रतिशत इमदाद देगी।

2. सम्बद्ध उद्योगों के राज्य मंत्रियों की सितम्बर 1972 में दिल्ली में हुई बैठक में, औद्योगिक विकास और विज्ञान व औद्योगिकी मंत्री ने राज्य मंत्रियों को सलाह दी थी कि वे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को रोजगार देने की स्कीमें तैयार करें और दिसम्बर, 1972 तक उन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दें ; औद्योगिक विकास मन्त्रालय इन स्कीमों की प्रतीक्षा कर रहा है।

3. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये योजनायें तैयार करें ताकि प्राकृतिक ससाधनों की खोज की जा सके और इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों को रोजगार के अवसर सुलभ किये जा सकें। अनेक राज्यों से स्कीमें प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच की जा रही है। इस प्रकार तथा वैज्ञानिकों तथा उच्च योग्यता प्राप्त तकनीशियनों के लिये जो अन्य स्कीमें हैं उनके लिये चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय बजट में 20 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

पर्याप्त इंजीनियरी और अन्य तकनीकी जनशक्ति वाले विशेष रोजगार कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को 1972–73 में कुल 27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सरकार ने डाक्टरों को रोजगार देने के बारे में राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को कोई मार्गदर्शी विशेष सिद्धान्त जारी नहीं किये हैं। फिर भी, राज्य सरकारों से वार्षिक योजना पर चर्चा करते समय इस बात पर बल दिया गया है कि वर्तमान रिक्त स्थानों को भरने के लिये तत्काल कदम उठाना चाहिये और जहां संभव हो डाक्टरों के लिये और पदों का सर्जन किया जाय।

सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंको को विशेष रूप से हिदायत दी है कि वे शिल्प उद्यमियों एवं डाक्टरों के स्वनियोजन में सक्रिय रूप से वृद्धि करें।

1973–74 की वार्षिक योजना पर इस समय विचार विमर्श हो रहा है । विचार विमर्श में राज्य सरकारों एंव केन्द्रीय मंत्रालयों को सलाह दी जा रही है कि वे उन स्कीमों पर विशेष ध्यान दें जो इंजीनियरों एवं शिल्पवैज्ञानिकों के लिये रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करेंगी। सरकार का प्रयास एक ऐसी नीति अख्तियार करना होगा जिसका लक्ष्य प्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से तथा स्वनियोजन की सुविधाओं के माध्यम से चौथी योजना की अवधि की समाप्ति तक सभी बैरोजगार इजीनियरों एवं उच्च योग्यता प्राप्त शिल्प वैज्ञानिकों को रोजगार दिलाना होगा।

आसाम की भाषायी समस्या पर बातचीत के लिये आसाम और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों की प्रधान मंत्री के साथ बैठक

*531. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आसाम और पश्चिम बगाल के मुख्य मंत्री आसाम की भाषाई समस्या पर बातचीत करने के लिये प्रधान मंत्री से मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक का क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री असम व पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों से निकट सम्पर्क बनाये रही है और असम व पश्चिम बंगाल की हाल की गतिविधियों के बारे में उनसे अलग-अलग और एक साथ मिली थी। वे सामान्य स्थिति बनाये रखने में तथा विभिन्न भाषाई वर्गों के बीच शीघ्र मैत्री पूर्ण सम्बन्ध पुनः स्थापित करने में उत्सुकता से संलग्न हैं।

आकाशवाणी के कोजीकोड़ केन्द्र के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायत

0538. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट सिटी पौर समिति से आकाशवाणी के कोजीकोड केन्द्र के कार्य-करण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है और उसकी मांग क्या है ; और

(ग) उस की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) : जी, हां ।

(ख) शिकायत अस्पष्ट और सामान्य प्रकार की थी तथा इसमें आकाशवाणी के कोजीकोड केन्द्र के मामलों की व्यापक जांच किये जाने की मांग की गई थी।

(ग) शिकायत पर जांच की गई और इसको निराधार पाया गया।

दिल्ली में सार्वजनिक संस्थानों के निकट शराब की दुकानें खोलना

*540. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थानों, विशेषकर लड़के तथा लड़कियों के स्कूलों के निकट शराब की नई दुकानें खोली गई हैं ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन उन क्षेत्रों से जहां के अधिकांश लोग शराब की दुकानें नहीं, चाहते शराब की दुकानें हटाने सम्बन्धी विरोध तथा अनुरोध पर ध्यान नहीं दे रहा है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा दिल्ली प्रशासन को इस बारे में आवश्यक कदम उठाने के लिये कहने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि देशी शराब की नई दुकानें सार्वजनिक संस्थानों के निकट नहीं खोली गई हैं। इन दुकानों के स्थानों का चुनाव धार्मिक स्थानों, तथा शिक्षा संस्थाओं से उनकी दूरी देशी शराब की मांग की एकाग्रता, विधि तथा व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा इत्यादि को ध्यान में रखकर किया गया था। इन दुकानों में से दो दुकानों को हटाने के लिये दिल्ली प्रशासन को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे किन्तु उन्हें न्यायोचित नहीं पाया गया।

(ग) जी, नहीं श्री मान।

स्वनियोजित स्नातक इंजीनियर

*5049. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उन स्वनियोजित स्नातक इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकार द्वारा स्नातकों को अपना रोजगार आरम्भ करने में सहायता देने की योजना आरम्भ किये जाने के बाद अपना रोजगार स्वयं पैदा किया है; और

(ख) ऐसे इंजीनियरों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिये क्या प्रोत्साहन तथा सुविधायें दी जा रही हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) योजना में औद्योगिक बस्ती, मशीन खरीदने के लिये प्रारम्भिक धन देना, व्यवस्था प्रभार और प्रशिक्षण के लिये समन्वित सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

फोटोग्राफी कागज का बनाया जाना

5050. **श्री मुहम्मद खुदाबख्श** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने वर्ग मीटर फोटोग्राफी का कागज बनता है तथा उसका मूल्य क्या हैं; और

(ख) देश में इस कागज की वास्तविक आवश्यकता कितनी हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संगठित क्षेत्र में सभी प्रकार के फोटोग्रैफिक कागजों का उत्पादन 1971 में 3.30 मिलियन वर्ग मी० हुआ जिसकी कीमत 376.79 लाख रुपये है। 1972 में भी 1971 जितना उत्पादन होने की आशा है। अधिष्ठापित क्षमता 3.7 मिलियन वर्ग मीटर है।

(ख) वार्षिक मांग 3.50 मि० वर्ग मीटर के आसपास है।

कोलार जिले (मैसूर) के एक गांव में एक लड़के की बलि दिया जाना

5051. **श्री जो० वाई० कृष्णन् : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार, जिले (मैसूर) के एक गांव में एक व्यक्ति ने उसके द्वारा बनाये गये एक मकान के बदले में 8 अक्तूबर, 1972 को अपने 5 मास के एकमात्र पुत्र की बलि दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोलार जिले में अलाम्बदी ग्राम के जायाप्पा नामक एक व्यक्ति ने 18 अक्तूबर, 1972 को अपने 5 महीने के बच्चे की हत्या की थी। पुलिस द्वारा अपराध की जांच पड़ताल के दौरान, यह मालूम हुआ कि अभियुक्त का मस्तिष्क विकृत था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया है कि अभियुक्त की जांच मनोरोग चिकित्सक से कराई जाये। अबतक की गई जांच पड़ताल से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि यह एक मानव बलि का मामला है।

Alleged Bungling in small savings accounts in Bhopal Cantonment Post Office

*5052. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Communications** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there has been a large scale building by the employees of the Cantonment Post Office of Bhopal, Madhya Pradesh in the small savings Accounts;

(b) whether the employees of the said Post Office have withdrawn amount from the small saving accounts of the people and utilised it themselves; and

(c) whether any inquiry has been held in the matter and if so, the outcome thereof?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) The Sub-post-master Chhaoni Vilatayan Post Office (Bhopal) has misappropriated certain amounts in respect of 7 Savings Bank accounts by making fraudulent withdrawals and non-credit of the amounts of deposits.

(c) The matter is under police investigation.

Installation of Radio sets under community listening scheme

5053. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the assistance, grants or loans being given by the Central Government for installation of Radio sets under the co.nmunity listening scheme which had been in operation in Madhya Pradesh since 1950 was discontinued with effect from the 1st April, 1969; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) Government of India's scheme for grant of subsidy to State Governments for the installation of community receiving sets, which was started in 1954-55, withdrawn with effect from Ist April 1969 in pursuance of a decision taken by the Committee of the National Development Council.

Community Radio sets for Adivasi Areas in Madhya Pradesh

5054. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have asked for grant from the Centrol Government for purchasing community radio sets for the adivasi areas;

(b) whether the State Government have informed the Central Government in regard to the number and cost of the radio sets to be purchased;

(c) if so, the amount of the grant asked for and the number and cost of the radio sets to be purchased; and

(d) the action taken by Central Government so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

विदेशी सहयोग से सैफ्टी रेजर ब्लेडो का निर्माण

5055. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में (31 अक्तूबर, 1972 तक) सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाने के लिये कितने मामलों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपनी विद्यमान लाइसेंसीकृत क्षमता में प्रतिवर्ष 5000 लाख स्टेंनलैस स्टील सेफ्टी रेजर ब्लेडों की उत्पादन क्षमता के लिये ब्रिटेन की एक पार्टी से तकनीकी सहयोग करने की भारतीय पार्टी को स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) इस उद्योग में विदेशी सहयोग की 5 प्रतिशत तक रायलटी के आधार पर अनुमति है।

रीजनल फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास द्वारा मलयालम के चल-चित्र निर्माताओं को परेशान किये जाने का समाचार

5056. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के क्षेत्रीय निदेशक मलयालम चल-चित्र निर्माताओं को परेशान करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों की जांच करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) मलयालम फिल्म निर्माताओं की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई। साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स ऐसोसियेशन द्वारा प्रादेशिक अधिकारी, मद्रास के विरुद्ध की गई शिकायतों की केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जांच की गई और शिकायतें दूर कर दी गईं।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड की बैठक

5057. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की आरम्भ से लेकर अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह बोर्ड निर्णय करने में बहुत देर लगाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गठन के पश्चात् बोर्ड की 11 बार बैठकें हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार्मिक विभाग में 58 वर्ष से अधिक आयु तक अधिकारियों का सेवा में रहना।

5058. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्मिक विभाग में ऐसे अधिकारियों की (उप-सचिव और इससे ऊपर) कुल संख्या कितनी है जिनकी आयु 58 वर्ष की हो चुकी है और जो अब भी उन्हीं सेवाओं में काम कर रहे हैं; और

(ख) उन अधिकारियों की सेवा अवधि में वृद्धि करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक अधिकारी की पुनर्नियुक्ति की गई है।

(ख) उक्त अधिकारी (उपसचिव) को गृह कल्याण केन्द्र के कार्य में लगाया गया था जो कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों विशेषत: श्रेणी III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों के परिवारों की महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण की देखभाल करने वाला संगठन है। चूंकि कोई उपयुक्त महिला अधिकारी उपलब्ध न थी, अत: विद्यमान अधिकारी को दिनांक 20-4-72 से 31-12-72 तक पुनर्नियुक्त किया गया था। इस पद पर अब एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और पुनर्नियुक्त अधिकारी को दिनांक 31-12-72 से भार-मुक्त कर दिया जायेगा।

गृह कल्याण केन्द्र द्वारा की गई बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग

5059. **श्री बेकारिया**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों में गृह कल्याण केन्द्र के उत्पादकों की बिक्री से कुल कितनी धन-राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) उपरोक्त धन-राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है;

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री: (श्री राम निवास मिर्धा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री से प्राप्त कुल धन-राशि इस प्रकार है:—

	रुपये
1969-70	39,856.28
1970-71	1,00,260.88
1971-72	88,558.43

(ख) बिक्री से प्राप्त धनराशि इस केन्द्र की आय का एक भाग है तथा उसे केन्द्र के विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों के लिये उपयोग में लाया जाता है।

दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों और गृह कल्याण केन्द्र में हस्तशिल्प शिक्षकों की उपलब्धियां

5060. **श्री बेकारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में हस्तशिल्प शिक्षक को एक वर्ष में कुल कितने घण्टे काम करना होता है ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित योग्यता वाले हस्तशिल्प शिक्षक को गृह कल्याण केन्द्र में एक वर्ष में कुल कितने घण्टे काम करना होता है ;

(ग) क्या दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में हस्तशिल्प शिक्षक की कुल उपलब्धियां गृह कल्याण केन्द्र में हस्तशिल्प शिक्षक की उपलब्धियों से अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उपलब्धियों में इन विषमताओं के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1247 घंटे।

(ख) नियुक्ति के समय गृह कल्याण केन्द्र के किसी भी हस्तशिल्प शिक्षक की वही योग्यतायें न थीं। गृह कल्याण केन्द्र वर्ष में लगभग 1000 घण्टे काम करता है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) गृह कल्याण केन्द्र ने अपने शिक्षकों के लिये कोई सामान्य शैक्षणिक अर्हतायें निर्धारित नहीं की हैं। सामान्यत: शिक्षक अपनी नियुक्ति के बाद आवश्यक अनुभव आदि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें अपने अनुभव एवं उपयोगिता के अनुसार मानदेय मिलता है। केन्द्र का उद्देश्य शिक्षकों को कुशलता तथा अनुभव की प्राप्ति कराकर केन्द्र से बाहर अन्य नियोजनों में जाने के योग्य बनाना तथा अन्य लोगों को, जिन्हें मदद की जरूरत है, अवसर देना है। गृह कल्याण केन्द्र की सम्पूर्ण योजना में शिक्षकों को तेजी से तैयार करने की व्यवस्था है ।

आकाशवाणी के आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन

5061. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि संगीतज्ञ, वादक, कम्पोजर तथा कन्डक्टर की श्रेणी में आने वाले स्टाफ आर्टिस्ट 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकते हैं, बशर्ते कि वे योग्य हों। अंशदायी भविष्य निधि के लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रेच्युटी देने की मांग पर विचार किया जा रहा है।

बिहार के रेडियो स्टेशन से वाणिज्यिक सेवा

5062. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के एक रेडियो स्टेशन से वाणिज्यिक सेवा आरम्भ करने के बारे में एक प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या वाणिज्यिक सेवा के लिये रांची रेडियो स्टेशन की सिफारिश नहीं की जायेगी ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने वाणिज्यिक सेवा का पटना रांची केन्द्रों में विस्तार करने का प्रस्ताव मान लिया है।

चम्बल और यमुना घाटी के विकास के विषय का केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव :

5063. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या चम्बल और यमुना घाटी के विकास के विषय का केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो इन सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) यमुना घाटी क्षेत्र के लिये कोई संघटित विकास योजना तैयार करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु चम्बल घाटी क्षेत्र की विकास योजना तैयार की गयी है तथा अब सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली पुलिस में कथित असन्तोष

5064. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में असंतोष की भावना हैं क्योंकि उनके वेतन-क्रमों और टाइम-स्केल पंजाब, हरयाणा और राजस्थान जैसे पड़ौसी राज्यों में उन जैसे कर्मचारियों से बहुत कम हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इन चारों राज्यों में सभी अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के तुलनात्मक वेतनमानों की सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) दिल्ली पुलिस के वेतनमानों की असमानता दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं ताकि उत्तरी क्षेत्र के चारों राज्यों में वेतन - मान समान हों, बल्कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर वेतनमान-मान प्राप्त हों क्योंकि देश की राजधानी में विशिष्ट व्यक्तियों से संबन्धित उनके कार्य जटिल होते हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों में असन्तोष की ऐसी कोई भावना नहीं है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय वेतनमान हैं और उनकी तुलना सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के समान पदों के वेतनमानों से की जा सकती है। इन केन्द्रीय वेतनमानों और पंजाब, हरयाणा तथा राजस्थान के राज्य के वेतनमानों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती । दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के वेतनमानों समेत केन्द्रीय वेतनमानों के संशोधन का प्रश्न तीसरे वेतन आयोग के विचाराधीन है।

विवरणी

पुलिस कर्मचारियों के अराजपत्रित पदों के तुलनात्मक वेतनमानों की सूची

क्रमांक	राज्य का नाम	कांस्टेबल	हैड-कांस्टेबल	सहायक उप निरीक्षक	उप-निरीक्षक	निरीक्षक
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1.	दिल्ली	75-1-85-2-95	100-3-130	130-5-175	168-8-240	325-15-475
2.	पंजाब	125-125-125/128-1-150	150-3-165/3-180	180-8-220-10-250	250-10-300/15-450	320-20-460-20-600
3.	हरियाणा	125-125-125-128-2-150	150-3-165-3-180	180-8-220-10-250	250-10-300-10-450	300-15-450-155-10-20-550
4.	राजस्थान	70-2-90-3-102-4-110	90-4-110-5-150	110-5-160-8-200-10-230	160-8-200-10-240-15-360	275-20-375-25-650

मशीन टूल्स कारपोरेशन और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में तकनीशनो की भर्ती

5065. **श्री के० एस० चावला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीन टुल्स कारपोरेशन और हिन्दुस्तान मशीन टुल्स में प्रतिवर्ष अनेक प्रबन्ध / तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उनके द्वारा कितने प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये गये और भर्ती करने का तरीका क्या हैं ?

(ग) क्या गत तीन वर्ष में कृषि सम्बन्धी मशीनों और औज़ारों से सम्बद्ध सेवाओं के लिए इन दोनों उपक्रमों द्वारा प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों के रूप में कोई कृषि इंजीनियरी स्नातक भर्ती किए गये थे ; और

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों अथा अनुसूचित जन-जातियों के कितने व्यक्ति थे ;

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) दोनों उपक्रमों में भर्ती खुले विज्ञापनों तथा रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। उन उपक्रमों में विगत तीन वर्षों में भर्ती किये गये तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	हि० म०टू० की गई भर्ती	एम०टी०सी०आई० में की गई भर्ती
1970	41	7
1971	33	16
1972	38	एक भी नहीं

(ग) जी, नहीं

(घ) दोनों उपक्रमों में प्रबन्ध/तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों की योजना के अन्तर्गत भर्ती किये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :–

	हि० मू० टू० लि०	एम० टी० सी० आई, अजमेर
अनुसूचित जाति . .	8 .	2
अनुसूचित जन जाति . .	2 .	–

वनस्पति निर्माताओं को टिन प्लेटों की सप्लाई

5066. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री टिन के डिब्बे बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने के बारे में 23 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रशन संख्या 3271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस आशय के अनुदेश दिये हैं कि वह इस तथ्य के बावजूद कि बनस्पति निर्माताओं ने हिन्दुस्तान स्टील को इन्डैन्ट दिये है तथा साख्य पत्र खोले हैं उन वनस्पति निर्माताओं को टिन-प्लेट की सप्लाई स्थगित कर दें अथवा कम कर दें जिनको रिजर्व में रखने के लिए (कैपटिव यूज़) टिन के डिब्बे के निर्माण हेतु सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गए थे।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे प्रभावित एककों का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इन एककों को दी गई सी० ओ० बी० के लिए टिन-प्लेटों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना

5067. **श्री दिनेश सिंह : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री बड़े व्यापारिक गृहों को लाइसेंस दिये जाने के बारे में 15 नवम्बर, 1972 के आतारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर के संम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969 से प्रत्येक वर्ष दिये गये कुल लाइसेंन्सों के मूल्य की तुलना में 20 बड़े उद्योगों गृहों को व्यक्तिगत रुप से दिये गये लाइसेंन्सो के मूल्य की प्रतिशतता कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : औद्योगिक लाइसेंन्स विशेष क्षमता के लिए जारी किए जाते हैं न कि विशेष मूल्य के लिए ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

5068. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उनके अधिकारियों के भत्तों में बहुत अधिक अन्तर होने के कारण राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के अधीनस्थ कर्मचारियों में अत्यधिक रोष व्याप्त है ;

(ख) क्या अधीनस्थ कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतनमान तथा भत्ते दर्शाने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार के वेतनमानों के अनुरूप हैं जबकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अधिकारी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अपने नियमों तथा वेतनमानों से शासित होते हैं ; और

(घ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अधीनस्थ कर्मचारियों के तथा अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमानों और भत्तों को बताने वाली एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध क तथा ख) [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4093/72]

(ग) तथा (घ) मकान किराया भत्ता के अलावा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन व भत्ते भारत सरकार के नियमों के अनुसार हैं। अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता रा० उ० प० परिषद् के अपने अलग वेतनमान हैं जो कि रा० उ० प० के शासी निकाय द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए गए हैं और जो सरकार और स्वशासी संगठनो में इसी प्रकार के पदों के समान हैं। मकान किराया भत्ता छोड़कर रा० उ० प० के अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाले भत्तों की दरें समान वेतनमानों में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों के समान है। रा० उ० प० के अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के मकान किराया भत्ते की दर में कोई अन्तर नहीं है यद्यपि यह दर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुमत दर से थोड़ी सी अधिक है।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के कर्मचारियों का मांग-पत्र

5069. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद कर्मचारी संघ राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के प्रबन्धकों से मान्यता प्राप्त है ;

(ख) क्या गत बारह महीनों में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के समक्ष कोई मांग पत्र रखा गया था ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कर्मचारी बोनस की मांग कर रहे है ; और

(घ) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है और वे कब तक पूरी की जायेंगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। किन्तु संघ ने अपना मांग पत्र अक्टूबर 1971 में प्रस्तुत किया। पत्र में सेवा सम्बन्धी बातें जैसे वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, परिवीक्षाधीन अवधि कम करना, सेवा संम्बन्धी शर्तों में संशोधन (दीर्घकालीन) पदोन्नति के अधिक अवसर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की इच्छा वर्दी, अधिक धुलाई भत्ता, पेन्शन और बोनस आदि प्रदान करना, सम्मिलित है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन मांगों पर राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के प्रबन्धकों और संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई कई बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। उनमें से कुछ पर समझौता हो गया है जब कि अन्य मामलों पर सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

विशिष्ट कोटि (स्पेशल केटेगरी) के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन देने की व्यवस्था

5070. **श्री वेकारिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे जिन्होंने वर्ष 1969–70 में विशिष्ट कोटि (स्पेशल केटगरी) दिल्ली सर्किल के अन्तर्गत आवेदन पत्र भेजे थे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

जयपुर के महाराजा के संग्रह से चुराई गई प्राचीन वस्तुओं को बाहर भेजने का मामला

5071. **श्री शशि भूषण :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी-मार्च 1969 में, जयपुर के महाराजा के निजी संग्रह से चुरायी गयी प्राचीन वस्तुओं को बाहर भजने के मामले में फोर्ड प्रतिष्ठान के सलाहकार श्री ओस्कर लिनामन अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) क्या उनके मामले में अभियोग को दबा दिया गया था क्योंकि मामले की जांच करने वाले व्यक्ति फोर्ड प्रतिष्ठान के ही थे ; और उसके बजाय संग्राहालयाध्यक्ष (क्यूरेटर) को दोषी ठहराया गया; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) श्री संग्राम सिंह, तत्कालीन निदेशक, नगर महल संग्रहालय, जयपुर ने मिस्टर ओस्कर लिनामन को 37 चित्र बेचे, जिसने इन चित्रों को न्यू जरसी, अमेरीका, भेजने का प्रबन्ध किया । किन्तु ये चित्र मार्ग में पकड़े गये ।

(ख) तथा (ग) अन्तर्ग्रस्त सभी व्यक्तियों का न्यायालय में चालान कर दिया गया है । इस मामले में फार्ड प्रतिष्ठान का कोई भी व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त नहीं था ।

ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करना

5072. **श्री ज्वाला प्रसाद दुबे :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए जिन फर्मों को आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं उन के नाम क्या हैं और उन्होंने अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) उन में से किन फर्मों ने एस० के० डी० और सी० के० डी० ट्रैक्टर आयात करने के लिय आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ग) वर्ष 1972 और 1973 में कितने ट्रैक्टर आयात करने की अनुमति दी गयी हैं और भारत में निर्मित उन ट्रैक्टरों में से प्रत्येक में भारतीय कलपुर्जों की प्रतिशतता कितनी होगी ;

(घ) उन में से कितने एस० के० डी० और सी० के० डी० के रूप में पहले ही आयात किये जा चुके हैं ; और

(ङ) पूर्ण रूप से तैयार ट्रैक्टरों को किस आधार पर आयात करने की अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख); (अ) 1960 से 1966 तक की अवधि में निम्नलिखित फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस दिय गये थे ।

(1) मै० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि०, मद्रास ।

(2) मै० इंटरनैशनल ट्रैक्टर कम्पनी आफ इंडिया लि०, बम्बई ।

(3) मै० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि०, बड़ौदा ।

(4) मै० ईसकोर्टस ट्रैक्टर्स लि०, फरीदाबाद ।

(5) मै० एसकार्टस लि०, फरीदाबाद ।

ये फर्में कई वर्षों से लगातार उत्पादन कर रही हैं।

(आ) 1970–1972 की अवधि में निम्नलिखित फर्मों को लाइसेंन्स दिये गये हैं (कारखाने का स्थापना स्थल कोष्ठक में दिया गया है):–

(1) मै० किरलोस्कर ट्रैक्टर्स लि० (नासिक)

(2) मै० एस्कार्टस टैक्टर्स लि० (फरीदाबाद)

(3) मै० हर्ष ट्रैक्टर्स लि० (लोनी उ० प्र०)

(4) मै० परफैक्ट टैक्टर्स लि० (पटियाला)

(5) मै० यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर्स लि० (हैदराबाद)

(6) मै० वाईफोर्ड टैक्टर्स लि० (मोहाली पंजाब)

(7) मै० पंजाब ट्रैक्टर्स लि० (मोहाली)

(8) हिन्दुस्तान मशीन टूटस लि० (पिंजौर)

(9) मै० राजा बहादुर मोतीलाल पूना मिल्स लि०, (पूना)

(10) मै० स्टिर इंडिया लि० (बंगलौर)

(11) मै० प्रीमियर इरीगेशन इक्विपमेंट लि० (बुलन्दशहर उ० प्र०)

(12) मै० आटोमोबाइल प्रोक्ट्स इंडिया लि० (प्रतापगढ़ उ० प्र०)

(1) मै० किरलोस्कर ट्रैक्टर्स लि० को पी० के० डी० पैकों के आयात के लिये एक लाइसेंस दे दिया गया है और चालू वित्त वर्ष में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है।

(2) मै० एस्कार्ट टैक्टर्स लि० में पहले से ही उत्पादन हो ही रहा है ।

(3) मै० हर्ष ट्रैक्टर्स लि० ने आयातित एस० के० डी० पैको के साथ पुर्जे जोड़ना आरम्भ कर दिया है।

(4) मै० परफैक्ट ट्रैक्टर्स लि० को पी० के० डी० पैकों के लिय एक आयात लाइसेंस दे दिया है और वर्ष 1973–74 की अवधि में उन्हें माल प्राप्त हो जाने की आशा है और आशा की जाती है कि तभी उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा ।

(5) मै० यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर्स ने पी० के० डी० पैकों के आयात के लिये एक आवेदन प्रस्तुत किया है। यह विचाराधीन है।

(6) मै० बाइफोर्ड ट्रक्टर्स लि० ने अपनी परियोजना के क्रियान्वयन में कोई प्रगति नहीं की है।

(7) दि पंजाब ट्रैक्टर्स लि० में सितम्बर, 1973 में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है।

(8) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० में पहले से ही उत्पादन हो रहा है ।

(9) मै० राजा बहादुर मोतीलाल पूना मिल्स लि० (पूना) उत्पादन के लिये तैयार है, लेकिन उन्हें ट्रैक्टर परीक्षण स्टेशन, बुदनी में अपने ट्रैक्टर के आद्यारूप के परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

मैं० स्टियर इंडिया लि० अपने कारखाने की स्थापना के लिये बंगलौर में भूमि अधिग्रहण के लिये बात-चीत कर रहें हैं।

(11) मैं० प्रीमियर इंरीगेशन इक्विपमेंट लि० अपने कारखाने की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने आयातित एस० के० डी० पैकों से गाजियाबाद में किराये के शैड में पुर्जे जोड़ने कर कुछ ट्रैक्टरों का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है।

(12) मैं० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि० को अभी हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है और अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है।

1970–72 की अवधि में निम्नलिखित पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गये है :–

(1) राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमैंट कारपोरेशन (जोधपुर)

(2) मैं० भारत इंडस्ट्रीज़ एण्ड कमर्शियल कारपोरेशन लि० (भरतपुर-राजस्थान)

(3) मैं० लाइसेंस एण्ड टूब्रो लि० (साहिबाबाद उ० प्र०)

(4) मैं० बर्न एण्ड कम्पनी लि० (कलकत्ता)

(5) मैं० ढांढा इंजीनियरिंग लि० (बल्लबगढ़)

ऐसा लगता है कि इन पार्टियों ने अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने दिसम्बर, 1971 में पूर्वानुमानित मांग और दिसम्बर, 1972 तक हुए अनुमानित उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये 20,000 ट्रैक्टरों का आयात करने का निश्चय किया है। प्रस्ताव था कि इन ट्रैक्टरों का आयात आंशिक रूप में एस० के० डी० और आंशिक रूप में पी० के० डी० में किया जाएगा। अभी तक कोई आयात नहीं किया गया है। इन आयातों के लिये अभी किसी विदेशी संभरणकर्ता के साथ संविदा नहीं किये गये हैं। इसलिये इन आयातों से पुर्जे जोड़कर तैयार किये जाने वाले ट्रैक्टरों में भारतीय पुर्जे कितने प्रतिशत होंगे यह बता सकना संभव नहीं है।

टी–25 ट्रैक्टरों का निर्माण

5073. **श्री रामअवतार शास्त्री** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस फर्म का नाम क्या है जो टी–25 ट्रैक्टर बना रही हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : इस समय देश में टी 25 ट्रैक्टरों का निर्माण नहीं हो रहा है। हाँ, मैं० हर्ष ट्रैक्टर्स लि०, नई दिल्ली को इन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दे दिया गया है।

अवर सचिव के पद पर पदोन्नत करने के लिए अनुभाग अधिकारियों का साक्षात्कार

5074. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवर सचिव के पद पर पदोन्नत करने के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों का चयन करने हेतु साक्षात्कार की व्यवस्था है ;

(ख) क्या अन्य सचिवालय सेवाओं में अवर सचिव के पद के लिये इस प्रकार के चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं किया जाता;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के स्थायी अनुदेश हैं कि पदोन्नति के लिये उम्मीदवार के चयन हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है और पदोन्नति के लिये अधिकारियों की तालिका उनके रिकार्ड तथा आचार के आधार पर तैयार की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अन्य सचिवालय सेवाएं (i) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा तथा (ii) भारतीय विदेश सेवा (बी) है इन सेवाओं में अवर सचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होता।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड I (अवर सचिव) की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I तथा चयन में पदोन्नति) विनियम, 1964 के अनुसार होती है। इन विनियमों के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य की अध्यक्षता में गठित चयन समिति को क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों का वर्गीकरण करना होता है जो योग्यता के आधार पर विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं सम्बन्धित अधिकारियों के साक्षात्कार के लिए विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं है और यदि चयन समिति साक्षात्कार करने का निर्णय करती है तो वे ऐसे साक्षात्कार किए जाने में न कोई बाधा ही डालते हैं। रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा और भारतीय विदेश सेवा (बी) के पदों के विपरीत केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड I विभिन्न सम्मिलित मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीकृत है। तदनुसार विचार क्षेत्र में विभिन्न संवर्गों में कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारी कवर होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर यह निर्णय किया गया था कि गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन के अतिरिक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी किया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ गोपनीय रिपोर्ट के लिखने के स्टेन्डर्ड में यदि कोई स्पष्ट भिन्नता हो, तो उसे साक्षात्कार द्वारा ठीक किया जा सके। जिन स्थायी अनुदेशों का उल्लेख किया गया है वे संम्भवतः वही है जो गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 17/4/48-स्था० दिनांक 16/4/1952 में दिये गये हैं। उन अनुदेशों के अनुसार भी, ऐसे क्रियाविधि संम्बन्धी मामलों को तय करना प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, जहां इसके साथ सहबद्ध किया जाता है, निर्भर करता है।

अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के पद पर पदोन्नति

5075. **श्री बो० के० दास० चौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1962 में बनाए गए नियमों में, इस प्रयोजन के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विद्यमान भेदभाव को दूर करने के विचार से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के रूप में पदोन्नति करने के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था को समाप्त करेगी।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में नियुक्तियों केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I और चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 के अनुसार की जाती हैं। इन विनियमों के अधीन, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति के लिए आवश्यक होता है कि वह विचार क्षेत्र (फील्ड आफ कंसीडिरेशन) में आने वाले अधिकारियों को मेरिट के आधार पर वर्गीकृत करे विनियमों में न तो संबंधित अधिकारियों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था

है और न ही इस प्रकार की इंटरव्यू की, यदि चयन समिति इन्टरव्यू लेने का निर्णय करे उसमें मनाही है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I मेंउस सेवा में सम्मिलित अनेक मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीकृत किया गया है । तदनुसार विचार क्षेत्र में विभिन्न संवर्गों में कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारी कवर हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर यह निर्णय लिया गया है कि गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन के अतिरिक्त उम्मीदवारों का इन्टरव्यू लिया जाना जाहिए जिससे कि अगर गोपनीय रिपोर्टें लिखने के स्टेन्डर्ड में यदि कोई स्पष्ट भिन्नता हो तो उसे इन्टरव्यू द्वारा ठीक किया जा सके । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड के उत्तरदायित्व स्पष्टत: उच्च कोटि के होते हैं और उसके लिए उपयुक्तता की सही परख उम्मीदवार के व्यक्तित्व, व्यापक दृष्टिकोण सामान्य ज्ञान, अभिव्यक्ति शक्ति आदि के मूल्यांकन के बिना नहीं की जा सकती और इनका पता इन्टरव्यू द्वारा ही चल सकता है।

अवर सचिव से लें कर सयुक्त सचिव तक के रैंक के अधिकारियों क लिए ड्राफ्ट जाब योग्यताएं

5076. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अवर सचिव के पद से लेकर संयुक्त सचिव तक के पद के अधिकारियों के लिये तैयार की गई 'ड्राफ्ट जाब' अर्हताओं को अन्तिम रूप देने हेतु प्राधिकृत करने से पूर्व छानबीन करने के लिए कार्मिक विभाग के कैरियर मेनेजमेंट डिवीजन को भेजने की आवश्यकता होती है; यदि हां, तो ऐसी प्रक्रिया अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) वे अधिकारी किस स्तर के होते हैं जो 'ऐसी ड्राफ्ट जाब' योग्यताओं की आरम्भ में छानबीन करते हैं और अपने वर्तमान उत्तरदायित्व से पूर्व उन्हें कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको क्या-क्या अनुभव प्राप्त होता है; और

(ग) विभागों/मंत्रालयों में "कैरियर मैनेजमेंट सैल" में उन अधिकारियों का दर्जा क्या होता है जो आरम्भ में 'ड्राफ्ट जाब' योग्यताओं को तैयार करते हैं तथा उस प्रशिक्षण और अनुभव का ब्यौरा क्या है जो उन्हें प्राप्त होता है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान। "ड्राफ्ट जाब" अर्हता मानकों की कार्मिक विभाग के कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन द्वारा छानबीन की जाती है, ताकि "जाब" अर्हता मानकों की शैली तथा गठन के संबंध में एकरूपता तथा कार्यात्मक क्षेत्रों तथा उनमें निर्दिष्ट संहिताओं की यथार्थता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) 'ड्राफ्ट जाब' अर्हता मानकों की एक अनुसंधान अधिकारी तथा एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरम्भ में छानबीन की जाती है। अनुसंधान अधिकारी ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में "जाब" अर्हता मानकों की तकनीक में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और उन्हें परामर्श नियोजन के संबंध में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रतिनियुक्ति एक दल के एक सदस्य के रूप में इन तकनीकों के प्रयोग का भी 2 वर्ष से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को भी इस क्षेत्र में करीब 6 महीने का "जाब" प्रशिक्षण प्राप्त है।

(ग) "ड्राफ्ट जाब" अर्हता मानकों को स्वयं अधिकारियों द्वारा दिए गए इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर तैयार किया जाता है। अंतिम रूप दिए जाने वाले 'जाब' अर्हता मानकों की वास्तविकता संख्या के आधार पर ही अनुभाग अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों

और कुछ ही मामलों में अवर सचिवों द्वारा 'ड्राफ्ट जाब' अर्हता मानकों की प्रारम्भिक तैयारी के कार्य को हाथ में लिया जाता है। कार्मिक विभाग के कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन द्वारा इन संबंधित अधिकारियों को विचार-विमर्श तथा बैठकों के आधार पर यथोचित रूप से विवरण देते हुए, इस कार्य को हाथ में लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

मदन पार्क, रोहतक रोड, दिल्ली में डाक सुविधाएं

5077. **श्री सुधाकर पांडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदन पार्क, चुन्नामल पार्क, रोहतक रोड, दिल्ली-35 में कोई डाक सुविधाएं यहां तक कि लेटर-बाक्स भी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इन सुविधाओं को कब तक व्यवस्था करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). मदन पार्क और चुन्नामल पार्क दिल्ली-35 में उपयुक्त डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन बस्तियों में दो बार दत्तमूल्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है। एक 9.15 बजे और दूसरी 16.15 बजे। जिन वस्तुओं का लेखा रखा जाता है उनकी डिलीवरी एक बार 11.15 बजे दी जाती है। दोनों बस्तियों से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर जयदेव पार्क और रामपुरा-चौक में दो पिलर-लेटर बक्स पहले से ही मौजूद हैं। गनेशपुरा, पंजाबी बाग और पावर हाउस के डाकघर इन बस्तियों के बिल्कुल नजदीक हैं। ये सुविधाएं और बढ़ाने के लिए इन बस्तियों में कुछ और लेटर बक्स स्थापित किए जा रहे हैं। इस इलाके में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

मंत्रिमंडल सचिवालय में अनुसंधान अधिकारियों के पद

5078. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में मंत्रिमंडल सचिवालय में अनुसंधान अधिकारियों (कैरियर मैनेजमेंट) के कितने पद भरे गए हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे गए अनुसंधान अधिकारियों (कैरियर मेनेजमेंट) के कुछ पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नहीं दिए गए थे अपितु गैर-अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दिए गए थे;

(ग) क्या यहां पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुछ उम्मीदवार मौजूद थे, यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अवसर न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अनुसंधान अधिकारियों (कैरियर मेनेजमेंट) के रिक्त पदों को भरने से पूर्व इन पदों को सभी मंत्रालयों में अधिसूचित किया गया था ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तीन ।

(ख) तथा (ग). जी हां, श्रीमान। इनमें से दो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के रूप में विज्ञापित किए गए थे, किन्तु अनुसूचित जनजातियों का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, अत: ये दोनों पद **तदर्थ आधार** पर भरे गए थे।

(घ) एक पद को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन किए जाने के बाद गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी से भरा गया था। शेष दो में से, एक पद सभी मंत्रालयों को परिचालित किया गया था तथा दूसरा पद पदोन्नति द्वारा भरा गया था। इन तदर्थ व्यवस्थाओं को भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक जारी रखा गया है जो कि अभी तक संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है, ज्यों ही, भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, भर्ती नियमों में किए गए उपबंधों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार इन पदों को नियमित आधार पर भरने की कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, आसाम के निदेशक के विरुद्ध आरोप

5079. **श्री तरुण मोगाई** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, आसाम के निदेशक के विरुद्ध आसाम विधान सभा में लगाये गये गंभीर आरोपों की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार ने समाचार पत्र की सूचना को देखा है।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि आसाम विधान सभा में व्यक्त किए गए विचार संबंधित सदस्यों के अपने निजी विचार थे। उन विचारों में उठाई गई बातें मुख्य रूप से प्रयोगशाला की भर्ती करने संबंधी नीति से संबंधित थीं। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), जोरहाट, आसाम की नियुक्तियां सी०एस०आई०आर० के नियमों और उप-नियमों द्वारा निर्मित नियमों और सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। इसकी एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है। आसाम के मुख्य मंत्री को स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया है ।

अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की अपेक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्राथमिकता दिया जाना

5080. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उप-सचिवों, निदेशकों और संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्त करने के लिए अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 2 वर्ष की वरिष्ठता दी जाती है; यदि नहीं, तो इसका क्या आधार है;

(ख) क्या इस आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) क्या इस भेदभाव की नीति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). उप-सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीय स्थापना बोर्ड/वरिष्ठ प्रवरण बोर्ड की सिफारिशों पर की जाती हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश नहीं हैं, किन्तु बोर्डों द्वारा वर्ष 1968 से केन्द्र के अधीन नियुक्तियों के लिए सिफारिश करने में मानदण्ड का कार्यसाधक नियम के रूप में अनुपालन किया जा रहा है। इस नीति के विरुद्ध कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं।

महाराष्ट्र के प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में श्रम-प्रधान परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव

5081. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में रेलवे लाइने बिछाने, विद्युत् और सिंचाई परियोजनाओं जैसी कुछ मुख्य श्रम-प्रधान परियोजनाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव जैसा कि राज्य सरकार ने सिफारिश की है, योजना आयोग के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). इस बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

"फूड इरिडियेशन" लागू करना

5082. **श्री गिरधर गोमांगो :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य कृषि संगठन तथा आई०ए०ई०ए० ने खाद्य प्रौद्योगिकी, मितव्यता तथा स्वास्थ्यकारिता को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रूप में 'फूड इरिडियेशन' को लागू करने के पक्ष में तथा विपक्ष में वार्ता के लिए समूचे विश्व से विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) क्या निर्णय लिए गए ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसार मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) खाद्य कृषि संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने 'खाद्य पदार्थ का किरणीयन' विषय पर 13 नवम्बर से 17 नवम्बर, 1972 तक एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन ट्राम्बे में किया गया था जिसमें भारत सहित अनेक देशों के 100 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने जो इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर शोध-कार्य कर रहे हैं, भाग लिया।

इसके बाद 21 देशों के विशेषज्ञों की एक पैनल सीटिंग का आयोजन भी खाद्य कृषि संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजेंसी द्वारा किया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों में भोजन का किरणन करने की विधि को अपनाने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना था ।

(ख) इस बैठक में भोजन को किरणन की सहायता से परिरक्षित करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया, जिनमें विभिन्न खाद्य पदार्थों को किरणन की सहायता से परिरक्षित करने के कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति तथा उसके तकनीकी, आर्थिक एवं पौष्टिकता संबंधी पहलू शामिल है ।

(ग) इस बैठक में जिन निष्कर्षों पर पहुंचा गया वे इस प्रकार से थे— (1) परीक्षण के लिए रखे गए पशुओं को भोजन खिलाकर व्यापक स्तर पर किये गये अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि किरणीयित भोजन पौष्टिक होता है; (2) विकासशील देशों, जहां का जलवायु खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अनुरूप होने के साथ-साथ वहां परिरक्षण के लिए हिमीकरण, डिब्बा बन्दी, आदि जैसी वैकल्पिक सुविधायें भी उपलब्ध हैं, की तुलना में विकासशील देशों में, जहां जलवायु संबंधी अवस्थायें भोजन के परिरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं तथा भोजन को भंडारित रखने में होने वाली हानि में वृद्धि करने वाले अन्य कारण विद्यमान हैं, खाद्य पदार्थों को किरणीयित करने की विधि अपनाना अधिक आवश्यक है; (3) कड़े परीक्षणों के बाद अनेक सहायक देशों ने विभिन्न प्रकार के किरणीयित खाद्य पदार्थों को मानव के प्रयोग के योग्य घोषित कर दिया है तथा विकासशील देशों को भी इस बात पर बल देना चाहिए कि वे जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन का किरणन करने की अनुमति प्राप्त करें ; तथा (4) विकासशील देशों को चाहिए कि वे अपनी अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों के किरणन को व्यावहारिक रूप से प्रोत्साहन देने के लिए परस्पर सहयोग करें, बेहतर यह है कि यह सहयोग क्षेत्रीय आधार पर किया जाये ।

बम्बई धूम्र अपदूषण अधिनियम 1912 को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू करना

5083. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई धूम्र अपदूषण अधिनियम 1912 को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू करने का निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) से (ग) तक : दिल्ली महानगर परिषद् ने महाराष्ट्र राज्य में लागू अधिनियम को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने की सिफारिश की है । दिल्ली की कार्यकारी परिषद् और उप-राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सिफारिश प्राप्त हो गई है और उस पर विचार हो रहा है । अधिनियम की मुख्य बातें संलग्न टिप्पणी में दी गई हैं । **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०-4094/72]**

बिजली के संकट के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

5084. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्तमान बिजली के संकट संबंधी कारणों की जांच के लिए नियुक्त की गई उच्च शक्ति प्राप्त मंत्रालयीय समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मंत्रालयीय समिति द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग समयबद्ध कार्य का कार्यक्रम अपनाने के लिए समुचित सिफारिशें की जायेंगी इस प्रकार की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारें बिजली की स्थिति में तत्काल सुधार लाने के लिए कार्यवाही करेंगी। इस काम पर छः महीने से अधिक समय लगने की संभावना है।

कलकत्ता में हजारों टेलीफोन निष्क्रिय

5085. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ता में कोई वक्तव्य दिया था कि वहां हजारों टेलीफोन निष्क्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अदक्षता के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) वास्तविक स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में टेलीफोन खराब नहीं हैं बल्कि एक्सचेंज उपस्कर में जरूरत से ज्यादा भार होने और अत्यधिक कालें होने की वजह से बहुत-से उपभोक्ताओं को कालें करने में कठिनाई होती है। अपेक्षित साज-समान न मिल पाने के कारण टेलीफोन उपस्कर के बहुत-से कल-पुर्जे बन्द पड़े हैं।

(ग) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलौर ने कलकत्ता टेलीफोन के लिए अनिवार्य फालतू पुर्जे और यातायात का भार कम करने वाले उपस्कर के उत्पादन और उनको सप्लाई के लिए एक तुरंत कार्यक्रम हाथ में लिया है । आशा है कि ये कल-पुर्जे अगले दो महीनों में प्राप्त हो जाएंगे । रख-रखाव के प्रयासों में तेजी लाने के लिए जितने अतिरिक्त स्टाफ का औचित्य सिद्ध होता है, उस को मंजूरी भी दे दी गयी है।

Cases disposed of By C.B.I. pertaining to states

5086. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of cases taken over by the Central Bureau of Investigation in the various States during the last one year and the number of cases disposed of by it; and

(b) the nature of co-ordination being maintained between the Central Bureau of Investigation and the State Intelligence Bureau ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) During the last one year ending 23rd November, 1972, the number of cases taken up for investigation by the Central Bureau of Investigation at the request of various State Governments is 46 and the number of cases disposed of by it is 16.

Besides the above cases, the Central Bureau of Investigation registered *suo motu* 1318 cases for investigation in various States under its normal charter of duties, out of which 454 have since been disposed of by it.

(b) The Central Bureau of Investigation and the State Intelligence Bureau have little in common in their respective areas of work and responsibility. There are however, matters of common interest between the Central Bureau of Investigation and the State Anti-Corruption Departments. Officers in charge of Central Bureau of Investigation Branches in States keep liaison with the State Anti-Corruption Bureau Officers and exchange intelligence of mutual interest relating to corruption in public services. Information relating to corruption in Central Government Departments/Undertakings if received by the State Anti-Corruption Bureau Officers is immediately passed on to the Central Bureau of Investigation Branch Officers and *vice versa*.

Periodically a Joint Conference of state A. C. B. Officers and the Central Bureau of Investigation Officers is convened when matters connected with the technique of investigation of vigilance cases and allied problems are discussed and methods are evolved to improve the efficiency of vigilance and anti-corruption work all round.

अमरीकी ईसाई-धर्म प्रचारक, दिल्ली ग्राहम द्वारा नागालैंड की यात्रा।

5087 **श्री इंद्रजीत गुप्त :**

श्री वी० मयावन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसा के लिए धर्मयुद्ध (क्रूसेड फार क्राइस्ट) करने के लिए अमरीकी ईसाई धम-प्रचारक बिल्ली ग्राहाम नागालैंड की यात्रा करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने के लिए उन्होंने विशेष अनुमति मांगी थी तथा वह उन्हें दी गयी थी और यदि हां, तो किन आधारों पर; और

(ग) श्री ग्राहाम द्वारा 14 नवम्बर, 1972 को टोकियो में दिये गये इस आशय के वकतव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि उनकी यात्रा सें भारत-अमरीकी संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच०मोहसिन): (क) और (ख). डा० बिल्ली ग्राहाम ने 20 से 23 नवम्बर, 1972 तक नागालैण्ड की यात्रा की थी। नागालैण्ड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल ने, जिसने इस धार्मिक समारोह का आयोजन किया था नागालैन्ड सरकार के माध्यम से भारत सरकार सें डा० बिल्ली ग्राहम को इस समारोह में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था। नागालैन्ड के व्यक्तियों द्वारा, अधिकांश जो क्रिश्चियन धर्म के हैं, इस धार्मिक समारोह को दिए जाने वाले महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें नागालैन्ड जाने की आज्ञा दे दी गयी थी।

सरकार को कोइ मत प्रकट नहीं करना है ।

टाटा इंजिनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी का ट्रक-निर्माण के लिए विस्तार

5088. **श्री पप्पन गोडा** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी में ट्रकों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने ट्रक-उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार सें अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रार्थना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या भारत ट्रकों का निर्यात करता है और यदि हां, तो कितने तथा किन-किन देशों को?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1971 तथा 1972 (अक्तूबर-1972 तक) में टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी, लिमिटेड द्वारा निम्न प्रकार गाड़ियों का उत्पादन किया गया है : —

	1971	1972 (अक्तूबर तक)
ट्रक चैसीज	17,298 संख्या	12,840 संख्या
बस चैसीज	7,365 "	5,214 "
कुल	24,654 संख्या	18,054 संख्या

(ख) जी, हां ।

(ग) विस्तार के प्रस्ताव में कम्पनी के जमशेदपुर स्थित कारखाने की 24,000 से 27,000 गाड़ियां तैयार करने की वार्षिक क्षमता बढ़ाने तथा पूना में प्रतिवर्ष 8000 गाड़ियां तैयार करने की क्षमता वाली एक एकक स्थापित करना, सम्मिलित है ।

(घ) केवल ट्रकों के निर्यात के संबंध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। गाड़ियों के निर्यात् के विषय में ट्रकों/लारियों, एम्बुलेन्सों, वानों, फायर इंजनों आदि के आंकड़े रखे जाते हैं।

इन गाड़ियों का निर्यात् निम्न प्रकार हुआ :—

	संख्या
1970-71 . . .	1,550
1971-72 . . .	773
1972-73 .	
(जून, 1972 तक)	41

ये निर्यात मुख्य रूप से अफगानिस्तान, श्रीलंका, कुवैत, नेपाल, नाइजीरिया, संयुक्त अरब गणराज्य, युगांडा, यूगोस्लाविया तथा जांबिया को किये गये हैं ।

भारत में फिलिस्तीनी छात्र

5089. **श्री पीलू मोदी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में फिलिस्तीनी छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने छात्रों के पास वैध दस्तावेज हैं तथा कितने छात्र बिना पासपोर्ट और बिना वीसा के भारत में रह रहे हैं ;

(ग) इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि इनमें से बहुत से छात्र भारत को आधार बना कर छापामार गतिविधियां चला रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जो देश में बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) फिलिस्तीनी मूल के व्यक्ति विभिन्न अरब देशों द्वारा जारी किये गये पारपत्रों पर यात्रा करते हैं और इसलिए उनका पंजीकरण फिलिस्तीनियों के रूप में नहीं किया जाता बल्कि उन देशों के नागरिकों के रूप में किया जाता है जिनके दस्तावेज उनके पास होते हैं। अतः दिल्ली और देश के अन्य भागों में फिलिस्तीनी छात्रों की सही संख्या बताना संभव नहीं है ।

(ख) सभी विदेशी छात्रों को भारत में ठहरने की अनुमति तभी ही दी जाती है जब उनके पास वध यात्रा दस्तावेज होते हैं और जब राज्य सरकारें उनके वास्तविक छात्र होने से संतुष्ट होती हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० टी० टी० तथा सी० आई० ए० के बीच सम्पर्क

5090. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी पत्रकार जैके एन्डरसन ने दिनांक 19 नवम्बर, 1972 के 'स्टर' (नई दिल्ली) में प्रकाशित अपने एक लेख में इस बात का रहस्योद्घाटन किया था कि लैटिन अमरीका में कुछ कथित खुफिया और खौफनाक कारनामों के आई० टी० टी० और सी० आई० ए० के बीच संपर्क था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जहां तक हमारी जानकारी है "स्टर" के 19 नवम्बर, 1972 वाले अंक में आई० टी० टी० और सी० आई० ए० के बीच सम्बन्ध दिखाने वाला कोई लेख नहीं है। इस अंक में "सी० आई० ए० से सस्नेह" शीर्षक के अधीन एक संवाद अवश्य है जिसमें कहा गया है कि "अमरीकी पत्रकार श्री जैक एण्डरसन ने, अपने एक लेख में उन आरोपित खुफिया और खोफनाक कारनामों का भंडाफोड़ किया है जिसमें आई० टी० टी० और सी० आई० ए० का हाथ था और जो लेटिन अमेरिका में किये गये ।

(ख) सरकार इस बात के लिए पूरी तरह सचेष्ठ है कि हमारे राष्ट्रीय हितों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो।

टायरों के उत्पादन में कमी

5091. **श्री राम भगत पास्वान** :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर में ट्रक टायरों की कमी और टायर कारखानों में उत्पादन कम होने के समाचार मिले हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) सभी किस्म के टायरों के उत्पादन में जिनमें ट्रक टायर भी हैं, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है । फिर भी, कुछ कारखानों में श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल/धीमी गति अपनाने और बिजली की कमी से कुछ आकार के बस और ट्रक के टायरों की कमी महसूस की गई है।

Per Capita Income in the Country

5092 **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the average per capita income in the country; and

(b) the place of India in regard to average per capita income as compared to that of the developed and developing countries?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b) The per capita national income, at current market prices, in India was Rs. 606 (equivalent to $ 81) during the year 1968-69 as against average per capita income of $ 2290 for developed countries and $ 180 for the developing countries (India included). In the year 1963–64, India occupied 60th position in regard to per capita income among the developing countries and 85th position among all the countries (i.e. developed and developing countries taken together). Similar ranking for a later year is not possible due to inadequacy of information available on the subject*.

*SOURCE : UN National Accounts Statistics Year-Book, Vol. II, 1970.

कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना

5093. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण करने वाले कारखाने के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम अंग निर्माण करने वाला प्रस्तावित कारखाना कानपुर में स्थापित किया जायेगा।

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) जी, हां।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, प्रतिवर्ष 1 लाख कृत्रिम अंग-अवयवों के निर्माण का प्रस्ताव है जिनकी आवश्यकता आपदाओं जैसे युद्ध, दुर्घटनाओं, बीमारियों आदि के कारण हुए अंग-अंग के शिकार, अभागे व्यक्तियों का पुनःस्थापन करने में पड़ती है। इस पर अनुमानित व्यय 4 करोड़ रुपये आयेगा जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 82 लाख रु० होगा। इसके लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से की जायेगी । पुनर्वास प्रोद्ययोगिकी के क्षेत्र में हुए नवींनतम विकास का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि से बीस महीने की अवधि के अन्दर उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करना संभव हो सकेगा।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

5094. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं का कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कितने प्रतिशत रही ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृह मत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) नवीनतम तीन वर्षों के दौरान, जिनके लिए अन्तिम अनुमान उपलब्ध हैं, समस्त राष्ट्रीय आय में हुई प्रतिशतता वृद्धि इस प्रकार है:–

1968-69	2.2
1969-70	5.3
1970-71	4.7

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Retrenchment of Surplus Employees in Central Government Offices

5095. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether some employees in the Central Government Offices have been found surplus ;

(b) if so, whether they are being retrenched by Government;

(c) whether the quota for Scheduled Castes should be 18 per cent; if so, the number of employees belonging to the Scheduled Castes who have been retrenched from the Offices where the said quota is less than 18 per cent; and

(d) the names of such offices and their location and the reasons for retrenchment of these Scheduled Caste employees ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) Staff occasionally rendered surplus in Central Government Departments/Offices from time to time as a result of (i) studies carried out by the Department of Administrative Reforms for evolving better methods and procedures of work, (ii) periodical inspections by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance, (iii) *suo moto* studies of work measurement or other administrative reforms undertaken by Ministries and also due to the winding up of permanent or long-term organisations and (iv) winding up of temporary organisations set up for a specific purpose provided that such an organisation has remained in existence for more than 15 years and the staff rendered surplus has put in not less than 5 years of continuous service in that organisation, are provided redeployment assistance by the Central (Surplus Staff) Cell in the Department of Personnel. Such surplus staff can stay on the rolls of the Cell for a maximum period of six months during which the Cell makes every possible effort to redeploy the surplus staff against the vacancies reported to be available in other Departments/Offices. Only such of them as do not opt for voluntary retirement and are not provided with alternative employment during the said period of six months due to non-availability of suitable vacancies and cannot be reverted to their parent Departments because they have no lien there, or if they do not join the posts against which

so nominated by the Cell during that period, are ultimately liable to retrenchment under the normal rules. Similar provisions apply to the surlplus staff in Class IV categories also except that their re-deployment is arranged by the Directorate General of Employment & Training (Special Cell). During the current year no surlus person taken either on the rolls of the surplus staff cell of the Department of Personnel or on the Special Cell of the Directorate General of Employment & Training has been retrenched.

(c) & (d) The quota of posts for Scheduled Castes is 15 per cent and not 18 per cent. As far back as January 1967, the Government had issued general instructions that while declaring persons surplus in a particular grade in a cadre, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in that grade should not be included in the surplus list so long as the total number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates in that grade has not reached the prescribed percentages of reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes respectively in the conerned grade in a cadre. In the light of these instructions, the question of declaring any Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees as surplus by a Department/Office where the number of such employees in a grade/cadre is less than the prescribed quota, and of their retrenchment, does not arise.

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षणों की प्रतिशतता

5096. **श्री वी० मयावन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों के लिए, उनको सामाजिक समानता दिलाने के उपाय-स्वरूप, केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास राम मिर्धा) : भारत सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए पहले से ही आरक्षणों की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा इसके अधीन सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अतिरिक्त अन्य किसी श्रेणी को पिछड़े वर्गों में मान्यता नहीं दी गई है।

"शिक्षित बेरोजगार के लिए' कार्य करने का अधिकार (राइट टू वर्क) योजना के लिए आवंटित राशि के उपयोग में कमी

5097. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य शिक्षित बेरोजगारों के लिए "कार्य करने का अधिकार" योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा किये गये आवंटन को खर्च करने के मामले में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा आवन्टित राशि को उपयोग में न लाने के संबंध में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) शिक्षित बेरोजगारों के लिए "कार्य करने का अधिकार" के नाम से केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम राज्यों में नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Issue of Licences for manufacture of Tractors

5098. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Industrial Development and Sience and Technology** be pleased to state:

(a) the number of entrepreneurs to whom industrial licences for the manufacture of tractors have been issued; and

(b) the names of the States where the enterprises are situated and the number of tractors likely to be manufactured by 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Develpoment (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 12 entrepreneurs have been issued industrial licences for the manufacturea of agricultural tractors during the period since 1968.

(b) These twelve units are located or are proposed to be located in the States mentioned below:

3 each in Punjab and Uttar Pradesh.
2 each in Haryana and Maharashtra.
1 each in Andhra Pradesh and Mysore.

Six of the units are likely to manufacture tractors during the year 1973-74 and their total production is expected to be about 16,000 Nos. during that year subject to regular off-take of the production from month to month.

टेलीविजन और रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना

5099. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार टेलीफोन और रेडियो-ग्राफी में प्रशिक्षण देने हेतु एक संस्थान की स्थापना करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): फिल्म तथा टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान, पूना के अंग के रूप में एक टेलीविजन प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है। फिलहाल यह दिल्ली में स्थित है और आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्रों के लिए चुने गए व्यक्तियों को प्रवेश पश्चात तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण देता है। रेडियो में प्रशिक्षण देने के लिए आकाशवाणी में स्टाफ प्रशिक्षण स्कूल कई वर्षों से हैं।

शराब के उत्पादन में वृद्धि

5100. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, उत्पादित शराब की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

1969, 1970 और 1971 में शराब का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	उत्पादन (किलो० ली० में)
1969	54,972
1970	52,172
1971	59,968

स्मारकों तथा होटलों में परिवर्तित किए गए भूतपूर्व नरेशों के भवन

5101. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भूतपूर्व नरेशों के देश में स्थित कुछ भवन, स्मारकों और होटलों में परिवर्तित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार एक विवरण संलग्न है।

"विवरण"

1. सावंतवादी	सावन्तवादी के भूतपूर्व नरेश ने "सत्यवलास " राजप्रसाद को सार्वजनिक-शिक्षा ट्रस्ट को सौंप दिया।
2. कोल्हापुर	कोल्हापुर के भूतपूर्व नरेश ने नये राजमहल के अधिकांश भाग को साथ की भूमि तथा भवनों समेत "शाहजी छत्रपति" संग्रहालय ट्रस्ट को दान में दे दिया।
3. ग्वालियर	जयविलास राज, ग्वालियर का कुछ भाग 9 ट्रस्टों को सौंपा गया है। वे हैं:– (1) जय-विलास ट्रस्ट (2) मन्नूमहल ट्रस्ट (3) महादाजी ट्रस्ट (4) गोर्खी ट्रस्ट (5) जयाजी ट्रस्ट (6) चिनकुराजै ट्रस्ट (7) रंगमहल ट्रस्ट (8) जनकोजी राव ट्रस्ट तथा (9) मन्नुराज ट्रस्ट।
4. रणपुर	रणपुर के भूतपूर्व नरेश "चांदपुर" राजमहल को उड़ीसा सरकार को दान दे दिया था तथा उसमें क्षय रोग अस्पताल चलाया जा रहा है।
5. पोरबन्दर	पोरबन्दर के भूतपूर्व नरेश ने एक राजमहल को शिक्षा विभाग को सौंप दिया है जिसको एक होटल के रूप में परिवर्तित किया है जो "लिलीज बंगला" नाम से जाना जाता है (जून 1955)।
6. जयपुर	रामगढ़ राजमहल, जयपुर को एक होटल के रूप में परिवर्तित किया गया है (दिसम्बर 1957)।

7. जयपुर	जयपुर के भूतपूर्व नरेश ने नगर राजमहल (सिटी प्लेस) जयपुर के एक भाग को एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया है तथा उसमें एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम "हिज हाइनेंस महाराजा आफ जयपुर म्यूजियम ट्रस्ट" है (अप्रैल, 1959)।
8. रामपुर	खासबाग राजमहल रामपुर के एक भाग को होटल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है (अप्रैल, 1969)।
9. रीवां	रीवां के भूतपूर्व नरेश ने रीवां की छुहियां कोठी तथा जनाना बाग को " एच० एच० महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव चैरिटेबल ट्रस्ट" को स्थानान्तरित किया है (फरवरी, 1972)
10. बारिया	भूतपूर्व नरेश बारिया ने देवगढ़ बारिया के राजमहल को "विभास ट्रस्ट" को स्थानान्तरित किया है (मार्च, 1972)।
11. पटौदी	पटौदी के भूतपूर्व नरेश ने इब्राहीम राजमहल तथा साथ की भूमि को एक ट्रस्ट को सौंप दिया है (अप्रैल, 1972)।
12. पटियाला	पटियाला के भूतपूर्व नरेश के राजमहल चैल को हिमाचल प्रदेश सरकार ने खरीदा है और उसे पर्यटक होटल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। (मई, 1972)।

उत्तर प्रदेश और कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्रों में अणुशक्ति चालित एकीकृत विकास समूहों की स्थापना

5102. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री प्रभुदयाल पटेल :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का अणुशक्ति पर आधारित प्रथम एकीकृत विकास समूह उत्तर प्रदेश और कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों समूहों के व्यवहार्यता प्रतिवेदनों को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ग) ऊर्जा एकक कब तक बन जायेंगे और प्रत्येक समूह की रूप रेखा क्या है ?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृहमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) तथा (ग) परमाणु ऊर्जा पर आधारित कृषि उद्योग सम्मिश्रों की संकल्पना का मूल्यांकन करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा जो कार्यकारी वर्ग नियुक्त किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कार्यकारी वर्ग ने जिन परियोजनाओं का अध्ययन किया है वे गंगा के मैदान तथा कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में इस प्रकार के सम्मिश्रों की स्थापना के सम्बन्ध में हैं। इन परियोजनाओं का अध्ययन और विस्तार से किया जा रहा है। अध्ययन की समाप्ति पर सरकार इन परियोजनाओं की स्थापना के बारे में निर्णय लेगी।

बंकरगढ़ (दिल्ली) ग्राम के स्वतन्त्रता सैनिनायिों को वापस कृषि योग्य भूमि दिलाना

5103. **श्री दलीप सिंह :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बंकरगढ़ ग्राम के निवासियों से 1857 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसे कारण समस्त कृषि योग्य भूमि और मकान छीन लिये थे कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या बंकरगढ़ ग्राम में सरकार द्वारा जिन परिवारों से भूमि छीनी गई थी उनके उत्तराधिकारियों को छीनी गई भूमि वापिस देने अथवा उसका मुआवजा दिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फतहपुर असैला ग्राम (दिल्ली) में 1857 में छीनी गई भूमि वापिस दे दी गई है तथा बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में भी यही किया गया है, इस संबंध में ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : 1857 की क्रान्ति के पश्चात् छीनी गई जमीन को वापिस देने अथवा उचित मुआवजे का भुगतान करने के बारे में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बकरगढ़ ग्राम के कुछ निवासियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन की जांच की जा रही है और इस जांच के अधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

Use of Devnagri Script as alternative script for all the languages in the country

5104. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Shri Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister had given a suggestion during a Chief Ministers' Conference held at that time for making Devnagri Script as an alternative script for all the languages of the country which received unanimous support;

(b) whether Government have taken any special steps to create suitable conditions in this direction; and

(c) if so, the results of the efforts made by Government in this regard so far?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) In the Chief Minister's Conference held in August, 1961, a recommendation was made saying that "common script would be a powerful link between the different languages of India and, therefore a great help in bringing about integration. Such a common script in India in the existing circumstances can only be Devnagri. While it may be difficult to adopt a common script in the near future, this object should be kept in mind and worked for."

(b) In pursuance of the above recommendation, the following actions have been taken :—

(i) A careful study of special sounds in various modern Indian languages has been made; and based on this, suitable symbols/diacritical marks have been added to the Devnagri script which has now come to be known as "Parivardhit Devnagri". A booklet containing this modified script was published and widely circulated to all State Governments, Universities and other institutions.

(ii) The Ministry of Education and Social Welfare, through the Central Hindi Directorate, have already brought out a few books of poems in regional languages using the Parivardhit Devnagri script.

(iii) In addition to the above, Government of India have also made provision for financial assistance to Voluntary Organisations for publication of books in regional languages in Devnagri Script with translation in Hindi.

(iv) A documentary film for popularising the Devnagri Script all over the country has been prepared.

(c) The results of these measures are being ascertained from the State Governments concerned.

संघीय लोक आयोग के माध्यम से दिल्ली उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वाइस-प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के लिए रक्षित कोटा निश्चित करने का अनुरोध

5105. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के चैयरमैन को दिल्ली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसोसियेशन के महामंत्री से शिकायत मिली है जो दिल्ली प्रशासन में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वाइस-प्रिंसिपलों के सभी पद वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरने के बजाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रक्षित कोटा निश्चित करने के बारे में हैं;

(ख) उक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा विनियमों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा पहले से की गई नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : संघ लोक सेवा आयोग को अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली के महा-मंत्री का इस आशय का एक पत्र मिला है कि दिल्ली प्रशासन में वायस-प्रिंसिपलों की 50 प्रतिशत रिक्तियों के को सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत को वरिष्ठता के आधार पर भरा जाना चाहिए, जिससे कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के कोटे में 15 प्रतिशत का आरक्षण मिल सके। कानूनी भर्ती के नियमों के अनुसार वायस-प्रिंसिपल के पदों को निम्नलिखित में से, शत-प्रतिशत पदो-न्नति द्वारा भरा जाता है :—(i) स्नातकोत्तर शिक्षक जिनकी उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो (50 प्रतिशत); (ii) सहायक डिस्ट्रिक्ट इंस्पैक्टर आफ स्कूल्स/सहायक समाज शिक्षा अधिकारी जिनकी उस ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा हो (10 प्रतिशत); तथा (iii) ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिनकी उस ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा हो (40 प्रतिशत)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति टीचर्स एसोसिएशन दिल्ली के महामंत्री द्वारा भर्ती की पद्धति को बदलने के लिए किए गए अनुरोध पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंक एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार किए जाने से पूर्व भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक ह। इस मामले में, भर्ती नियमों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार किया गया था और उन्हें पहली जून, 1968 को अधिसूचित किया गया था। सेवाओं के भर्ती नियमों को बनाते समय अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर भी उचित ध्यान दिया जाता है कि निम्न ग्रेड (ग्रेडों) में कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिये भावी पदोन्नति के उचित अवसरों को व्यवस्था की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतर ग्रेड के पदों को अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाय। इस मामले में, भर्ती नियमों को अंतिम रूप देते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था और इस स्टेज पर इन नियमों में संशोधन किये जाने की सलाह दिया जाना उचित नहीं है। फिर भी, कार्मिक विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञा० स० 27/2/71

स्था० (अनु० जा०) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 में जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था उन पदों पर भी की गई है जिन्हें वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(ग) यहां, हवाला शायद वाइस-प्रिंसिपल के ग्रेड में उन रिक्तियों की ओर है, जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों के उन पदों पर इस ग्रेड में, नियमित पद धारियों (इनकम्बैन्ट्स) की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न हुआ है जिन्हें तदर्थ आधार पर भरा गया था। आयोग राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के वाइस-प्रिंसिपलों के पदों पर अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए सहमत हुआ था न कि भर्ती नियमों के अनुसार वाइस-प्रिंसिपलों के पदों को कि एक विशिष्ट अवधि के लिए नियमित आधार पर भरे जाने तक के लिए हुआ था।

टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए दिल्ली की फर्मों को ऋण

5106. **श्री अम्बेश :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वी०पी० एंटरप्राइसेज, एफ ब्लाक, लाजपत नगर, नई दिल्ली को या वी० पी० एंटरप्राइसेज गांव मदनपुर दबास, दिल्ली को टेलीविजन सैटों के निर्माण या ऐसी किसी वस्तु के निर्माण के लिए ऋण या सहायक अनुदान मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म की वित्तीय स्थिति क्या हैं; और

(ग) ऋणी या सहायक अनुदान की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

लाजपत नगर, नई दिल्ली, स्थित अखिल भारत नेत्र सुधार संस्था, को आवंटित सरकारी भूमि का दुरुपयोग

5107. **श्री अम्बेश :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाजपतनगर के थानेदार को 1 जून, 1970 को 2 एफ, लाजपतनगर, नई दिल्ली स्थित अखिल भारत नेत्र सुधार संस्था को आवंटित सरकारी भूमि के दुरुपयोग के बारे में तथा उपरोक्त भूमि पर स्थित उक्त संस्था तथा डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट को दिये जाने वाले लाखों रुपये के सरकारी अनुदान के दुर्विनियोग के बारे में बी/145, अमर कालोनी, नई दिल्ली, स्थित लोक कल्याण सभा की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या लाजपतनगर के थानेदार से यह निवेदन किया गया था कि वह उक्त संस्थाओं के महासचिव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405, 409 अर्थात् आपराधिक विश्वासघात के अपराध में मामला दर्ज करें;

(ग) क्या लोक कल्याण सभा ने भूमि के दुरुपयोग तथा सरकारी अनुदान के दुर्विनियोग को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व लिया था तथा जांच करने वाले अधिकारी पुलिस सब-इस्पेक्टर को बहुत से कागजात भी दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो लाजपत नगर, नई दिल्ली के थानेदार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) लोक कल्याण सभा के कार्यालय ने जांच अधिकारी के समक्ष आरोप के समर्थन में कुछ कागजातों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की थीं ।

(घ) कोई प्रज्ञेप अपराध दर्ज नहीं किया गया क्योंकि तथ्यों से कोई प्रज्ञेय अपराध नहीं बनता था ।

उड़ीसा में माइक्रो-वेव व्यवस्था

5108. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बार-बार आये तूफानों से तार और टेलीफोन व्यवस्था की हुई भारी क्षति को देखते हुये, वहां माइक्रोवेव व्यवस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा): (क) जी हां ।

(ख) कटक और भुवनेश्वर को जोड़ने वाली एक माइक्रोवेव प्रणाली अगस्त, 1972 में चालू की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त एक यह भी प्रस्ताव है कि कटक को चौड़ी पट्टी की माइक्रोवेव प्रणाली पर सम्बलपुर के जरिए कलकत्ता और बम्बई से जोड़ दिया जाय जोकि कलकत्ता/जमशेदपुर/सम्बलपुर/नागपुर/बम्बई माइक्रोवेव मार्ग पर पड़ता है । सम्बलपुर और राउरकेला को माइक्रोवेव प्रणाली के जरिए जोड़ने की एक अन्य योजना भी बनाई गई है ।

उपर्युक्त सभी योजनाओं को मंजूरी दी जा चूकी है और इन पर प्रारम्भिक कार्य भी शुरु कर दिया गया हैं ।

अधिकारियों को अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

5109. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नाभाई मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए एक योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है, यदि हां, तो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्या परिणाम निकलें;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को प्रशासनिक सेवाओं तक सीमित रखने के बजाय सभी सेवाओं पर लागू करने का है; और

(ग) क्या सरकार ने संवर्ग के प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया है जो कि तंत्र तथा लोगों की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल होगा और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान । प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य अधिकारियों के बीच उचित दृष्टिकोण तथा मनोवृत्ति को अन्तर्निविष्ट करना है । अधिकांशतः ये कार्यक्रम सफल रहे हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । विभिन्न संवर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वर्तमान संदर्भ में अधिकारियों में सिविल सेवा की नैतिकता तथा सामाजिक आर्थिक जानकारी का विकास

तथा वृद्धि करना है। लालबहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में अखिल भारतीय तथा श्रेणी I की केन्द्रीय सेवाओं के लिए एक सामूहिक आधारात्मक पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों में एक सामूहिक दृष्टिकोण का विकास करना तथा लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के प्रति उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अनुकूलतम कार्रवाई करने की भावना उत्पन्न करना है। अखिल भारतीय तथा श्रेणी I सेवाओं के अधिकारियों को व्यावसायिक संस्थानों में अन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे सस्थानों में सेवाकालीन पाठ्य-चर्याएं भी चलाई जाती हैं तथा इन पाठ्यचर्याओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोक सेवाओं तथा साथ ही साथ लोगों के प्रति सही दृष्टिकोणों तथा पद्धति का मूल्यांकन तथा समस्याओं को हल करने के ढंग का विकास करना है।

श्री टाटा के ज्ञापन के बारे में उनसे बातचीत

5110. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री टाटा द्वारा कुछ समय पूर्व सरकार को दिये गये ज्ञापन के बारे में सरकारी अधिकारियों ने उनसे विस्तृत बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय के उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गृह मंत्री और मराठी भाषी लोगों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में चर्चाधीन विषय

5111. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई महता :

क्या **गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 नवम्बर, 1972 को मराठी-भाषा-भाषियों का प्रतिनिधित्व करने वाली महाराष्ट्र एकीकरण समिति का 11-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) प्रतिनिधि-मंडल 23 नवम्बर, 1972 को श्री कृष्णचन्द्र पन्त, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री से मिला था और एक ज्ञापन दिया था। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आग्रह किया था कि स्वीकृत नियमों के अनुसार बिना देरी किए मैसूर–महाराष्ट्र सीमा विवाद का समाधान किया जाना चाहिए। इस समस्या के बारे में परस्पर सम्मत हल के लिए सरकार की इच्छा से उन्हें अवगत कराया गया था।

दिल्ली में टेलीफोन की बकाया राशि

5112. **श्री प्रभुदयाल पटेल :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन की लगभग एक करोड़ रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बकाया राशि के कुछ भाग को बट्टेखाते डालना पड़ेगा क्योंकि अधिकांश दोषी व्यक्तियों का या तो पता नहीं लग रहा है या वे दिवालिया हो गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि प्रत्येक व्यापार संस्थान में होता है बकाया राशि का कुछ अंश बट्टे खाते डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस की वसूली कठिन होती है । किन्तु विभाग की जो रकम बट्टे खाते जाती है वह कुल बकाया राशि का बहुत छोटा अंश ही होगी ।

रायलसीमा के लिए प्रादेशिक विकास योजना

5113. **श्री के० कोण्डारामी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रायलसीमा के लिए प्रादेशिक विकास योजना का अध्ययन पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया:) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश द्वारा रायलसीमा क्षेत्र के लिए प्रस्तुत की गई प्रादेशिक विकास योजना पर उससे संबद्ध विभिन्न पहलुओं पर योजना आयोग द्वारा निर्णय करने से पूर्व आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा तत्सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जायेगा । तत्संगत पहलू ये हैं—योजना के भौतिक साधन, केन्द्र तथा राज्य में विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय उत्तरदायित्वों का विभाजन, इस बात की जांच करना कि राज्य योजना बजट में रायलसीमा के विकास संबंधी व्यय को किस सीमा तक समंजित किया जा सकता है, कार्यक्रमों की विशेषता तेलंगाना एवं तटवर्ती आन्ध्र प्रदेश से संबंधित इसी प्रकार के प्रस्तावों से उनका संबंध, आदि ।

आध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में उद्योग

5114. **श्री के० कोण्डारामी रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश के तीन विभिन्न क्षेत्रों तेलंगाना, रायलसीमा और तटवर्ती जिलों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने और कौन-कौन से बड़े, मध्यम और लघु उद्योग लगाए गए हैं;

(ख) इन उद्योगों पर केन्द्र द्वारा गत तीन वर्षों में क्षेत्रवार कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) वर्ष 1972-73 के लिए दोनों क्षेत्रों में क्षेत्रवार कितना धन नियत किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकार की सूचनानुसार गत तीन वर्षों की तुरन्त उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है :—

बड़े तथा मध्यम उद्योग

तेलंगाना प्रदेश	सरकारी क्षेत्र में 4 एकक	(प्रिसीजन बियरिंग, इलैक्ट्रानिक्स, डबल-रोटी तथा उर्वरक)

	निजी क्षेत्र में 15 एकक	(आटे की चक्की, शराब, वनस्पति, कताई मिल, पाइन केमीकल, रसायन तथा इंजीनियरिंग की वस्तुएं)
तटीय प्रदेश	सरकारी क्षेत्र में 2 एकक	(भारित एलेट्स तथा जलमान तथा दुग्ध चूर्ण)
	निजी क्षेत्र में 5 एकक	(चावल की भूसी का तेल, इलैक्टाड्स कोक, खाद्य वस्तुएं आदि)
रायलसीमा प्रदेश	सरकारी क्षेत्र	कोई भी नहीं
	निजी क्षेत्र 1 एकक	(ए० सी० एस० आर०/ए० ए० सी०
लघु क्षेत्र :	लघु क्षेत्र	कन्डक्टर)
तेलंगाना प्रदेश	सरकारी क्षेत्र	कोई नहीं
	निजी क्षेत्र	5267 एकक
तटीय क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	कोई नहीं
	निजी क्षेत्र	4665 एकक
रायलसीमा प्रदेश	सरकारी क्षेत्र	कोई नहीं
	निजी क्षेत्र	2378 एकक

इन एककों के उद्योगों का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : राज्य के लिये केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋण/अनुदान के रूप में वार्षिक आयोजना के आधार पर प्रदान की जाती हैं न कि प्रदेश वार अथवा आयोजनावार, आदि।

चौथी योजना में आंध्र प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना

5115. **श्री के० कोण्डारामी रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री चौथी योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में लघु-उद्योगों की स्थापना के बारे में 10 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 5762 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जानकारी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं० 5762 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(क) राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है।

(ख) वित्तीय संस्थाएं जैसे राज्य वित्त निगम, भारत का औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम पिछड़े जिलों में स्थित उद्योगों को अनेक सुविधायें दे रहे हैं। भारत का औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम कुछ विशिष्ट प्रोत्साहन देते हैं जैसे रियायती ब्याज दर पर ऋण देना।

ऋण चुकाने की अवधि विलम्बित करना या ऋण परिशोधन अवधि को बढ़ाना आदि। राज्य में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार 11 प्रकार के उद्योगों को जिनकी विनियोजित पूंजी 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और जो 1-1-1969 के बाद स्थापित किये गये हैं उन्हें विद्युत् उपदान देती रही है। छोटे लघु उद्योगों को काफी आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकारी विभागों को यह आवश्यक करके कि वे अपनी आवश्यकता के सामान स्थानीय उत्पादकों से खरीदेंगे, औद्योगिक एककों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग) संलग्न अनुबन्ध में जानकारी दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4095/72)।

राज्यों में जनशक्ति के आयोजन और नीतियों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त परिषदें बनाना

5116. **श्री सरजू पाण्डे :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य को जनशक्ति के आयोजन और नीतियों संबंधी उच्च शक्ति-प्राप्त परिषदें बनाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सुझाव पर किन-किन राज्यों ने ये परिषदें बना दी हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कोकाकोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को आयात लाइसेंस का जारी किया जाना

5117. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या कोकाकोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को चार लाख रुपये का तदर्थ आयात लाइसेंस जारी किया गया है और उन पर निर्यात संबंधी कोई शर्त नहीं लगाई गई;

(ख) क्या इस कारपोरेशन का कुल 12.85 लाख रुपये के मूल्य के तदर्थ लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मे० कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को अप्रैल, 1972 में कच्चे माल का आयात करने के लिए 4 लाख रुपये का आयात लाइसेन्स तब जारी किया गया था जब उन्होंने लिखित रूप में यह वचन दे दिया था कि वे कुल खर्च हुई विदेशी मुद्रा का कम-से-कम 20% निर्यात करेंगे। अतः लाइसेंस में अलग से कोई शत नहीं लगाई गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिकता तथा गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम कर रही विदेशी कंपनियों द्वारा रुपये को बाहर भेजा जाना

5118. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्राथमिकता क्षेत्र में काम कर रही विदेशी कंपनियों की ब्रांचों के नाम क्या हैं और वे किस-किस देश की हैं और 1968 से 1971 तक विदेशों को कितना रुपया भेजा गया है; और

(ख) भारत में गैर-प्राथमिकता अनावश्यक क्षेत्रों में काम कर रही विदेशी कंपनियों की ब्रांचों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस देश की हैं और उन्होंने 1968 से 1971 तक विदेशों को कितना रुपया भेजा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). भारत में विदेशी कंपनियों की शाखाएं बहुत पहले से अनेक उद्योगों में रत हैं। यद्यपि पूंजीगत वस्तुओं के आयात के संबंध में कुछ वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन विदेशी कंपनियों को प्राथमिकता प्राप्त और गैर-प्राथमिकता प्राप्त कंपनियों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें से अधिकांश कंपनियां एक से अधिक वस्तु का निर्माण करती हैं। प्राथमिकता प्राप्त या गैर-प्राथमिकता प्राप्त के रूप में वर्गीकृत अलग-अलग उत्पादों द्वारा प्रेषित की गई धनराशि बताना भी कठिन है। 1968-69 से 1970-71 तक के वर्षों में विदेशी कंपनियों की शाखाओं द्वारा लाभ की प्रेषित धनराशि निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	लाख रुपयों में
1968-69 . .	1714-41(*)
1969-70 .	1737-45* और (ई)
1970-71 . . .	2046-82(*)

विदेशी कंपनियों की इन 156 भारतीय शाखाओं के नाम 23 मई, 1972 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 561 के उत्तर में वित्त मंत्री द्वारा राज्य सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए थे।

टिप्पणी—*इसमें से वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में क्रमशः 580-98 लाख रुपये, 569.13 लाख रु० और 733.17 लाख रु० "कुल पारिश्रमिक" के कारण स्थानान्तरित राशि को प्रदर्शित करते हैं, इसमें शुद्ध लाभ, मूल्यह्रास, कर का प्रावधान और आरक्षित निधि से स्थानान्तरण सम्मिलिति हैं।

(ई) इसमें से वर्ष 1969-70 में 33.49 लाख रुपये पहले स्थानान्तरित लाभ से कम करने वाली राशि को प्रदर्शित करते हैं जिसका प्रेषण योग्य बकाया राशि के स्थान पर समंजन (प्राप्य के रूप में) कर लिया गया है।

भारतीय बाजारों में फैंटा की उपलब्धि सुलभ बनाने हेतु ओरेंज स्पैशल का उत्पादन बंद करना

5119. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स द्वारा कलकत्ता में फरवरी, 1971 तक 'ओरेंज स्पैशल' किस प्रकार बेची गई जब कि उन्होंने 1969 से 1971 तक ओरेंज स्पैशल कन्सेन्ट्रेट का उत्पादन नहीं किया;

(ख) भारतीय मार्किट में फैंटा की उपलब्धि को सुलभ बनाने के लिए भारतीय उत्पाद अर्थात् 'ओरेंज स्पैशल' को बन्द कर देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक विदेशी ब्रांड को भारतीय ब्रांड को खत्म करने की अनुमति दी गई और क्या यह हमारी आत्म निर्भरता की नीति के विरुद्ध है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ओरेंज स्पैशल की कितने मूल्य की बिक्री हुई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). मैसर्स प्योर ड्रिंक्स "ओरेंज स्पेशल" का सान्द्रण (कन्सेन्ट्रेट) स्वयं नहीं बना रहे हैं किन्तु कन्सेन्ट्रेट बनाने के लिए वे विभिन्न देशी स्रोतों से संयोगांग (इनग्रेडीएन्ट) खरीद करके "ओरेंज स्पेशल" नामक एक हल्का पेय बना रहे हैं ।

मैसर्स कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन जो 'फन्टा' सुरस के संभरण और खरीद का स्रोत है उसके बदल देने के उपरान्त 'प्योर ड्रिन्क्स' ने 'फन्टा-ड्रिन्क' का विपणन किया क्योंकि यह कुछ आयातित वस्तुओं के साथ देश में ही तैयार किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय संसाधनों का विदोहन करना और आत्म-निर्भर होना सरकार की नीति है। सुरसों (फ्लेवर) आदि का विकास करने के लिए आवश्यक अनुसंधान कार्य सेन्ट्रल फूड टैकनोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीटयूट मैसूर द्वारा किया जा रहा है।

(घ) सरकार इस प्रकार की बिक्री के आंकड़े नहीं रखती है।

प्रैस द्वारा स्वेच्छा से सुधार लाना

5120. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :

डा० रानेन सेन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ ने प्रेस द्वारा स्वेच्छा से सुधार लाने के बारे में सरकार के विचारों की आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस संघ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सारांश क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख): भारतीय श्रम-जीवी पत्रकार संघ की पत्रिका 'वर्किंग जर्नलिस्ट' के अक्टूबर के अंक में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा लिखित एक लेख की तथा उसी अंक में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4096/72]।

समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के विस्तार तथा उनके प्रबन्ध के बारे में समूचा प्रश्न विचाराधीन है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का विस्तार

5121. श्री राम भगत पास्वान : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी का विस्तार कार्यक्रम चालू है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विस्तार का औचित्य क्या है जब कि इसकी 50 प्रतिशत वर्तमान क्षमता अभी भी उपयोग किये बिना पड़ी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : मै० हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्ष 1971-72 की अवधि से 54 प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने लगी है। तकनीकी समस्याओं को कम करने और प्रबंधकीय क्षमता में सुधार करने के बारे में उठाये गये कदमों से उपयोग क्षमता में सुस्थिर सुधार हुआ है और 1972-73 की अवधि में अधिक उपयोग होने की आशा है। उन्होंने इस समय एक्सरे फिल्मों के निर्माण की 1.00 मि० वर्ग मीटर अधिष्ठापित क्षमता स्थापित की है और चालू वर्ष में उनका उत्पादन लगभग 0.689 मि० वर्ग मीटर होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में एक्सरे फिल्मों की मांग लगभग 5.0 मि० वर्ग मीटर प्रतिवर्ष होगी और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म (एच० पी० एफ०) ने एक्सरे फिल्म के निर्माण के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है।

Progress of Small Scale Industries

5122. **Shri Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state;

(a) the progress made in the development of the small scale industry, state-wise, during the last two years;

(b) whether the targets fixed by the Centre for the development of the said industry have been achieved in each State; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The following number of small scale industrial units registered with the State Directors of Industries during the years 1970-1971 reveals the progress achieved in the development of small scale industries:—

Name of the State	Number of small scale industrial units registered with the Directors of Industries during	
	1970	1971
1	2	3
1. Andhra Pradesh	22,280	25,866
2. Assam	1,600	1,922
3. Bihar	6,301	12,474
4. Gujarat	15,849	18,043
5. Haryana	7,301	8,767
6. Himachal Pradesh	5,792	6,612
7. Jammu & Kashmir	1,068	1,206
8. Kerala	10,554	12,682
9. Madhya Pradesh	16,245	19,441
10. Maharashtra	29,789	31,838
11. Meghalaya	..	193
12. Mysore	5,803	7,681

1		2	3
13.	Orissa	2,674	2,967
14.	Nagaland	351	499
15.	Punjab	27,049	30,219
16.	Rajasthan	7,864	8,970
17.	Tamil Nadu	22,23 1	25,190
18.	Uttar Pradesh	27,145	32,262
19.	West Bengal	18,490	23,053
20.	Chandigarh	279	363
21.	Dadra & Nagar Haveli	..	103
22.	Delhi	8,669	9,819
23.	Goa, Daman & Diu	589	827
24.	Pondicherry	343	402
25.	Manipur	67	233
26.	Tripura	164	213
	TOTAL	2,38,397	2,81,845

(b) & (c) No specific targets as such are fixed so far as small scale industries are concerned.

Development of Bihar

5123. **Shri Madhukar:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether development of industries in North Biharis almost negligible as compared to that in South Bihar;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Central Government have drawn attention of Bihar Government towards this imbalance in the development of industries in North and South Bihar and have asked them to remove this imbalance; and

(d) if so, Bihar Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) North Bihar is comparatively backward industrial *vis-a-vis* South Bihar. The reasons for its industrial backwardness could be frequent floods, lack of infrastructure and non-exploitation of the industrial potential particularly in respect of dairy development, textiles and small industries based on modern agriculture. While State Government has not been specifically addressed in this regard, North Bihar is already receiving a large share of the plan expenditure on agriculture, irrigation and rural electrification.

उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् का गठन

5124. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उद्योगों की वर्तमान केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद का गठन क्या है ; और

(ख) इस निकाय के सदस्यों का चयन किस आधार पर होता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उद्योगों की वर्तमान केन्द्रीय सलाहकार परिषद का गठन संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये संख्या एल० टी० 4097/72**]

(ख) उद्योगों की वर्तमान केन्द्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की नियुक्ति उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा (5) की उपधारा (2) में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार की जाती है।

केरल में लघु उद्योगों के विकास के लिए राशि का आवंटन

5125. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चौथी पंच वर्षीय योजना के लघु उद्योगों के विकास के लिये कितनी धनराशि रखी गई, अब तक कितनी खर्च की गई, कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये और कितने लोगों को रोज़गार दिया गया, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न पर केरल सरकार से बातचीत की है और यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां। यह देखा गया था कि ग्रामीण तथा लघु क्षेत्र पर संपूर्ण व्यय चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चौथी योजना परिव्यय से 9.25 लाख रु० बढ़ जायेगा।

"विवरण"

लाख रु० में

क्रम सं०	चौथी योजना परिव्यय	1969–72 में वास्तविक व्यय	1972–73 पूर्वानुमानित	योग (कालम 3 और 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. लघु उद्योग . .	262.00	245.24	71.04	317.28
2. औद्योगिक बस्तियां . . .	100.00	44.92	27.00	71.92

उद्योग निदेशक, केरल के पास 31–12–1971 को 12,682 एकक पंजीकृत थे। रोज़गार के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ समय पहले 1,898 चुने हुये लघु एककों के सर्वेक्षण से पता चला है कि इन एककों में 58,710 व्यक्तियों को रोज़गार मिला हुआ है।

केरल के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष रोजगार योजना

5126. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समाज के निर्धन तथा पिछड़े वर्गों को रोज़गार तथा लाभप्रद व्यवसाय प्रदान करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई विशेष रोज़गार कार्यक्रम लागू किया गया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उक्त कार्यक्रम पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उक्त कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में लागू किया गया है तथा इस कार्यक्रम से सम्भवत : कितने लोगों को लाभ होने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क). से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

"विवरण"

केरल राज्य के विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972–73 के लिये योजना आयोग ने निम्नांकित 12 स्कीमों का अनुमोदन किया है :–

क्रम सं०	स्कीम	परिव्यय	रोज़गार	क्षेत्र/जिला
		(लाख रु०)	क्षमता	अन्तर्गत
1.	छोटी सिंचाई स्कीमें .	29	3 लाख श्रम दिवसों से अधिक ।	चेंगान्नूर
2.	भूमि संरक्षण . .	25	7.8 लाख श्रम दिवस	क्वीलन, कोट्टायम, कन्नौर, मालापुरम, त्रिवेन्द्रम, इर्नाकुलम और त्रिचूर ।
3.	सहकारी औषधालय	4	88 व्यक्ति	सभी ज़िले
4.	शहरी औषधालय	80	1500 व्यक्ति डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों समेत	वही
5.	पालघाट बुनियादी आधार का विकास	राज्य सकार नें अभी तक नहीं बताया है	0.61 लाख श्रम दिवस	पालघाट
6.	पशु प्रजनन केन्द्र .	15	1145 व्यक्ति	–वही–
7.	दुग्ध उत्पादन स्कीमें .	43	1000 शिक्षित व्यक्ति और काफी संख्या में अन्य	500 पंचायतें
8.	कोटारम नहर का सुधार	3	0.91 लाख श्रमदिवस	एलेप्पी ज़िला
9.	औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशाला	3	20 तकनीकी व्यक्ति	त्रिवेन्द्रम
10.	पम्प सुगर मिल एरिया में छोटी सिंचाई	14	उपलब्ध नहीं	पम्प एरिया
11.	औद्योगिक स्कीमें .	90	2400 व्यक्ति	एलेप्पी, इर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर और कालीकट सभी
12.	स्नातकोतरों को रोज़गार .	3	--	जिले

इन कार्यक्रमों को शुरू करने में 104 लाख रु० की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जायगी और बकाया राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

इन कार्यक्रमों द्वारा सभी वर्गों के नौकरी चाहने वालों के लिये रोजगार की सुविधायें प्राप्त की जायगी। इनमें से अधिकांश इस प्रकार की हैं जिनसे गरीब लोगों तथा राज्य के पिछड़े वर्गों को लाभ होगा।

केरल में चौथी योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए राशि का नियतन

5127. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है तथा इस में केन्द्रीय क्षेत्र में सें केरल राज्य के लिये कितना अंश होगा;

(ख) केरल में स्थापित किये गये उद्योगों में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या केरल में ऐसे उद्योगों के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) चौथी योजना में विभिन्न केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने/स्थापित करने के लिये प्रस्तावित लगभग 1,581 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से केरल का अंश लगभग 57 करोड़ रु० था। मध्यावधि मूल्यांकन के फलस्वरूप केरल का पुनरीक्षित अंश लगभग 64 करोड़ रुपये है।

(ख) तथा (ग): केरल में केन्द्रीय सरकार की केवल दो औद्योगिक परियोजनायें हैं जिनका औद्योगिक विकास मन्त्रालय सें प्रशासनिक सम्बन्ध हैं और उनके सम्बन्ध में हुई प्रगति नीचे दी गई है:

(1) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमशशेंरी की छपाई मशीन परियोजना

मे० सोशिस्ट/नेविग्रोलो आफ तुरीन इटली के साथ इस परियोजना के लिये एक तकनीकी सह-योग पर हस्ताक्षर हो गये हैं। सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अपनी सहमति दे दी है। इस एकक ने 1972-73 के दौरान एस० के० डी०/सी० के० डी० में से छपाई और कागज काटने की मशीनों को जोड़कर तैयार करने का कार्यक्रम बनाया है।

(2) ट्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स

यह मूल रूप से राज्य सरकार की परियोजना है जिसके लिये चौथी योजना में राज्य सरकार को वितरण के लिये केंद्रीय अंश के रूप में 1.90 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह समूची राशि ट्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स में विनियोजन के लिये पहले ही राज्य सरकार को दे दी गई है।

उपर्युक्त दो परियोजनाओं के अलावा 70,000 मी० टन अखबारी कागज और 10,000 मी० टन मैगजीन कागज बनाने की वार्षिक क्षमता से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का केरल में एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20-25 करोड़ रुपये हैं। कच्चे माल की उपलब्धता और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के सम्दन्ध में राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है। इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा का भी प्रोसेस कन्ट्रोल वाल्वों और सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये पालघाट के निकट एक प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री स्थापित करने का विचार है जिसके 1973-74 में प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है।

उपर्युक्त के अलावा केरल में चौथी योजना के दौरान अनेक केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो अन्य मन्त्रालयों के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

केरल स्थित उद्योगों के लिए निधियों का नियतन

5128. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मध्यम पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये केरल सरकार को कुल कितनी धन राशि दी ;

(ख) उन परियोजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई है जिन के लिये केन्द्र द्वारा निधि दी गई थी ;

(ग) नियत की गई उक्त केन्द्रीय निधि इस प्रकार आंथिक रूप से पिछड़े अन्य राज्यों के लिये इसी अवधि के दौरान नियत की गई निधि से कितनी कम या अधिक है ; और

(घ) राज्य की अर्थ व्यवस्था के धीमें विकास को देखते हुये क्या केन्द्र सरकार का विचार अपने अंशदान की राशि में वृद्धि करने का हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता क्षेत्र अथवा योजना प्रोग्रामवार नहीं की जाती है अपितु वार्षिक योजना के आधार पर एक मुस्त अनुदान और ऋण के रूप में दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) योजना के पहले चार वर्षों के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का आवन्टन बताने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 4098/73]

(घ) केरल के केन्द्रीय सहायता के भाग पर एक मुस्त अनुदान और ऋण के कुल आवन्टन को ध्यान में रखते हुये विचार किया जा सकेगा।

मन्नानथोड़ी और तेल्लीचेरी के बीच सीधी टेलीफोन लाइन

5129. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मन्नानथोडी के टेलीफोन प्रयोक्ताओं से एक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह मन्नानथोडी को सीधे ट्रंक टेलीफोन लाइन से तेल्लीचेरी के साथ जोड़ने के लिये कार्यवाही करे, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) उत्तरी वाईनाड तालुक मुस्लिम लीग कमेटी की तरफ से नवम्बर, 1972 में एक याचिका प्राप्त हुई है।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच इस दृष्टि से की जा रही है कि क्या तकनीकी दृष्टि से इसका कार्यान्वयन संभव है।

टोकियो में द्वितीय एशियायी जनसंख्या सम्मेलन

5130. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 नवम्बर, 1972 को टोकियो में हुये द्वितीय एशियाई जनसंख्या सम्मेलन में भारत भी शामिल हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों ने उसमें भाग लिया ; और

(ग) क्या सम्मेलन ने तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को अविलम्ब नियंत्रण में लाने हेतु एक गहन परिवर्तनकारी नई कार्यवाही के लिये आवाहन किया ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) एशिया एवं सुदूर पूर्व विषयक आर्थिक आयोग के जिन सदस्य देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया, वे थे : आस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, खमेर गणराज्य, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, नेपाल नीदर लैण्ड, न्यूजीलैन्ड फिलीपाइन्स, श्रीलंका गणराज्य, थाईलेण्ड, सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और हांगकांग गणराज्य। इसके अतिरिक्त संघीय गणराज्य जर्मनी और स्वीडन ने भी उस सम्मेलन म अपने प्रेक्षक भेजे।

(ग) जी नहीं ।

Rise in Price of Tractors

5134. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether according to the news item appearing in 'Nav Bharat Times' of the 1st September, 1972 the prices of 'Hindustan' and 'Escorts, tractors have been increased twice during the last financial year as a result of which the farmers have started hesitating to purchase tractors ;

(b) Whether the price of 'Hindustan' tractor of 50 Horse Power has been raised from 24,900 in September, 1971 to Rs .32,900 in February, 1972 and similarly the price of 'Escorts' tractor has been raised from 19,930 to Rs . 25,200; and

(c) if so, the reasons for increasing the price beyond the purchasing power of the farmers and the action being taken by Government to bring down the price of the tractors?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The selling prices of tractors were increased in September 1971 on the recommendations made by the Bureau of Industrial Costs & Prices after a detailed cost investigation. They were again increased in February 1972 after a re-examination by the Bureau in the light of representations submitted by the tractor manufacturers. The figures mentioned in part (b) of the question in regard to the prices of Hindustan 50 tractor and Escorts tractor are correct.

The increases in the selling prices are due to the following factors:—

(i) Increase in the cost of imported components used for the manufacture of indigenous tractors;

(ii) Increase in the price of indigenous raw materials and bought-out components;

(iii) increase in the cost of direct labour and overheads (which include the cost of supervisory labour) increments and increase in D.A. etc.

(iv) Imposition of customs duty on imported components and excise duty on the built-up tractor.

The slackening in the sales of tractors is mainly due to the following factors:—

(i) Tightening of credit facilities by financial institutions and delay in the sanction of loans;

(ii) Uncertain conditions due to impending land ceiling legislation; and

(iii) suspension of hire-purchase facilities by some of the Agro-Industries Corporations.

All possible assistance is being given to the tractor manufacturing units to step up the production of tractors. It is hoped that with the increase in the production and *inter-se* competition amongst the tractor manufacturers, the prices will come down to a raesonable level.

पांचवी योजना के लिए विदेशी सहायता

5135. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं योजना के लिये विश्व के विभिन्न देशों द्वारा देशवार कितनी-कितनी विदेशी सहायता देनें का आश्वासन दिया गया है;

(ख) क्या इस संदर्भ में समाजवादी देशों के अंशदान में वृद्धि हुई है; और

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण तथा अन्य सम्बद्ध अध्ययनों पर चर्चा हो रही है, अत: इस समय कोई खास सूचना उपलब्ध करना सम्भव नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

Possession of Fire Arms by Former Rulers

5136. **Shri Arjun Sethi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have permitted the Ex-Rulers of the princely States and their families to possess fire arms, a rifle, a gun and a revolver or a pistol and additional requirement of fire arms according to the need;

(b) whether licences would be issued free; and

(c) if so, what are the reasons for such provisions?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b) Yes, Sir.

(c) The decision has been taken, considering various aspects, including the needs and requirements of Ex-Rulers etc.

In the matter of grant of free of fee licences for possession of arms, the ex-Rulers and the ex-exemptee members of their families have been allowed the same concession, as is at present available under the Arms Rules to other ex-exemptee members of public, under item No. 7 of the table appended to GSR 991 dated 13-7-1962.

एयर इंडिया के कार्यालय के बाहर शिव सेना के व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन

5137. **श्री डी० के० पंडा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है, कि शिव सेना के व्यक्तियों ने एयर इंडिया के बम्बई स्थित कार्यालय के बाहर हिंसात्मक प्रदर्शन किया था और यह मांग की थी कि केवल मराठी भाषी लोगों को रोजगार दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख). सरकार ने बम्बई में तथाकथित घटना में शिव सेना के अन्तर्ग्रस्त होने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देखी है जो 20 नवम्बर, 1972 के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुई थी। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 नवम्बर, 1972 को शिव सेना ने भर्ती के मामले में मराठाओं को प्राथमिकता नहीं देने में एयर इंडिया के प्राधिकारियों के तथाकथित व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये बम्बई में एयर इंडिया कार्यालय पर एक जलूस का आयोजन किया। जलूस एयर इंडिया भवन से कुछ दूर रोक दिया गया। एयर इंडिया के अधिकारी श्री बाल ठाकरे तथा अन्य छः के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिये सहमत थे। प्रतिनिधिमण्डल एयर इंडिया अधिकारियों द्वारा भवन की 21वीं मंजिल पर एयर इंडिया के सचिव के कार्यालय में ले जाया गया। प्रतिनिधिमण्डल प्रधान कर्मचारी प्रबन्धक के साथ मामले पर विचार विमर्श करना चाहता था, जो उस भवन में उपलब्ध नहीं थे। वे लगभग दो घंटे बाद आये और भवन के उस कमरे में गये जहां प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य प्रतीक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि उनके साथ कार्यालय कमरे के बाहर शिव सेना के कुछ सदस्यों ने हाथापाई की और धूंसे मारे गये, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कुछ चोट लगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448, 323 व 114 के अधीन एक अपराध दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल हो रही है। इस सम्बन्ध में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये बताये जाते हैं।

लाइसेंसों के लिए गुजरात से आवेदनपत्र

5138. **श्री डी पी जबेंजा:**

श्री बेंकारिया:

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) 1970–71 और 1971–72 में गुजरात में उद्योगों की स्थापना हेत कितनी फर्मों ने लाइसेसों के लिए आवेदन पत्र दिए हैं;

(ख) कितनी फर्मों को लाइसेंस दे दिए गए हैं; और

(ग) कितने आवेदनपत्र रद्द कर दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग). 1–1–1970 और 30–9–1972 के बीच गुजरात राज्य में नए उपक्रम स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के हेतु 406 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 30–11–1972 तक 58 आशय पत्र और 8 औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण,, कच्चे माल की कमी, अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए गुंजाइश न होना, अनुपातिक भारी व्यय सरकारी क्षेत्र का दृष्टिकोण, (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की अप्रयोजनीयता या इसके अन्तर्गत छूट आदि जैसे विभिन्न कारणों से औचित्य के अनुसार 95 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा दल को तैनात करना

5139. **श्री भोगेन्दर झा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा दल की 9 बटालियन तैनात की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सीमा सुरक्षा बल को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात करने के बारे में सूचना गोपनीय है तथा इसको प्रकट करना लोकहित में वांछनीय नहीं समझा गया है।

Purchase of Khadi Cloth by Ministry of Communications

5140. **Shri Chiranjiv Jha** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has discontinued purchase of Khadi cloth; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) & (b). The khadi cloth is being used for the Ministry and the Monitoring Organisations. The mill-made cloth has, however, been allowed to be used as a purely *ad hoc* measure for fabrication of uniforms for the P&T and OCS staff. This has been done due to persistent demand from the beneficiaries that the uniforms made out of Khadi cloth get quickly soiled and do not stand the strain of hard wear besides being less durable.

अप्रैल 1968 की हड़ताल के बाद सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को उन के वेतन तथा भत्तों की अदायगी

5141. **श्री इन्दरजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के तथा विशेष रूप से डाक व तार विभाग के उन बहुत से कर्मचारियों को, जो वर्ष 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए थे तथा बर्खास्त कर दिए गए थे और जिन्हें बाद में बहाल कर दिया गया था, बेरोजगारी की अवधि के वेतन तथा भत्ते अदा कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के साथ भी वैसा ही समान सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न करने के क्या कारण हैं जिनकी सेवाएं तो समाप्त कर दी गई थीं परंतु जिन्हें न तो गिरफ्तार ही किया गया था और न ही जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही ही की गई थी ; और

(ग) क्या इस दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को भी उनकी बेरोजगारी की अवधि के दौरान के वेतन तथा भत्तों की अदायगी की जाएगी ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क), (ग)

यद्यपि केन्द्रीय सरकार के विशेषतया, डाक तथा तार विभाग और रेलवे के ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में ठीक-ठीक जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है, जिन्हें सितम्बर, 1968 में की पिछली हड़ताल में भाग लेने के संबंध में गिरफ्तार और बर्खास्त किया गया था और बाद में वेतन भत्तों सहित जिन्हें नौकरी में बहाल कर दिया गया था, फिर भी, इस सम्बंध में सामान्य स्थिति निम्न प्रकार है :—

सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के संबंध में, अपील अथवा समीक्षा के फलस्वरूप या न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उन्हें सेवा में बहाल किए जाने पर, सक्षम प्राधिकारी को, जो ऐसी बहाली का आदेश देता है, प्रत्येक मामले के गुणावगुण तथा परिस्थितियों और न्यायालय के आदेशों को, यदि कोई

हो ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में उस वेतन और भत्तों की राशि निर्धारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं, जो ऐसे किसी कर्मचारी को उसके बर्खास्त किए जाने और बहाल किए जाने की तारीख के बीच की अवधि के लिए दिए जाने हों।

स्थायी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 (1) के अंतर्गत किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं सरकारी कर्मचारी द्वारा अथवा नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा एक मास का नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। किंतु, अगर ऐसे किसी कर्मचारी की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाती हैं तो उसे नोटिस की अवधि, अथवा यथास्थिति, नोटिस की उतनी अवधि के लिए जितनी उसमें एक मास से कम ठहरती हो, के लिए उन्हीं दरों पर वेतन तथा भत्तों की राशि के बराबर रकम देनी पड़ती है जो वह अपनी सेवा के समाप्त किए जाने के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहा था। ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के मामलों में, जिनकी सेवाएं सितम्बर, 1968 में हुई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के समय समाप्त कर दी गई थीं, उदारीकरण के उपाय के तौर पर, सरकार ने फैसला किया है कि उन कर्मचारियों को सेवा में वापिस ले लिया जाना चाहिए और ऐसा करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि सेवा नियमों के अधीन उन पर कैसी समीचीन अनुशासनिक कार्यवाही की जानी है। चूंकि ये कर्मचारी उनकी सेवाएं समाप्त कर दिए जाने के बाद सरकारी कर्मचारी नहीं रह गए थे, अतः उन्हें सेवा में वापिस लिए जाने से पूर्व बीच की अवधि के लिए वेतन तथा भत्ते देने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था।

सरकारी उपक्रमों से विज्ञापन

5142. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 के पहली, दूसरी तथा तीसरी तिमाही के दौरान, सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के सब से अधिक विज्ञापन 'स्टेट्समैन,' 'टाइम्स आफ इंडिया,' 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'इंडियन एक्सप्रेस' को मिले ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रैस के एकाधिकार के केन्द्रीयकरण को विघटित करने की नीतियों के अनुरूप है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपनी प्रचार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाचारपत्रों को विज्ञापन रिलीज करने के लिये प्रबन्ध स्वयम करते हैं। पूछी गई जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन उपक्रमों का कार्यकरण विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत आता है।

सरकारी उपक्रमों को अपने विज्ञापनों के लिये छोटे तथा मझोले दर्जे के समाचारपत्रों का अधिकाधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है।

प्रसिद्ध गायक सहगल की 25वीं बरसी पर स्मृति डाक टिकट

5143. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को पता है कि प्रसिद्ध तथा विश्व विख्यात गायक सहगल की 25वीं बरसी जनवरी, 1973 में पड़ती है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवसर की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेंमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। आम तौर पर महान व्यक्तियों की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के बारे में उन की जन्म या मृत्यु की शताब्दी या पहली या 10वीं बरसी के समय विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में तथा भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स में अनियमित नियुक्तियां

5144. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के महानिदेशक भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं ;

(ख) क्या इन दोनों सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों के पदों पर अनियमित नियुक्तियों के बारे में उक्त महानिदेशक चेयरमैन के विरुद्ध भाई भतीजावाद अपनाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कर ली गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में भाई–भतीजेवाद सम्बंधी कुछ शिकायतें मिली थीं और उनकी अच्छीं प्रकार से जांच की गई थी।

नई दिल्ली में हुई 'इक्नामिक' पत्रकारों की विचार गोष्ठी

5146. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 से 9 दिसम्बर, 1972 तक नई दिल्ली में हुई एक विचार गोष्टी में एशिया, अफ्रीका, पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप और अमेरीका के 50 से भी अधिक आर्थिक 'इकनामिक' पत्रकारों ने भाग लिया ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) : फोरम आफ फाइनेन्सियल राइटर्ज, नई दिल्ली, जो एक गैर-सरकारी संगठन है तथा आर्थिक विषयों के पत्रकारों की एक एसोसिएशन है, ने आर्थिक विषयों के पत्रकारों की एक विचार–गोष्ठी का आयोजन किया था । ऐसा पता लगा है कि विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए विदेशों के लगभग 50 पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था।

(ख) तथा (ग) : विचार गोष्ठी द्वारा अपनी कार्यवाही की समाप्ति पर जारी किए गए वक्तव्य की एक प्रति सदन की मेज पर रख दीं गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०–4099/72]

25 नवम्बर, 1972 को केन्द्रीय मंत्री द्वारा विजयवाड़ा का दौरा

5147. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 नवम्बर, 1972 को केन्द्रीय मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से अवगत होने के लिए विजयवाड़ा का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; यदि हां, तो स्थिति के बारे में उनका मूल्यांकन क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्थिति का सामना करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को क्या सहायता दी गयी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : कानून और व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालने वाली घटनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार से निकट का सम्पर्क बनाए हुए है । 22 और 24 नवम्बर, 1972 के बीच स्थिति का मूल्यांकन करने तथा सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए, आवश्यक उपायों की समीक्षा करने के लिए श्री राम निवास मिर्धा, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हैदराबाद, विजयवाड़ा तथा गुंटूर का दौरा किया गया था । राज्य सरकार को संघ की सशस्त्र बल की आवश्यक सहायता उपलब्ध की गई है ।

पत्र बमों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा धातु सूचक यंत्र का निर्माण

5148. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक सुधरी हुई किस्म की धातु सूचक यंत्र बनाया है जिससे पत्र बमों का पता लगाने में सहायता मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए प्रयोग की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तुत 'पत्र बम सूचक यंत्र' में एक इलेक्ट्रानिक रेडियों फ्रीक्वेंसी जेनेरेटर, एक संवेदन यंत्र और एक उच्च शक्ति का प्रभावशाली इलेक्ट्रानिक सूचक है । जब बम–युक्त पत्र संवेदन यंत्र के माध्यम से गुजरता है तब इलेक्ट्रानिक सूचक यंत्र से एक श्रवण संकेत दृश्य संकेत के साथ दिया जाता है ।

Number of Madhya Pradesh Radio Stations Broadcasting Local Programmes on Medium Wave

5149. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the present number of A.I.R. Stations in Madhya Pradesh which broadcast local programmes on medium wave and relay other programmes;

(b) the broadcasting range of the stations; and

(c) the percentage of area covered by the above stations to the total area of Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Five, including 3 auxiliary centres.

(b) The broadcasting range of stations varies from 24 kms. to 269 kms., depending upon the terrain, power and wave-length.

(c) About 49% coverage by area on the medium wave and nearly 100% on short wave, is provided by the above stations.

Manufacture of Teleprinter Machines

5150. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Teleprinter Machines manufactured by the Hindustan Teleprinter during the last two years; and

(b) the number of the machines of various scripts separately?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :

(a) Year	No. of teleprinters manufactured
1970–71	4,499
1971–72	3,844

In addition, the Company also manufactured a number of attachments, ancillaries and line units. The total number of teleprinters manufactured in term of equivalent units during 1970–71 and 1971–72 was 4,911 and 4,779, respectively.

(b) Script	No. of machines	
	1970–71	1971-72
English (Roman)	4,048	3,703
Devanagari .	59	135
Arabic .	392	6

Allocation of Funds for Agricultural Farms and for the Development of Minerals during Fifth Plan

5151. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether funds proposed to be allocated for agricultural farms and for the development of minerals in the Fifth Five Year Plan will be double the funds earmarked for these works in the Fourth Five Year Plan; and

(b) the state-wise allocations made for these works?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Fifth Five Year Plan is now in the process of being formulated and sectoral allocations are yet to be decided.

(b) Does not arise.

दिल्ली में अचल सम्पत्ति का क्रय और विक्रय

5152. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की चार दीवारी में अचल सम्पत्ति का क्रय और विक्रय 1913 के पंजाब पूर्वक्रय अधिनियम के अन्तर्गत होता है, जिसके द्वारा कुछ लोगों जैसे समीपस्थ मकान के मालिक को मुहल्ले के बाहर के व्यक्ति की अपेक्षा किसी सम्पत्ति को खरीदने में प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) क्या पंजाब में 1960 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था जिसमें पूर्वक्रय का अधिकार केवल किरायेदार को दिया गया था ;

(ग) क्या यह संशोधन दिल्ली में भी लागू किया गया था ; यदि नहीं तो, इस पक्षपात के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मूल अधिनियम के इस संशोधन को दिल्ली की चार दीवारी में सम्पत्ति के क्रय और विक्रय के सम्बन्ध में भी लागू किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) : 1960 में पंजाब में अधिनियम में किए गए संशोधनों को दिल्ली में लागू करने के प्रश्न पर 1961 में विचार किया गया था किन्तु, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में क्योंकि उस व्यक्ति को जिसका मकान किराएदार द्वारा अधिवासित है पांच वर्ष की अवधि के लिए उसका कब्जा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, अतः यह निर्णय किया गया था कि संशोधनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी, हाल ही में सुझाव प्राप्त होने के कारण से प्रश्न का आगे पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

अपेक्षाकृत बड़े व्यापार गृहों का विस्तार

5153. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि अपेक्षाकृत बड़े व्यापार गृहों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास जारी रखने की स्वीकृति दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1970 में घोषित संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार बृहत्तर औद्योगिक गृहों से आशा की जाती है कि वे मुख्यत : प्रधान तथा भारी निवेश के क्षेत्र में कार्य करेंगे । सरकार बृहत्तर औद्योगिक गृहों को यदि वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो मध्यम क्षेत्र में उन्हें अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है । इस मामले में अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

तार मैसेन्जरों के वेतन

5154. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तार मैसेंजरों के वेतन दरों में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां तो नई तथा पुरानी दरों का तुलनात्मक विवरण क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो क्या इन दरों का पुनरीक्षण सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) मामले में कब तक निर्णय किए जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :

(क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस मामले पर यथासंभव जल्द निर्णय लिया जाएगा। निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ऐसी कोई तारीख नहीं बताई जा सकती।

आकाशवाणी में कोषाध्यक्ष तथा स्टोर की देखभाल करने वाले स्टाफ को देय विशेष भत्ता

5155. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोकड़ रखने के लिए आकाशवाणी में कोषाध्यक्षों को विशेष भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां तो क्या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को भी जो लाखों रुपये के स्टोर की देखभाल करते हैं; कोई भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या स्टोरकीपरों को अन्य कोई आर्थिक लाभ मिलता है अथवा क्या भंडार का हिसाब-किताब रखने के लिए उन्हें प्रतिवर्ष 5 रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करने पड़ते हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) आकाशवाणी के स्टोर-कीपरों का वेतनमान कैशियरों के वेतनमान से अधिक है। यह उच्च वेतनमान उनके काम के स्वरूप के कारण दिया गया है। कैशियरों तथा स्टोर-कीपरों, दोनों को सामान्य वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित स्वीकार्य जमानत देनी पड़ती है। यह स्थिति एकमात्र आकाशवाणी के लिए ही विचित्र नहीं है।

टेलीविजन उपग्रह का छोड़ा जाना

5156. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्णतः भौमिक पद्धति को इस आधार पर रद्द करते हुए कि इस पद्धति में उपग्रह तथा भौमिक जालसूत्र की मिलीजुली पद्धति की अपेक्षा तिगनी लागत आती है, राष्ट्रीय टेलीविजन पद्धति का पालन करते हुए एक टेलीविजन उपग्रह छोड़ने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय दूरदर्शन व्यवस्था के लिए एक उपग्रह को काम में लाने की योजना का विवरण अभी तैयार किया जा रहा है।

पांचवी योजना के दृष्टिकोण में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु राज्यों को मार्गदर्शी निर्देश

5157. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में शामिल किए जाने के लिए आयोग द्वारा जारी किए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कनने के निर्देश दिए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जी नहीं। पांचवीं योजना से संबंधित कई विषयों के बारे में योजना आयोग को अभी अपना मत स्थिर करना है, अतः राज्यों की पांचवीं योजनाएं तैयार करने के संबंध में योजना आयोग ने अभी तक राज्यों को कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं भेजे हैं।

पांचवीं योजना के दौरान मैसूर में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

5158. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा**: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना के दौरान मैसूर राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए मैसूर राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): मैसूर राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम अभी आरम्भिक चरणों में है। मैसूर सरकार द्वारा भेजा गया "मैसूर राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति व्यापक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(क) सम्बद्ध आर्थिक सूचकों के अपेक्षित अभिप्राय के मुताबिक बिदार, गुलबर्ग, रायचूर और बीजापुर जिलों की न्यूनतम विकसिती के वर्ग में रखा गया है। इनमें से बिदार सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है। सभी क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों को राज्य के बाकी भागों के समान बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ख) राज्य का पश्चिमी घाट क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र के समेकित विकास के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) मैसूर राज्य के ग्यारह जिलों यानी बलगांव, बिदार, बीजापुर, धारवार, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा और तुमकुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना गया है और इन जिलों में उद्योग आरम्भ करने वाले उद्यमियों की संस्थानों से रियायती दरों पर धन प्राप्त करने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इसके अलावा, रायचूर, धारवार, और मैसूर जिलों में शुरू की जाने वाली नई इकाइयों के स्थायी पूंजीगत विनियोजन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की इमदाद दी जायेगी। इन पिछड़े क्षेत्रों में, मैसूर राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा भूमि के नियतन के लिए केवल 10 प्रतिशत मूल्य उसी समय अदा करना होगा जब कि अन्य क्षेत्रों में यह 20 प्रतिशत होगा। राज्य के अन्दर लिए गए पूंजीगत सामान पर बिक्री कर नहीं लिया जायेगा और जहां स्टाम्प कर, राज्य सरकार के छूटों के अन्तर्गत नहीं आता वहां मैसूर राज्य वित्त निगम न्याय संगत गिरवियों (इक्विटेबल मोर्टगेजिज) को मैसूर राज्य वित्त निगम स्वीकार करेगा।

(घ) राज्य सरकार ने नये उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की पेशकश की है। ये हैं : सम्भाव्यता अध्ययनों को तैयारी के लिए अंशदान करना, कच्चे माल पर लिए जाने वाले बिक्री कर को नकद वापिसी और उत्पादन के पहले 5 वर्षों के लिए बिजली कर की अदायगी से छूट, औद्योगिक उपयोग में लाई गई कृषि भूमियों पर लगाये जाने वाले बिक्रियां जुर्माने की छूट और मैसूर राज्य के औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा नियत की गई विकसित भूमि की किस्तों में अदायगी करने की सुविधा।

सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर देना

5159. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह :**

चौधरी राम सेवक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक ऐसे सरकारी कर्मचारी (जो पहले ही प्रथम श्रेणी के कर्मचारी नहीं हैं) को जिसने सेवाकाल के छः वर्ष पूरे कर लिये हैं और जो 35 वर्ष से कम उम्र का है, नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर देने संबंधी प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश अप्रैल, 1969 से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो कोई निर्णय लेने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह सिफारिश, श्रेणी-1 सेवाओं के संबंध में की गई अन्य सभी सम्बद्ध सिफारिशों के साथ-साथ, विचाराधीन है ।

सेफ्टी रेजर ब्लड उद्योग की अनुज्ञप्त क्षमता

5160. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेफ्टी रेजर ब्लेड उद्योग की कितनी अनुज्ञप्त क्षमता है;

(ख) इसमें से मै० हरबन्सलाल मल्होत्रा एण्ड सन्स, कलकत्ता तथा उनके भागीदारों का देश में कितना अंश है;

(ग) क्या अभी तक कुछ आशय पत्रों का उपयोग नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों में अब तक रेजर ब्लेड के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस के कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किए गए और उसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सेफ्टी रेजर ब्लेडों की लाइसेंस प्राप्त पंजीयित क्षमता 25800 लाख ब्लेड प्रति वर्ष है।

(ख) 18400 लाख ब्लेड प्रतिवर्ष ।

(ग) प्रतिवर्ष 26100 लाख सेफ्टी रेजर बनाने के लिये निम्नलिखित 11 पार्टियों को आशय पत्र जारी किए गये हैं:—

1. मै० यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, कानपुर।
2. श्री के० पी० अग्रवाल, नई दिल्ली।
3. श्री वी० बालकृष्ण, मदुराई।
4. मै० मैसूर स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, बंगलौर ।
5. मै० पोददार स्टेटस लि०, कलकत्ता ।
6. मै० कास्मोस्टील प्राइवेट लि०, कलकत्ता ।
7. मै० गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०, नई दिल्ली।

8. मै० बिड़ला वामन मुथे, बम्बई।

9. मै० एस० जी० अग्रवाल, जयपुर।

10. श्री कैपुली रामदास, लण्डन।

11. मै० प्रशिशन मशीनरी कम्पनी प्रा० लि०, नई दिल्ली।

(घ) पिछले दो वर्षों में रेजर ब्लेड बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया गया है।

बीकानेर को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना

5161. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीकानेर को राजस्थान का एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) जिला इस उद्देश्य के लिये निर्धारित कसौटी के अनुरूप नहीं था।

टेलीविजन सैटों का निर्माण

5162. **डा० कर्णी सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय टेलीविजन सैटों का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन टेलीविजन सैटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सर्वथा अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त उत्पादन में वृद्धि करने का है।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : नौ निर्माताओं में से, तीन ने संगठित क्षेत्र में 40,000 सैटों की लाइसेंस क्षमता के साथ और छः ने लघु क्षेत्र में (दो कन्सोर्टिया सहित) 30,000 सैटों की क्षमता के साथ टी० वी० सैटों के निर्माण की क्षमता देश में स्थापित कर ली है, जो स्वदेशी जानकारी पर आधारित है, और अधिक एकक क्रमशः उत्पादन स्थापित कर रहे हैं। अब तक 50,000 से अधिक अच्छी कोटि के सैटों का उत्पादन हो चुका है।

1969 में आकाशवाणी द्वारा एक मांग परियोजना अध्ययन किया गया जिसने चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक टी० वी० सैटों की आवश्यकता को 3.7 लाख सैट निर्धारित किया जिसमें टी० वी० सैट की कीमत लगभग 2,000 रुपये हैं जो कि वर्तमान मूल्य श्रंखला है। मांग की पूर्ति करने के लिए प्रति वर्ष 2.8 लाख से ऊपर सैटों की क्षमता को स्वीकार कर लिया है। इसमें से, 11,0,000 सैटों की क्षमता को संगठित (निजी तथा सरकारी) क्षत्रों में स्वीकार किया है, और 1,70,000 सैटों से ऊपर की क्षमता को लघु उद्योग क्षेत्रों में स्वीकार किया है। इस क्षमता के एक मौलिक भाग की स्थापना आगामी वर्ष में होने की सम्भावना है। टी० वी० सटों के बढ़े उत्पादन के साथ सम्पूर्ति मांग के अनुकूल उपयुक्त होने की आशा है। मांग तथा उत्पादन पर निरन्तर दृष्टि रखी जा रही है और जब कभी आवश्यकता होगी और क्षमता उत्पन्न कर दी जायेगी।

केन्द्रीयकृत सुधार व्यवस्था

5163. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रस्ताव विशेष रुप से केन्द्रीयकृत सुधार ऐजेंसी संबंधी सिफारिशें, जिसके अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार के बारे में इस एजेंसी को एक सलाहकार परिषद् सलाह देगी, अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : प्रशासनिक आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न स्थितियों में विचार किया जा रहा है जो उनकी रिपोर्ट "कर्मचारी प्रशासन" में दी गई हैं। इस रिपोर्ट पर अब तक किये गये निर्णय विवरण में, जिसे 20 दिसम्बर, 1972 को सदन के पटल पर रखे जाने का विचार है, में सम्मिलित हैं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश उनकी "भारत सरकार का तंत्र तथा उसकी कार्य-विधियां" संबंधी रिपोर्ट में सम्मिलित है, जो इस प्रकार है :—

> "केन्द्रीय सुधार एजेंसी को उसके कार्यक्रम की योजना पर सलाह देने, प्रगति का पुनरीक्षण करने, उसके कार्य में नई विचारधारा लाने में सहायता करने और सरकारी प्रबन्ध की समस्याओं पर अनुसंधान में लगे विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की गतिविधियों में समन्वय जाने के लिए प्रशासनिक सूधार संबंधी एक परिषद का गठन किया जाना चाहिए। परिषद में आठ सदस्य होने चाहिए, जो संसद सदस्यों, अनुभवी प्रशासकों तथा सार्वजनिक प्रशासन में रुचि रखने वाले प्रमुख विद्वानों में से लिये जाय।उप प्रधान मंत्री द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाय।"

इस सिफारिश पर सरकार का निर्णय निम्नलिखित है :—

> "प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन में एक बड़ी जांच की है और अपनी विभिन्न रिपोर्टों में अनेकों नये विचार सामने रखे हैं। आगामी कुछ समय के लिये जो अब कम से कम अपेक्षित है, वह पहले से प्राप्त विचारों का समीकरण है। अतः सरकार यह महसूस करती है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित परिषद का गठन करना समय पूर्व होगा।"

यह निर्णय क्रमशः 11 अगस्त, 1971 तथा 17 नवम्बर, 1971 को सदन के पटल पर रखे गये विवरणों में सम्मिलित किया गया था।

उद्योगपतियों के तकनीकी सहयोग से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगो की स्थापना

5164. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अपराधों के मामले

5165. **श्री नरेन्द्र सिंह** :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत: छ: मास के दौरान दिल्ली में अपराधों के कितने मामले दर्ज किये गये ?

गृह मंत्रलय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): 1 जून से 30 नवम्बर, 1972 तक गत छ: महीनों के दौरान दिल्ली में 20, 323 अपराध के मामले दर्ज किये गये।

Appointment of Manager and Chief Accounts Officer in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

5166. **Shri Shibban Lal Saxena :**
Shri Bhola Raut :

Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state:

(a) whether Manager and Chief Accounts Officer have not been appointed for a long time in the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi:

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Minister of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The KVIC has stated that there is no post of Chief Accounts Officer in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi. The Post of Manager is lying vacant since November, 1971.

(b) The Manager could not be appointed as no qualified person was available to man the post on the old scale of pay.

(c) Government have since upgraded the post to a higher scale of pay. Administrative measures are in progress for filling the post.

Indo-American Cooperation in the Field of Science and Technology

5167. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of Science and Techonology be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken any steps to limit the Indo-American Co-operation in the field of Science and Technology;

(b) if so, the fields in which this limit has been imposed; and

(c) the extent to which the Central Government have reduced the American aid in this regard with a view to achieving self-sufficiency?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In view of the suspension of a portion of US aid to India since early this year and the announced policy of accelerated progress towards self-reliance, the entire question of US aid to India was recently reviewed by the Government. A critical review of the Indo-American Technical Cooperation Programme was carried out in close consultation with the concerned Ministries, of the need for a continuation of each of the projects and each of the experts by the strictest application of the criterion of essentiality. It was decided as a result of this review that only six projects with 29 American field experts needed to be continued beyond the end of September 1972.

पांचवीं योजना के निरूपण के लिये विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहयोग

5168. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के निरूपण के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु उन्होंने कुछ विदेशों से बातचीत आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम तथा इस सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : पांचवी योजना अवधि समेत निकट भविष्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक विदेशों के प्रतिनिधियों से हाल में विचार-विमर्श हुए हैं। यू० के०, फ्रांस, जापान, यू० एस० एस० आर०, ईराक, स्वीडन, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सिंगापुर, रुमानिया और गुयाना से बातचीत हुई है। इन सभी देशों ने पारस्परिक हित के आधार पर भारत से सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। कतिपय क्षेत्र, जिनमें सहयोग किया जा सकता है अस्थायी रुप से उल्लिखित किए गए हैं। परन्तु सहयोग के क्षेत्रों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे और विचार-विमर्श करना जरूरी है।

देश में हिप्पियों के आने पर रोक लगाना

5169. **श्री सी० के० जफर शरीफ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विचार देश में हिप्पियों के आगमन पर रोक लगाने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : उन विदेशियों के भारत में आने तथा ठहरने पर पाबन्दी लगाने के लिए जिनका नशीली वस्तुओं, अभद्र व्यवहार, आवारागर्दी, भीख मांगने आदि में अन्तग्रस्त होने के कारण सामाजिक रुप से आपत्तिजनक व्यक्ति होने की संभावना है विदेशों में भारतीय मिशनों और राज्य सरकारों आदि को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं :

वर्ष 1973–74 की वार्षिक योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल देना

5170. **श्री सी० के० जफर शरीफ** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने और अधिकांश जनसंख्या के लिए शिक्षा, आवास और पीने के पानी की न्यूनतम सुविधा को सुनिश्चित करने का उपबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उसकी मौटी रुपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) : केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से 1973-74 की वार्षिक योजना के बारे में अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है। योजना को मार्च, 1973 तक ही अंतिम रुप दिया जा सकेगा।

अन्तरिक्ष में टेलीविजन प्रसारण उपग्रह की स्थापना करना

5172. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 के अन्त तक पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित्त और छोड़े जाने वाले एक टेलीविजन प्रसारण उपग्रह को अन्तरिक्ष में स्थापित करने की भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों की योजना को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या इस योजना के पूरा होने पर समकालिक उपग्रह वास्तव में भारत के समस्त 3,000 नगरों और 5,65,000 गांवों में टेलीविजन प्रसारण कर सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) से (ग) : दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के काम आने वाले एक समकालिक उपग्रह, उस उपग्रह की प्रसारण-सीमा में आने वाले क्षेत्र तथा उससे संबंधित व्यवस्था पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली न्यायिक सेवा के लिये अधिकारियों का चयन

5173. **श्री राजदेव सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली न्यायिक सेवा में 61 अधिकारी विभिन्न राज्यों से विभिन्न वेतनमानों में चुने गये थे;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से चुने गये अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए विभिन्न वेतनमानों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि एक राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को दूसरे राज्यों के कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन मिल रहा है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की 6 से 8 वर्ष तक की सेवा वाले कुछ अधिकारियों ने दिल्ली न्यायिक सेवा के वेतनमानों के लिए विकल्प दिया था परन्तु उनकी पहली सेवा की उपेक्षा करके उनका वेतन न्यूनतम स्तर पर निर्धारित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने राज्य से भी कम वेतन मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वेतन ढांचे में संशोधन करके इसे आकर्षक बनाने का है जिससे प्रत्येक राज्य से योग्य अधिकारी इस सेवा में आ सकें ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्। किन्तु केवल 49 सेवा में आए।

(ख) दिल्ली न्यायिक सेवा के प्रारम्भिक संविधान के समय 6 विभिन्न राज्यों से संबंधित अधिकारी चुने गए थे। उस समय वे विभिन्न उपलब्धियां और वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। दिल्ली न्यायिक सेवा में वेतनमान उन वेतनमानों से कम होने के कारण जिनमें इन अधिकारियों में से कुछ सेवा में उनकी नियुक्ति के समय वेतन प्राप्त कर रहे थे, दिल्ली न्यायिक सेवा में पद पर रहते समय उनके मूल वेतनमानों की निजी तौर से अपनाने के लिए विकल्प की स्वीकृति दी गई थी। परिणामस्वरूप उन वेतनमानों में जिनके अन्तर्गत दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा वेतन प्राप्त किये जा रहे हैं एकरूपता नहीं है।

(ग) जी हां, श्रीमान्। अधिकारियों ने अभ्यावेदन दिए हैं और वे विचाराधीन हैं।

(घ) दिल्ली न्यायिक सेवा के वेतन ढांचे को संशोधित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी निजी पूंजी निवेश तथा तकनीकी सहयोग

5174. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यमों के प्रसार, गैर तकनीकी उद्योगों पर बल देने, आयातित सामान के उपयोग तथा विदेशी अनुदान की मात्रा को घटाने और निर्यात में वृद्धि करने से हमारे औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या विदेशी निजी पूंजी निवेश के बारे में सरकार की नीति जो अधिकाधिक चयनात्मक बन गई थी, अब तकनीकी सहयोग पर अधिक बल दिए जाने की कार्यवाही फल ला रही है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी निजी पूंजी विशेष तथा तकनीकी सहयोग को कब तक सदा के लिए समाप्त कर दिए जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) : जी, हां । ये ही कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे देश के संपूर्ण औद्योगिक विकास को बढ़ाने में योग मिला है। सरकार की विदेशी सहयोग नीति का मूलभूत उद्देश्य चयनात्मक आधार पर टेकनालाजी का आयात करने के साथ-साथ देशी अनुसंधान तथा विकास पर बल देना है जिससे कि विदेशी जानकारी पर आधारित रहना धीरे-धीरे कम हो सके और इसके द्वारा दुर्लभ विदेशी मुद्रा संलघनों को सुरक्षित रखा जा सके। यद्यपि देश में पर्याप्त औद्योगिक आधार का विकास कर लिया गया है फिर भी, टेकनालाजी के कुछ जटिल तथा नए क्षेत्रों में अन्तराल विद्यमान हैं। अतः उन टेकनालाजिकों का, जिनका कि अभी तक देश में विकास नहीं किया गया है; आयात सम्पूर्ण रूप से बन्द कर देना देश के लिए लाभप्रद नहीं होगा।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा बम्बई की एल्युमिनियम चद्दर बेलन मिल के लिए उपकरण सप्लाई करना

5175. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, ने बम्बई के निकट एल्युमिनियम चद्दर बेलन मिल को समस्त उपकरण पूरी तरह से अपने यहां से सप्लाई किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा बचेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल ने बम्बई की एल्युमिनियम शीट रौलिंग मिल के लिये लार्ज मेन मिल ड्राइव मोटर्स, आक्जीलियरी मोटर्स, थ्रिस्टर ट्रांसफार्मरों, वेंटीलेशन उपकरण, थ्रिस्टर कनवर्टस एण्ड कंट्रोल जैसे सम्पूर्ण उपकरणों का संभरण किया है। थ्रिस्टर कनवर्टर्स एण्ड कंट्रोल जैसे संपूर्ण उपकरणों का ही आयात किया गया था जो कि देश में नहीं बनाया जाता है। लगभग 40 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

राजस्थान के लिए राज्य योजना बोर्ड की स्थापना करना

5176. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के लिए एक राज्य योजना बोर्ड स्थापित करने का निर्णय कुछ समय पहले किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कब तक की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) : राजस्थान सरकार राज्य योजना बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस बोर्ड में अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग तथा अन्य विशेषज्ञताओं के विशेषज्ञ होंगे। बोर्ड के शीघ्र ही गठित होने की संभावना है।

टेलीफोन प्रणाली के सन्दर्भ में विदेशी जानकारी

5177. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में टेलीफोन प्रणाली के सन्दर्भ में विदेशी जानकारी प्राप्त करने हेतु विशषज्ञों के एक प्रतिनिधिमण्डल को कुछ देशों में भेजने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधिमण्डल कब जाएगा तथा किन-किन देशों का दौरा करेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय विकास निगम

5178. **श्री राम प्रकाश** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास निगम लिमिटेड का अपना कार्यक्षेत्र विदेशों तक बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बात क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने विदेशों में कई प्रायोजनायें चलाई हैं और अन्य देशों की सरकारों तथा उद्यमियों और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ ने इसके व्यवसायिक परामर्शदायी कार्यों की बहुत प्रशंसा की है। इस अनुभव से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को आशा है कि विदेशों में उसकी परामर्शदायी सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए निधियों का नियतन

5179. **श्री राम प्रकाश** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नए उद्योगों की स्थापना के लिए हाल ही में 162 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तब से कितने एकक स्थापित किए गए हैं तथा इसी उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा आन्ध्र प्रदेश के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) राज्यों की योजनाओं के अनुसार बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :--

पश्चिम बंगाल	874.77 लाख रु०
हरियाणा	316.00 लाख रु०
आन्ध्र प्रदेश	1023.09 लाख रु०
उत्तर प्रदेश	2372.50 लाख रु०

Advisory Committee in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

5180. **Shri Sukhdeo Prasad Verma :**
Shri Bhola Raut:

Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether an Advisory Committee has been functioning in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi for the last many years;

(b) if so, the names of the Chairman along with his duties and rights; and

(c) whether there is any benefit to the Khadi Gramodyog Bhavan from this Committee and whether it plays any decisive role to safeguard the interests of the employees there?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Dr. Yudhvir Singh. He renders advise and provides guidance to the Manager in the running of the Bhawan in consultation with the members of the Advisory Committee.

(c) Yes, Sir.

Theft in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

5181. **Shri Sukhdeo Prasad Verma :**

Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether cash to the tune of about Rs. 21,000 was found missing from Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, this year;

(b) if so, whether it was a case of theft or embezzlement;

(c) the names of the officers who have been held responsible for the said incident in the Bhavan; and

(d) whether any departmental enquiry has been instituted against the officer/officers held responsible for the said incident and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Khadi & Villaege Industries Commission has stated that an iron safe containing Rs. 21,111.60 p. was found missing in the Account Section of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi on 1st May, 1972.

(b) to (d) Police Investigation and Departmental Enquiry are in progress.

कटेंघान (हैदराबाद) में स्थित सार्थसमूह में स्वनियोजन

5182. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के समीप कटेघान स्थित सार्थसमूह में स्वनियोजन को बढ़ावा देने वाले यूनिटों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है; और

(ग) उनमें से स्वनियोजन यूनिटों में कितने व्यक्ति होंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 3,336 ।

(ख) 18,344 ।

(ग) 13,344 ।

टेलीविजन के पुर्जों के आयात में कमी करने हेतु इसके देशी पुर्जों का निर्माण

5183. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रति टेलीविजन सेट के लिए कितना सामान आयात करने दिया जा रहा है;

(ख) आयात के सामान में कमी करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ग) गत छह महीनों में विभाग ने लाइसेंस समिति से टेलीविजन के पुर्जों के निर्माण के लिये कितने आवेदन-पत्रों की सिफारिश की;

(घ) टेलीविजन के पुर्जों के निर्माण के लिये विभाग के पास कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं और विभाग की उन्हें कब तक निपटाने की योजना है; और

(ङ) क्या इंजीनियरिंग पृष्ठ भूमि वाले भारतीय उद्यमकर्त्ता को तरजीह देने के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र : पन्त) : (क) से (ङ) वर्तमान में प्रति टी० वी० सैट के लिए 90 रुपयों की महत्वपूर्ण अंतर्वस्तु की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बल) टी० वी० सैटों में काम आने वाले पिक्चर ट्यूबों को बांटता है। बैल या तो पिक्चर ट्यूबों अथवा ग्लास एनवल्पस का आयात करता है जो बैल द्वारा पिक्चर ट्यूबों में निर्मित्त किये जाते हैं, किसी भी दशा में प्रति नग पर लगभग 100 रुपयों का आयात सम्मिलित है। सरकार इन आयातित अंतर्वस्तुओं के आयात को प्रमुखरूप से घटाने की कोशिश कर रही है। आयातित घटकों का स्वदेशी निर्माण करके जिसमें ग्लास एनवल्पस भी सम्मिलित है 'डिफ्लेक्सन घटकों' का निर्माण करने के लिये जो कि आयातित अंतवस्तुओं का एक ठोस हिस्सा है। संगठित क्षेत्र में एक फर्म को औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है और सरकारी क्षेत्र में एक युनिट को आशय-पत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, लघु-उद्योग क्षेत्र में पच्चीस युनिटों को टी० वी० घटकों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पिछले छः महिनों में टी० वी० घटकों के निर्माण के लिये ो आवेदन पत्र लाइसेंसिंग कमेटी को भेजे गये थे, इनमें से एक सरकारी क्षेत्र यूनिट से था जिसे आशय पत्र जारी कर दिया गया है और दूसरा एक विदेशी इक्वीटी प्राप्त फर्म से था जो अस्वीकार कर दिया गया है। चार अन्य आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के लिये अपेक्षित ग्लास-सैल निर्माण करने से संबंधित प्रश्न का तकनीकी पैनल ने परिक्षण किया है। इसकी रिपोर्ट विचाराधीन है। पंचवर्षीय योजना अवधि में जबकि टी० वी० सटों का उत्पादन बढ़ कर कई लाख हो जायेगा तब यह निर्माण आवश्यक हो जायेगा।

लाइसेंसों/स्वीकृतियों को प्रदान करते समय उन भारतीय उद्यमकर्ताओं को तरजीह दी जाती है जिनके पास आवश्यक तकनीकी पृष्ठ भूमि है और जो कोटि-उत्पादन के निर्माण हेतु अपेक्षित आवश्यक तकनीकी निदेश को प्रदान कर सकते हैं।

क्षेत्रीय छोटे समाचारपत्रों को समाचार देना

5184. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में क्षेत्रीय छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों की खबरें देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : पत्र सूचना कार्यालय उन 19 प्रत्यायित संवाददाताओं, जो देश के विभिन्न भागों के छोटे समाचारपत्रों का नई दिल्ली में प्रतिनिधित्व करते हैं, को प्रतिदिन प्रेस संवाद, फीचर लेख और अन्य प्रचार सामग्री उसी प्रकार उपलब्ध करता है जिस प्रकार अन्य प्रत्यायित संवाददाताओं को उपलब्ध करता है। छोट समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्यायित संवाददाता महत्वपूर्ण सरकारी रिपोर्टों तथा रेलवे और आम बजट पत्र और मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों जैसे कागजात भी प्राप्त करते हैं। छोटें समाचारपत्रों के संवाददाताओं के बारे में पत्र सूचना कार्यालय एक उदार नीति भी अपनाता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा परामर्शदात्री सेवा

5185. **श्री वी० वाई० कृष्णन्:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटड को दूषण नियंत्रण तथा यातायात इंजीनियरिंग जैसे अपरम्परागत विषयों पर परामर्श देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) निगम, दूषण नियंत्रण और यातायात इंजीनियरी क्षेत्र में स्वयं को परामर्श दे सकने की स्थिति में लाने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती और उचित प्रशिक्षण देने के संबंध में कदम उठा रहा है। इन क्षेत्रों में क्षमता और सामर्थ्य विकसित होने पर उद्योगों और म्यूनिसिपल कमेटियों को परामश सेवा प्रदान करने का निगम का विचार है।

Non-Availability of Wrestling Mat in International Style

5186. **Shri Dhan Singh Pradhan :** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether not even a single wrestling mat suitable for conducting wrestling in International style is available in India;

(b) whether three or four years ago, the organiser of the Birla Mills' arena had sought permission of the Ministry of Home Affairs for importing foreign mats suitable for conducting wrestling in International style; and

(c) if so, the reasons for not granting the said permission and the co-operation being extended by Government for wrestling facilities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The National Institute of Sports Patiala and their Rajghat Coaching Centre at Delhi have wrestling mats suitable for international style of wrestling. Besides, the Wrestling Federation of India and some of the States Sports Councils are also understood to be having such mats.

(b) and (c): M/s. Birla Cotton and Weaving Mills Ltd., submitted an application on August 29, 1971, for the grant of an import licence for import of wrestling mats and wrestling shoes. This application is under consideration of the Chief Controller of Imports and Exports.

हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रतिवेदन

5187. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत की गई नागालैण्ड परियोजना संबंधी प्रायोजना रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केरल न्यूजप्रिन्ट परियोजना और आसाम पेपर एण्ड पल्पपरियोजना संबंधी रिपोर्टों की अभी जांच की जा रही है।

(ख) नागालैण्ड परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट में जिसे हाल ही में स्वीकार किया गया है 30,000 मी० टन लुगदी और कागज प्रतिवर्ष बनाने की व्यवस्था है। संयंत्र और उपकरण संबंधी क्रयादेश देने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। कुछ आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति भी की जा चुकी है। परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

Shortage of Coal in Brick Kiln Industry

5188. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the shortage of coal is the sole reason for decline in the brick-kiln industry; and

(b) if so, whether the Central Government have any scheme under consideration to ensure the supply of coal to the persons manning the brick-kiln industry directly?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Issue of licence for production of Paper from Bagasse

5189. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the 11 industrial undertakings were issued licences for the production of paper from bagasse;

(b) whether later on, their licences were cancelled; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c): Licences of 10 undertakings had to be cancelled because they did not implement the projects. The remaining undertaking, that is, M/s. Ashok Paper Mills is taking effective steps for the setting up of the project. They have, however, changed their raw material base from bagasse to bamboo, because of the non-availability of bagasse.

Issue of licence to Sangli Cooperative sugar factory for manufacture of Paper

5190. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Sangli Co-operative Sugar Factory has been given a licence to manufacture paper from bagasse;

(b) if so, the time by which this work is likely to be completed; and

(c) the time by which the paper would come in the market?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c): The Project is to manufacture newsprint & art paper based on bagasse The party have approached a U.K. firm for the preparation of a Project Report. Necessary approval for the payment of £25000 under the Colombo Plan has been accorded. The Project report is expected to be ready in about six months time. Normally, it takes 4 to 5 years for a new paper unit to commence production.

मध्य प्रदेश की "दैनिक अवंतिका" के ग्राहकों की संख्या

5191. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश की "दैनिक अवंतिका" के ग्राहकों की वास्तविक संख्या अब भी बताई गई संख्या से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) : तथा (ख) : समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय की एक सर्कुलेशन टीम द्वारा जून, 1971 में स्थान पर की गई जांच के

परिणामस्वरूप, हिन्दी दैनिक "अवन्तिका" की संख्या 1969 तथा 1970 के कैलेण्डर वर्षों की खपत संख्या 2,500 प्रतियां आंकी गई थी। यह संख्या इसी अवधि के बारे में प्रकाशक द्वारा बताई गई संख्या से कम थी। इस दैनिक की खपत संख्या की अगले वर्ष फिर जांच की जा रही है।

Cancellation of Programme to launch the First Satellite by India from Sriharikota Range

5192. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Space** be pleased to state :

(a) whether the programme to launch the first Indian Satellite into space from the Sriharikota Rocket Range has been cancelled;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the future scheme of Government in this regard?

Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broad casting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The first satellite designed and fabricated in India will be launched using a Soviet rockot carrier from the U.S.S.R. However, the first launching from India will be done from the Sriharikota range.

(b) The first launching will be done from the U.S.S.R. in order to achieve the launching of a larger satellite at an earlier date.

(c) The broad details of the scheme for development of satellite launching in India are contained in the profile for Atomic Energy and Space Research 1970-80. However, these details are being updated for incorporation in the Fifth Five Year Plan.

गेर-सरकारी क्षेत्र में तथा नेफा मिल्स के विस्तार से अखबारी कागज का उत्पादन

5193. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में तीन अखबारी कागज परियोजनाओ को स्वीकृति दी है और सरकारी क्षेत्र की नेफा मिल्स की क्षमता का भी विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गैर-सरकारी परियोजना की रूपरेखा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के विस्तार की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित परियोजनायें गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये स्वीकार की गई हैं :—

1. बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल, हिमाचल प्रदेश . 60,000 मी० टन
2. शेतकारी सहकारी साकर कारखाना, सांगली (महाराष्ट्र) . 44,500 मी० टन
3. सूरत इण्डस्ट्रियल पैकिंग लि०, उत्तर प्रदेश . . 60,000 मी० टन

नेफा मिल्स की क्षमता 30,000 मी० टन से बढ़ाकर 75,000 मी० टन करने के कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है।

मिजोरम विधान सभा को उड़ाने का षड्यंत्र

5194. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराकान पहाड़ियों में विद्रोहियों का लालडेंगा (मिजोरम) में अड्डा है जिसमें उनके 1,000 अनुयायी हैं तथा अधिकारियों ने विद्रोहियों द्वारा मिजोरम विधान सभा भवन को उड़ाने के षड्यन्त्र का भी पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस परिस्थिति में सुरक्षा के क्या उपाय किये हैं और क्या प्रशासन अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए केन्द्र से कोई मांग की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मौहसिन) : (क) और (ख) : ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ मिजो विद्रोही अपने चिंतागोंग पहाड़ी क्षेत्रों के अड्डे समाप्त होने पर छिपने के नये स्थान स्थापित करने की कोशिश में बर्मा की सीमा में चले गये थे। सरकार ने ऐसी खबर भी देखी है कि लालडेंगा बचकर पाकिस्तान भाग गया है। गत सितम्बर में मिजो नेशनल फ्रन्ट के आत्म-समर्पण करने वाले एक विद्रोही से पूछताछ करने के दौरान यह प्रकट हुआ है कि कुछ उपद्रवी ऐजल में सचिवालय तथा विधान सभा भवन को क्षति पहुंचाने की योजना बना रहे थे। अतः सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ किए गए थे और स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त सतर्कता बरती गई थी। इनमें से कुछ विद्रोही बाद में पकड़े भी गए थे। असेम्बली का बजट सत्र जो 20-10-1972 को प्रारम्भ हुआ शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया। केन्द्रीय सरकार उनसे निकट सम्पर्क बनाए हुए है तथा मिजोरम की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में मिजोरम प्रशासन को सभी यथोचित सहायता दे रही है।

भारतीय प्रशासन सेवा और श्रेणी एक के अधिकारियों की कमी

5195. **श्री दलीप सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास भारतीय प्रशासनिक सेवा और श्रेणी एक के अधिकारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख): भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व की स्वीकृति 708 की तुलना में इस समय केन्द्र में 528 अधिकारी कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय सचिवालय में श्रेणी-1 सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में तथा केन्द्र के अन्तर्गत उनके संवर्ग के बाहर अन्य प्रतिनियुक्तियों के लिए विशिष्ट उपबन्धों के अभाव में यह कहना कठिन है कि इन सेवाओं के बारे में भारत सरकार में अधिकारियों की क्या कोई कमी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये विशेष भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा

5196. **श्री दलीप सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में क्लर्कों और सहायकों के पदों पर ऐसे कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में एम० ए० तथा बी० ए० पास हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष परीक्षा ली जाए जिसे इससे संबंधित कमी को पूरा किया जा सके तथा सेवारत कर्मचारियों को एक अवसर दिया जाय जैसा कि पहले किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव पर कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष परीक्षा ली जाए। तथापि, प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :

सिफारिश संख्या 16(ख)

"श्रेणी I गैर-तकनीकी सेवाओं में उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने 6 वर्ष की सरकारी सेवा पूरी कर ली है और आयु 35 वर्ष से कम है जो शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अभी तक दिए गए अवसरों पर बिना ध्यान रखते हुए, केवल एक और अंतिम अवसर के रूप में देने की सिफारिश की है।"

यह सिफारिश विचाराधीन है।

भ्रष्टाचार के मामलों के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गये पुलिस अधिकारी तथा न्यायिक अधिकारी

5197. श्री दलीप सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रथम श्रेणी के कितने पुलिस अधिकारी पकड़े ;

(ख) गत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने न्यायिक अधिकारी तथा न्यायालय के अन्य अधिकारी पकड़े ; और

(ग) उन मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) 13-12-1969 से 12-12-1972 तक तीन साल की अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिये प्रथम श्रेणी के 7 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये।

(ख) इसी अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिये दिल्ली के 3 न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायालय के अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये।

(ग) की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

प्रथम श्रेणी पुलिस अधिकारी

1 अधिकारी न्यायालय में अभियोजित किया गया और विचारण किया जा रहा है।

1 अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन है।

1 अधिकारी	जांच पड़ताल पूरी हो गई है तथा केन्द्रीय सतकर्ता आयोग के परामर्श की प्रतीक्षा की जा रही है।
3 अधिकारी	जांच-पड़ताल के बाद मामला समाप्त कर दिया गया। कार्यवाही के लिये कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हुई।
1 अधिकारी	मामले की जाँच की जा रही है।

दिल्ली के न्यायिक अधिकारी तथा न्यायालय के अधिकारी

1 अधिकारी	केन्द्रीय सतकर्ता आयोग के परामर्श पर चेतावनी दी गई।
1 अधिकारी	विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।
1 अधिकारी	मामला समाप्त कर दिया गया क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुये थे।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गये श्रेणी एक के अधिकारी

5198. **श्री बलीप सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोप में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्रेणी एक के कितने सिविल अधिकारियों को पकड़ा है ; और

(ख) उन मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 13 दिसम्बर, 1969 से 12 दिसम्बर, 1972 की अवधि के दौरान 692 श्रेणी एक के सिविल अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये मामले दर्ज किये थे।

(ख) यद्यपि, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अधिकारियों में से 4 को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाया गया है, एक को दोषमुक्त कर दिया गया है तथा 21 पर अभी मुकदमा चल रहा है।

जबकि 14 अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई में दण्ड दिया गया है, एक को दोषमुक्त कर दिया गया है तथा 165 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अभी लम्बित है।

152 अधिकारियों के मामले उचित कार्रवाई के लिये विभागीय प्राधिकारियों को भेजे गये हैं।

85 अधिकारियों के विरुद्ध जांच के बाद मामले समाप्त कर दिये गये हैं तथा 249 अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

प्रत्येक राज्य में जिला स्तरीय आयोजना

5199. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर से आयोजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) योजना आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे समेकित जिला योजनायें वैज्ञानिक आधार पर तैयार करने का काम शुरू करें।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों ने, जिला योजनायें तैयार करने के लिये योजना आयोग द्वारा प्रचारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर कतिपय जिलों को विस्तृत जिला योजनायें तैयार करने के लिये चुना है। आंकड़े इकट्ठे करने और विश्लेषण करने का काम विभिन्न चरणों में है।

जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानान्तरण

5200. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बदला जा रहा है जिसमें 40 प्रतिशत इक्वीटीशेयर भारतीय जनता के लिये होंगे ;

(ख) क्या यह कम्पनी विस्तार के बहाने पश्चिम बंगाल राज्य से बाहर स्थानान्तरण के लिये प्रबन्ध कर रही है; यदि हां, तो राज्य के बाहर कौनसे नये एकक स्थापित किये गये हैं अथवा स्थापित करने का विचार है ;

(ग) क्या इस औद्योगिक एकक के स्थानान्तरण से रोजगार की वर्तमान स्थिति तथा राज्य की रोजगार क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मे० जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्रा० लि० को नियंत्रक कैपिटल इसूज की नई पूंजी लगाने के लिये अनुमति प्राप्त हो गई है ताकि कम्पनी की अंश पूंजी में भारतीय सद्भागिता 40% तक की जा सके।

(ख) कम्पनी को अपना कोई भी एकक पश्चिम बंगाल के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें अपने कलकत्ता स्थित एकक में ब्रशलेश आल्टरनेटर और नियंत्रण गीयर बनाने की अनुमति दी गई है। कम्पनी को महाराष्ट्र में स्थापित होने वाले एकक में नौपरिवहन सम्बन्धी सहायक उपकरण का उत्पादन करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस भी प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता

इण्डियन कार्बन फैक्टरी, बज बज, कलकत्ता

5202. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजबज स्थित इण्डियन कार्बन फैक्टरी के इस वर्ष के अन्त तक बन्द होने की संभावना है क्योंकि भष्मीकरण के लिये पेट्रोलियम कोक के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया है और इस कारखाने को बरौनी तेल शोधक कारखाने से कम से कम 40,000 टन कच्चा पेट्रोलियम कोक प्रतिवर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने पेट्रोलियम कोक का भष्मीकरण करने वाले नये सन्यंत्र को स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने का निर्णय किया है ; और यदि हां, तो इसके लिये दिये गये लाइसेंसों से संबंधित विवरण क्या है ;

(ग) क्या इण्यिन कार्बन फैक्टरी के पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है और वह एक वर्ष के अन्दर नया संयंत्र स्थापित करने की क्षमता रखतीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इण्डिया कार्बन फैक्टरी को और विस्तार की अनुमति किये जाने के क्या कारण हैं

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मै० इण्डिया कार्बन लि०, कलकत्ता के बज-बज संयंत्र की स्थापना आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री के आधार पर केवल कैल-साइड ऐथासाइट कोल का ही निर्माण करने के लिये की गई थी। इस एकक में सामान्यत: ऐथासाइट कोल का निर्माण करने की ही स्वीकृति दी गई है कैलसाइड पैट्रोलियम के लिये नहीं। कम्पनी को जिन कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके कारण विशेष रूप से कुछ समय के लिये उन्हें कैलसाइड पेट्रोलियम कोल के निर्माण की अनुमति दे दी गई थी।

(ख) से (घ) कैलसाइड पेट्रोलियम कोल के निर्माण के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक अनुसूचित उद्योग नहीं है, लेकिन इसके लिये तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण कराना होता है। कैलसाइड पैट्रोलियम कोक के उत्पादन में पूर्वानुमानित कमी को देखते हुये प्रत्येक में 50,000 मी० टन की क्षमता में पतन क्षेत्रों के तीन एककों;

(1) कलकत्ता/हल्दिया

(2) मद्रास/कोचीन और

(3) विशाखापत्तनम का पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है। इसमें मै० इण्डिया कार्बन लि० सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह एक अधिकांश विदेशी इक्विटी वाली कंपनी है। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की दृष्टि से इस वस्तु के निर्माण में उनका प्रमुख स्थान भी है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देना

5203. श्री समर गुह : क्या **योजना** मंत्री पांचवीं योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण पत्र के बारे में 15 नवम्बर 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना के दृष्टिकोण को अन्तिम रूप किये जाने की संभावना है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टि कोण नामक दस्तावेज पर सरकार अभी विचार कर रही है और शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

गुप्त डाक व्यवस्था

5204. श्री नरेन्द्रकुमार साठवे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी फर्मों द्वारा देश में 'गुप्त' डाक व्यवस्था चलाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) दो मामलों में एक फर्म के प्रतिनिधियों को बम्बई में सजा हुई थी। दूसरे जिन मामलों में डाक सेवा चलाने का आरोप है, पुलिस उनकी तफतीश कर रही है।

भारतीय मानक संस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विभागीय उम्मीदवारों के लिये सैक्शनल अधिकारियों के पदों का आरक्षण

5205. श्री राम भगत पासवान :

श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान में हाल ही में विभागीय प्रतियोगित परीक्षा के आधार पर सेक्शनल अधिकारियों के कुछ स्थानों पर नियुक्ति की जाने वाली है ;

(ख) क्या उक्त परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विभागीय प्रत्याशियों के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योगों में विदेशी सहयोग

5206. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने लघु उद्योग में विदेशी सहयोग के कितने प्रस्ताव अनुमोदित तथा क्रियान्वित किये हैं ;

(ख) कितने प्रस्ताव रद्द किये गये हैं ; तथा

(ग) क्या गत तीन वर्षों में उद्योग-वार अनुमोदित और रद्द किये गये विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1-9-1971 से 30-9-1972 की अवधि में लघु क्षेत्र में विदेशी सहयोग वाले कुल प्रस्तावों में से 13 मामलों में स्वीकृति दे दी गई थी और 10 मामले रद्द कर दिये गये थे । इस अवधि से पहले की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह विशेष रूप से रखी नहीं गई थी। ये प्रस्ताव क्रियान्वित की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व भारतीय उद्यमियों पर है।

(ग) दो विवरण संलग्न हैं (अनुबन्ध 1 और 2) [ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए संख्या एल० टी० 4100/72**]

सितम्बर, 1969 से नवम्बर 1971 की अवधि में सरकार द्वारा खरीदी गई फियट कारों के लिये अधिक मूल्य का भुगतान

5207. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1969 से नवम्बर 1971 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड से कितनी फियट कारें खरीदी हैं ;

(ख) क्या फियट कारों के उक्त व्यापारियों ने उक्त अवधि में खरीदी गई प्रत्येक कार के मूल्य से सरकार से 2000 रुपये की राशि अथवा कुछ अन्य राशि अधिक मांगी थी तथा सरकार ने उन की मांग पूरी कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त राशि का भुगतान करने से पूर्व सरकार ने महान्यायवादी से सलाह ली थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चार।

(ख) सरकार ने निर्माताओं की प्रति कार 300 रु० की अधिक राशि की मांग स्वीकार नहीं की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सेवाओं के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नत करना

5208. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सेवाओं के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नत करने सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या राज्य सेवाओं से केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारियों का कोटा बढ़ाने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किस किस राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सेवाओं के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति या चयन द्वारा भर्ती तथा राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती को शासित करने वाले नियमों में यह व्यवस्था है कि इन अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय प्रत्येक संवर्ग से आनीत वरिष्ट ड्यूटी पदों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भर्ती को शासित करने वाले नियमों में भी यह व्यवस्था है कि भारतीय वन सेवा में नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय प्रत्येक संवर्ग में आनीत वरिष्ठ ड्यूटी पदों के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) जी हां, श्रीमान्। (ऐसा समझा जाता है कि प्रश्न के इस भाग में संकेत अखिल भारतीय सेवाओं की और न होकर केन्द्रीय सेवाओं से है)।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा था कि वे प्रशासनिक सुधार आयोग की "कार्मिक प्रशासन" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिश पर अपने विचार प्रकट करें कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली क्षेणी-I में रिक्तियों का कोटा अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए, जहां पर विद्यमान कोटा इस प्रतिशत से न्यून रह जाता है, जहां तक इस सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति से है। मणिपूर तथा त्रिपुरा सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अब अपने विचार प्रकट कर दिये है। मामला अब केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

काश्मीर के बारे में स्वर्गीय सरदार पटेल के विचार

5209. **श्री बी० के० दासचौधरी:**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार पटेल ने कभी जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले में पाकिस्तान को काश्मीर देने का प्रस्ताव किया था जैसा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा है तथा जिसकी पाकिस्तान टाइम्स में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और दिनांक 28 नवम्बर, 1972 के 'स्टेट्समैन' में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उक्त वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) और (ख) सरकार ने दिनांक 28 नवम्बर, 1972 के 'स्टेट्समैन' में समाचार देखा है पर उसे इस आशय के किए गए प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे उद्योगों पर अधिक बल देने के लिए कार्यक्रम

5210. **श्री सोमचन्द सोलंकी:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी योजना नीति में काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना आयोग का क्या वैकल्पिक कार्यक्रम है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना की कार्यनीति आर्थिक स्वावलम्बता की प्राप्ति तथा गरीबी का उन्मूलन करने के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप तैयार की गई है। इस कार्यनीति में अन्य बातों के अलावा कृषि तथा आम उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है।

नागालैंड के संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

5211. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के विपक्षी दलों के संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चों ने केन्द्र से यह मांग की है कि उस राज्य में केन्द्रीय शासन लागू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार अवसरों का उत्पन्न किया जाना

5212. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अभी तक संभावित रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं किये हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त मामले को तय करने के लिये योजना, उद्योग, वित्त, गृह और श्रम मंत्रियों की कोई विशेष बैठक बुलाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'यू० एस० एस० आर० एडेड सिनेमाज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

5213. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर के "इकोनोमिक टाइम्स" में "यू०एस०एस० आर० एडेड सिनेमाज़" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत-स्थित एक अमरीकी फिल्म वितरक को जिस के पास बहुत धन था कुछ थियेटर मालिकों की उनके थियेटरों का नवीकरण करने में सहायता करने के लिये अपने कुछ धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी और बाद में भारत में रूसी फिल्म वितरक एक रूसी संगठन को उन्हीं थियेटर मालिकों को नवीकरण के उसी प्रयोजन के लिये धन देने की अनुमति दे दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी भेदभावपूर्ण नीति के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) 25 नवम्बर, 1972 के "इकोनामिक टाइम्स" में "यू०एस०एस०आर० एडेड सिनेमाज़" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है। मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच सहयोग के लिए करार

5214. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चेकोस्लोवाकिया ने भारत-चैक० मित्रता बढ़ाने के लिए 17 नवम्बर, 1972 को पत्रों का आदान-प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के योजना आयोगों के उप-चेयरमैन दिसम्बर के आरम्भ में नई दिल्ली में मिले थे; और

(घ) यदि हां, तो विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिये क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किए गये थे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्रोही नागाओं द्वारा 21 नवम्बर, 1972 को चकबामा के समीप सैनिकों पर गोली चलाना

5215. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोहिमा के चखेसांग क्षेत्र में चकबामा के समीप दोनों ओर से गोली चलाये जाने पर एक छिपा नागा तथा सुरक्षा सेना का एक सैनिक मारा गया; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना का सार क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) 20 नवम्बर, 1972 को छिपे नागाओं के एक दल ने चकबामा के उत्तर-पश्चिम में दो मील के क्षेत्र में कोहिमा चकबामा मार्ग पर सुरक्षा बलों की एक कार्यवाई पर घात लगाकर हमला किया था । लगभग 10 मिनिट तक दोनों ओर से गोलाबारी के पश्चात सुरक्षा बलों का एक अन्य पदाधिकारी मारा गया और एक अन्य अधिकारी घायल हुआ । इस घटना में 3 नागरिक भी घायल हुए । छिपे हुए नागाओं के हताहतों की संख्या ज्ञात नही है । जिला कोहिमा के चखेसांग क्षेत्र में चकबामा के निकट 21 नवम्बर, 1972 को गोली चलाने की कोई घटना नहीं हुई थी ।

"पुलिस यूज टियर गैस आन दिल्ली स्वीपर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

5216. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "पुलिस यूज टियर गैस आन दिल्ली स्वीपर्स "(दिल्ली के भंगियों पर पुलिस द्वारा अश्रु गैस का प्रयोग) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) : दिनांक 26-11-1972 को दोपहर के लगभग 12 बज कर 30 मिनट पर रोशनआरा रोड पर लगभग 300-400 हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने वफादार कर्मचारियों को रोका तथा हड़ताली सफाई कर्मचारियों तथा पुलिस के बीच हाथापाई हो गई । अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिये पुलिस ने अश्रु गैस का प्रयोग किया एक वफादार कर्मचारी घायल हुआ तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 953 के अनुसार दिनांक 26-11-1972 को सब्जीमंडी पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/186 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था । उसी दिन लगभग 5.30 बजे शाम को पुन: 400-500 हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने वफादार कर्मचारियों पर, जो सफाई करने लिये रोशनआरा रोड क्षेत्र में गये थे, आक्रमण किया तथा रोका । हड़ताली सफाई कर्मचारियों तथा पुलिस के बीच झगड़ा हो गया तथा झगड़े में पुलिस कर्मचारी तथा हड़ताली वफादार कर्मचारी घायल हुए । एक घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती किया गया । अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिये पुलिस ने अश्रु गैस का प्रयोग किया । सब्जीमंडी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 956 दिनांक 26-11-1972 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/332 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था ।

अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है । जांच चल रही है ।

भारत स्थित गिरजाघरों को विदेशी उपहार तथा दान

5217. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दलों को विदेशी निधियां प्राप्त करने पर रोक लगाने के लिये प्रस्तावित सरकारी विधान के उपबन्ध भारत स्थित गिरजाघरों को विदेश उपहार तथा दान दिये जाने के मामले में लागू नहीं होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) विधायी प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । किन्तु विधान के क्षेत्र से भारत स्थित गिरजाघरों को दिये गये विदेशी उपहार तथा दान से छुट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विदेशी नागरिकों का भारत में अवैध रूप से आना तथा यहां से जाना

5218. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान तथा अन्य देशों के बहुत से नागरिक वैध पासपोर्टों तथा अन्य दस्तावेजों के बिना देश में आ रहे हैं तथा यहां से विदेशों को जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रियां है; और

(ग) विदेशी नागरिकों के भारत में अवैध रूप से आने तथा यहां से जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों द्वारा चौथी योजना की विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति

5219. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

श्री के० लकप्पा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों में चौथी योजना की विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है ताकि देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कमी तथा गम्भीर सूखे की स्थिति के प्रभाव को कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो चौथी योजना की विद्युत; और सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति की गति को बढ़ाने के लिये सहमत हो गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) देश के विभिन्न भागों में गंभीर सूखे की स्थिति और बिजली की आम कमी को ध्यान में रखते हुए, योजना अयोग सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना वांछनीय समझता है । इसे ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्य

सरकारों से उनकी वार्षिक योजना प्रस्ताव 1973-74, पर जो चर्चा हो रही है उन में इस पहलू पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

(ख) जिन राज्य सरकारों यानी बिहार, हरियाणा, गुजरात, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, असम, केरल और हिमाचल प्रदेश से अब तक जो विचार-विमर्श हुआ है उसके मुताबिक वे आमतौर से इस दृष्टिकोण पर सहमत हैं ।

आकाशवाणी का मिथिला प्रसारण केन्द्र

5220. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दरभंगा, बिहार में आकाशवाणी के मिथिला प्रसारण केन्द्र को चालू करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है तथा विभिन्न स्तरीय कार्यों को पूरा करने के लिये निर्धारित समय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): दरभंगा में आकाशवाणी के केन्द्र के लिये स्टूडियो और ट्रांसमिटर के लिये स्थान अधिग्रहण कर लिये गये हैं । ट्रांसमिटर भवन के निर्माण के लिये सिविल प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं । परियोजना के 1974-75 में पूरी हो जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की गतिविधियों का प्रचार करने के लिए पुस्तिका

5221 **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने अपनी गतिविधियों के प्रचार के लिये "प्रोफैशनल सोफ्टवेयर सर्विसिज" (विदेशी भाषा में 'सर्विसिज प्रोफैशनेल्स टैक्नीक्स") शीर्षक के अस्मत अन्तर्गत एक पुस्तिका निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पुस्तिका में निगम ने निम्नलिखित चिह्न अंकित किये हैं :—

(1) औद्योगिक आंकडे केन्द्र (सटर डे डोन्नीस इंडस्ट्रियलैस)

(2) औद्योगिक परीक्षण सुविधायें (फैसिलिटीज डे माइनए एप्रीव्यों इण्डस्ट्रियल)

(3) माइक्रो फिल्म बनाना (माइक्रो फिल्मेज)

(4) धातुकर्मक अनुसंधान के लिये प्रयोगिक संयंत्र सुविधायें (यूनिंग पाइलेट, फैसेलिटीज पावर रिसर्जिंग मैटल्लीक्स)

(ग) क्या उपयुक्त चित्र राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित न होकर किसी अन्य संगठनों से सम्बन्धित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने पुस्तिका में न केवल उन सेवाओं का भी उल्लेख है

जिनकी व्यवस्था वह देश के अन्य संगठनों की सहायता से कर सकता है । पुस्तिका के पैरा 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है :—

"विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुविधायें तथा प्रतिभा की व्यवस्था करने के लिय हम विभिन्न प्रकार के कौशल तथा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, तकनीकी विश्वविद्यालयों, बृहत् निर्माणकारी एककों, उच्च शिक्षा सम्बन्धी शैक्षणिक संस्थानों आदि में उपलब्ध विविध ज्ञान तथा अनुभव को एक स्थान पर प्राप्त कराने की व्यवस्था करते हैं ।"

पुनश्च, पुस्तिका में "औद्योगीकृत देशों के लिये विशिष्ट सेवायें" शीर्षक के अतर्गत लिखा गया है कि :—

"अतः हमने ये सेवायें जिनमें बहुत बड़ी संख्या में जनशक्ति की आवश्यकता है, भारत से प्राप्त करने की व्यवस्था की है । औद्योगीकृत देशों में उन विशिष्ट क्षेत्रों में जहां कमी महसूस होती है हम इस प्रकार के प्रशिक्षित तथा अनुभवी तकनीकी तथा वैज्ञानिक व्यक्तियों को जिनमें स्वयं अपने संगठनों तथा अन्य सहायक संगठनों की व्यवसाय सम्बन्धी योग्यता है, एक सूत्र में बांधते हैं" ।

चित्रों के शीर्षकों से भी यह पता चलता है कि इस बात का दावा नहीं किया गया है कि ये औद्योगिक विकास निगम के सम्बन्ध में नहीं हैं । पुस्तिका में दिये गये चित्र से भारत में उपलब्ध उन सुविधाओं का पता चलता है जिन्हें निगम दूसरों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकता है । पुस्तिका से कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होती है । अतएव कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली के प्रौद्योगिकी सलाहकार ब्यूरो के स्टेशनरी स्टोर्स में माल की घटोतरी

5222. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के औद्योगिकी सलाहकार ब्यूरो के स्टेशनरी स्टोरस में जब वह दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित जीवन भवन बिहार बिल्डिंग में स्थित था हजारों रुपयों के माल की चोरी/कमी पाई गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वस्तूओं की कमी थी तथा उनका कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी अथवा क्या कोई जांच कराई गई थी और यदि हां, तो कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) :—जी हां, । स्टेशनरी वस्तुओं, जिनका विवरण संलग्न है, की कमी की जानकारी 7-8-1968 को हुई ।

(ग) एक विभागीय जांच कराई गई थी और आवश्यक गवाही ली गई थी । जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में हानि की जिम्मेदारी किसी पर निश्चित नहीं की है । जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर निगम के निदेशकों की कार्यकारी समिति ने विचार किया था जिसने हानि को बट्टेखाते में डालने का फैसला किया । समिति ने यह भी निदेश दिया है कि भविष्य में इस प्रकार के मामले की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये

"विवरण"

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	कार्बन कागज (फुलस्केप) .	967	74.45
2.	स्याही मिटाने वाला रबड़	107	57.90
3.	इन्स्ट्रूमेंटस बाक्स	17	340.00
4.	स्टेंसिल (बड़ा आकार)	569	284.50
5.	पैंसिल गढ़ने वाला	3	219.00
6.	पैंसिल एच० .	176	88.00
7.	पैंसिल 4एच०	98	49.00
8.	पैंसिल वी० .	36	18.00
9.	स्केल (प्लास्टिक)	17	34.00
10.	स्लाइड रोल	41	1600.00
11.	स्टैपलिंग मशीन	6	15.00
12.	इरेजर टाइपिंग	117	263.25
13.	ट्रैसिंग क्लाथ (रौल)	5	500.00
14.	वीटो रंग की स्याही	20	10.00
15.	पैरेलल रूलर	1	35.50
	योग . . .		3579.60
	अथवा		3580.00

श्री एम० जी० रामचन्द्रन के सचिव से जाली विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

5223. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम०जी० रामचन्द्रन का सचिव एक्सपो 70 के दौरान जाली विदेशी मुद्रा रखने के कारण हांगकांग में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या हांगकांग स्थित भारत के उच्चायुक्त ने उनकी जमानत दी है और यदि हां तो प्रतिभूति की कितनी राशि के लिये; और

(ग) अपराधी के भारत लौटने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उससे कितनी जाली मुद्रा पकड़ी गई ।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in various Ministries

5224. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe in the various Ministries of the Central Government; and

(b) their proportion in each category?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) & (b): Statements giving the required information as on 1st January, 1971, are annexed. (Statements I—IV). [Placed in Library See No. LT-4101/72]

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

5225. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) बदली हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 4102/72)

Technical Assistance from U.S.S.R. for Industries

5226. SHRI M.S. PURTY : Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the types of industries for which India had received technical assistance from Russia; and

(b) the main features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) Technical assistance has been received from USSR in the spheres of steel, heavy machine building, coal mining and washery and coal mining machinery, opthalmic glass, precision instruments, drugs, power generation, oil, electrical machinery, aluminium etc. under the various Soviet Credits.

(b) The Soviet Credits carry interest at 2½ % per annum and are re-payable over a period of 12 years, except in the case of credit for the Drugs Projects which is repayable

in 7 years. The repayments towards the principal begin one year after completion of deliveries of equipment for putting the respective projects into operation. The payments of interest and repayment of principal are made in Indian rupees which are utilised by the Soviet authorities for the purchase of goods in India for export to the USSR.

Nationalisation of Foreign Tobacco Factories

5227. SHRI G.P. YADAV : Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalise foreign tobacco factories in India; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) & (b) : There is no such proposal under consideration by Government.

M.P. Candidates for Script Writers' Test

5228. SHRI G. C. DIXIT : Will the MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether some candidates of Madhya Pradesh also appeared in the written test held on the 9th December, 1971 for the posts of Script writers in English; and

(b) if so, the number of candidates from Madhya Pradesh who passed that test and the number out of them selected for the said posts?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) & (b) : The only candidate from Madhya Pradesh who appeared in the test did not qualify and was therefore not selected. The State of domicile of candidates is not taken into consideration while making recruitment in the All India Radio.

Direct link between Khandva, Burharpur, and Indore

†5229. SHRI G. C. DIXIT : Will the MINISTER OF COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Telephone Sub-Division Centre in Khandva, the headquarters of East Nimar District, has direct line with Indore, while Burharpur which has more population and is also an industrial city, does not have direct line with Indore; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H.N. BAHUGUNA) : (a) Both Burharpur and Khandva have direct trunk lines to Indore. However, a direct dialling circuit is available on the Khandva-Indore route only.

(b) A direct dialling circuit is provided only when the number of trunk channels are 3 or more. There is a proposal for increase the channels between Burharpur and Indore by the provision of a Carrier System. A dialling circuit would be provided from Burharpur to Indore after this is commissioned.

Talks of Madhya Pradesh M. Ps. and Legislators over Akashvani Centres of Madhya Pradesh

5230. SHRI G.C. DIXIT : Will the MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the names of Members of Parliament from Madhya Pradesh and Members of Madhya Pradesh Legislature whose talks were broadcast from Akashvani Centres in Madhya Pradesh during the years 1970-71 and till October in the year 1971-72; and

(b) if no talks were broadcast, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा भूख हड़ताल

5231. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या कुछ आश्वासनों को क्रियान्वित न करने के विरोध में आकाशवाणी के कुछ कलाकारों ने नवम्बर, 1972 में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये ;

(ग) कौन सी मांग अभी तक शेष हैं; और

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक दिये जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) आकाशवाणी के कतिपय स्टाफ आर्टिस्टों ने अपनी मांगों के समर्थन में क्रमबद्ध भूख हड़ताल की ।

(ख) से (घ) : एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 4103/72)

1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमें

5232. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सितम्बर, 1968 की हड़ताल की गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अभी भी मुकदमें चलाए जा रहे हैं और सरकार ने औद्योगिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए इन मामलों को खत्म करने/वापस लेने के लिए आवश्यक कदम अभी तक जारी नहीं किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा अन्य स्थानों में अभी कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) कर्मचारियों के विरुद्ध इन मुकदमों को खत्म करने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) : बिहार को छोड़ कर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नवंबर, 1972 तक प्राप्त सूचनाके अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सितम्बर, 1968 की

हड़ताल के सम्बन्ध में उनकी गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली के एक मामले समेत अभियोजन के 27 मामले लम्बित थे। ऐसे कर्मचारियों के अभियोजन के संबंध में सरकार की यह सदा नीति रही है कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाए और न्याय की सामान्य प्रक्रिया में कोई हस्तक्षप न किया जाए। तथापि राज्य सरकार तथा संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे कार्यवाहियों को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक उपाय करें तथा अभियोजन के लंम्बित मामलों की भी इस दृष्टि से सावधानी से संविक्षा करें ताकि ऐसे मामले जिनमें साक्ष्य पर्याप्त नहीं समझा जाता है, उनमें विधि के अनुसार कार्यवाहियों की समाप्ति की जा सके।

डाक तथा तार विभाग में विभागीय अवकाश

5233. **श्री एस० एम० बनर्जी**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुपूरक नियम 276 के अन्तर्गत डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को विभागीय अवकाश पर भेजा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 तथा 1971 में कुल कितने कर्मचारियों को विभागीय अवकाश पर भेजा गया ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):

(क) डाक तार विभाग में सिर्फ मौसम में लगाये कर्मचारी ही अर्थात् वे कर्मचारी जो वर्ष के किसी एक अंश के लिए नियुक्त किए जाते हैं, विभागीय छुट्टी पाने के पात्र हैं।

(ख) कोई नहीं।

Reservation of posts in Indian Standard Institution

5234. SHRI SHIV SHANKAR PRASAD YADAV : Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether the Indian Standards Institution is following the 40 point model roster in order to provide reservation of posts in accordance with Home Ministry's Memo No. 1-3/63-S.C.T. (I) dated the 21st December, 1968; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) The Indian Standards Institution is following the forty-point model rosters for reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes according to the Ministry of Home Affairs O.M.No. 1/11/69-Est(SCT), dated the 22nd April, 1970 which modifies the rosters prescribed in that Ministry's Office Memorandum No. 1/3/63-SCT(1), dated 21st December, 1963.)

(b) Does not arise.

Strength of Employees belonging to Scheduled Castes in Indian Standard Institution

5235. SHRI SHIV SHANKAR PRASAD YADAV : Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the total number of posts in each of the following categories in the Indian Standards Institution and the number of persons out of them who belong to the Scheduled Castes (i) Director, (ii) Deputy-Director, (iii) Assistant Director, (iv) Assistant Secretary, (v) Section Officers, (vi) Assistants;

(b) in case the number of persons belonging to the Scheduled Castes working against the said posts falls short of the quota reserved for them, the reasons therefore; and

(c) the manner in which this quota would be filled and when?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) The total number of filled posts category-wise in the Indian Standards Institution and the number of Scheduled Caste employees in each category are as follows :—

Sl. No.	Designation of post	No. of filled posts	No. of employees belonging to Scheduled Castes
1.	Director	16	Nil
2.	Dy. Director	78	Nil
3.	Asstt. Director	122	1
4.	Asstt. Secy.	6	Nil
5.	Section Officer	23	1
6.	Assistant	129	1

(b) & (c) In accordance with existing orders, reservation of posts for scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been made by the ISI in respect of posts which are required to be filled strictly by selection on the basis of merit. As the posts under Serial No. (1), (2), (4) and 2/3rd posts at Sl. No. (5) are required to be filled by such selection, the question of reservation in these categories of posts does not arise. As the ISI is essentially a technical organisation, the posts of Assistant Director are scientific/technical/specialised posts and carry different scientific/technical/specialised qualification. The posts of Assistant Director are required to be filled by direct recruitment and whenever recruitment to these posts is made, the Institution has always been reserving the posts for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in this category in accordance with the Government of India orders on the subject but the response to the advertisements of the posts reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes has been consistently poor. Either there is no applicant or there are one or two applicants who usually do not possess the prescribed qualifications nor are found suitable for the

posts by the Selection Committee consisting of experts in the field. As regards 1/3rd posts of Selection Officers which are required to be filled by Limited Departmental Competitive Examination, due reservation has always been made. So far as the posts of Assistants are concerned, which are required to be filled by seniority subject to fitness, hitherto no reservation was provided by the Government of India in posts required to be filled by promotion by seniority subject to fitness. Very recently provision for some reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes has been made in the posts filled by the aforesaid method. The Institution is also reserving the posts of Assistants for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees in accordance with the orders on the subject.

आनन्द बाजार पत्रिका के निदेशक से पुलिस द्वारा पूछताछ

5236. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशक, श्री अभिक सरकार से पुलिस द्वारा कई घंटों तक पूछताछ की गई :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं :

(ग) क्या श्री अभिक सरकार नें 10 दिसम्बर, 1971 को भारत-पाकिस्तान युद्ध की प्रगति के बारे में किसी अमरीकी समाचार एजेंसी को बिना सेंसर किए ही एक समाचार भेज दिया था ; और

(घ) क्या बिना सेंसर किए समाचार भेजना अपराध है जो भारत सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दण्डनीय है, यदि हां, तो भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इस विशेष व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान कोई सांविधिक सेंसर व्यवस्था (सेंसरशिप) नहीं थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली तथा बम्बई में टेलीविजन पर कृषि तकनीकी विधियों का प्रदर्शन

5237. **श्री ई० वी० विखे पाटिल:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा बम्बई में कृषि संबंधी नई तकनीकी विधियां महीनें में कितनी बार टेलीविजन पर प्रदर्शित की जाती हैं ,

(ख) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों को टेलीविजन सेट भेजने को कोई योजना बनाई है : और

(ग) अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को टेलिविजन सेट सप्लाई किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीरसिंह) :

(क) कृषि तथा इससे संबंधित विषयों पर दिल्ली टेलिवीजन केन्द्र एक सप्ताह में आधे घंटे के तीन कार्यक्रम तथा बम्बई पन्द्रह पन्द्रह मिनट के दो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

(ख) तथा (ग)

प्रारम्भ में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (उस समय परमाणु उर्जा विभाग के अधीन, अब अन्तरिक्ष विभाग के अधीन) ने एक प्रयोगात्मक परियोजना के रूप में दिल्ली के सेवा क्षेत्र के गांवों में लगभग 80 टेलिवीजन सैट लगाए गए थे। दिल्ली तथा बम्बई के टेलिवीजन सेवा क्षेत्र के गावों में सामुदायिक रूप से देखने के लिए, सामुदायिक टेलिवीजन सैट सप्लाई करने की फिलहाल कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। यह मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

जल विवादों के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सिंचाई परियोजनाओं का पांचवीं योजना में शामिल न किया जाना

5238. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा विवादों के कारण योजना आयोग ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं को पांचवी योजना में शामिल नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में योजना आयोग का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):

(क) पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अतः इस समय पांचवीं योजना में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं शामिल न करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी के कारखाने स्थापित करने हेतु विचाराधीन आशय-पत्र

5239. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के नये कारखानों की स्थापना और वर्तमान कारखानों के विस्तार के सम्बन्ध में आशय-पत्रों के लिए अनेक आवेदनपत्र उनके मंत्रालय के पास विचाराधीन पड़े हुए हैं। ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने विस्तार के लिए हैं और कितने नये कारखानों के लिए हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) से (ग) : 1 दिसम्बर, 1972 को चीनी के नए कारखाने लगाने और विस्तार सम्बन्धी क्रमशः 39 और 15 आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े थे जिसमें से विस्तार के लिए 6 चीनी के नए कारखाने खोलने सम्बन्धी 4 आवेदन पत्र 1971 के हैं शेष चालू वर्ष के हैं। लाइसेंसिंग समिति ने 15 मामलों

पर विचार किया है और शिघ्र ही निपटान कर दिया जाएगा, 7 मामलों पर कृषि मंत्रालय की संविक्षा समिति ने विचार किया है परन्तु लाइसेंसिंग समिति को कार्यवाही हेतु अभीप्राप्त नहीं हुए हैं 14 मामलों पर संविक्षा समिति अभी विचार करेगी और शेष 19 मामलों के बारे में राज्य सरकार की सिफारिशों अथवा प्रमुख जानकारी जैसे गन्ने की उपलब्धता की विधि की सूचना अभी कृषि मंत्रालय से प्राप्त करनी हैं।

राजस्थान की विकास सम्बन्धी समस्याओं तथा पिछड़ेपन का अध्ययन

5240. **श्रीमती कृष्णा कुमारी-जोधपुर:** क्या योजना मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य की विकास सम्बन्धी समस्याओं तथा पिछड़ेपन का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है ; और

(घ) परियोजना-वार कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) : सरकार ने राजस्थान की विकास सम्बन्धी समस्याओं तथा पिछड़ेपन का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। परन्तु औद्योगिक से पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिवारण के लिए गटितदृष्टि दो कार्यकारी दलों की सिफारिशों तथा लाभहीन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा तय किए गए सूत्र के आधार पर ऐसे कई जिलों का चयन किया गया है जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ग) तथा (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

"विवरण"

जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उनका चयन निम्न वर्गों में किया गया है :–

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	चुने हुए जिले/क्षेत्र	चौथी योजना में आवंटन
1	2	3
		(करोड़ रू०)
लघु कृषक विकास अभिकरण	1–अलवर 2–भरतपुर 3–उदयपुर	प्रत्येक परियोजना के लिए 1.50 करोड़ रुपये।

1	2	3
सीमान्त कृषक तथा खेतीहर मजदूर . .	1–अजमेर 2–भीलवाड़ा	प्रत्येक परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपये।
बारानी खेती	1– जोधपुर 2– भीलवाड़ा 3– चित्तौड़ गढ़	प्रत्येक परियोजना के लिए 0.8 करोड़ रुपये (लगभग)
सूखाग्रस्त क्षेत्र . . .	1– बीकानेर 2–चूरू 3–नागौर 4–जैसलमेर 5–जोधपुर 6–बारमेड़ 7–जालौर 8–पाली 9–डूंगरपुर 10–बासवाड़ा	20 करोड़ रुपये (लगभग)

निम्नलिखित जिलों का चयन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में किया गया है अतएव ये वित्तीय संस्थाओं से रियायत पाने के पात्र हैं :–

अलवर, बांसवाड़ा, बारमेड़, भीलबाड़ा, चुरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू, झालवाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोंही, टोंक तथा उदयपुर।

निम्नलिखित जिले 50 लाख रुपये तक की स्थिर पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत अंश के बराबर केन्द्रीय राज्य सहायता प्रदान करने की स्कीम के अन्तर्गत चुने गए हैं :– .

अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर तथा उदयपुर।

Applications from National Small Scale Industries Corporation for supply of printing machines

5241. SHRI SUDHAKAR PANDEY : Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the number of applications under consideration of the National Smail Scale Industries Corporation for the supply of printing machines on hire-purchase basis and the time likely to be taken by the Corporation in considering the applications and taking decisions thereon; and

(b) the measures being taken to expedite the disposal of the applications?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) 426 applications are pending consideration. In the normal course the Corporation takes three months to convey its decision regarding acceptance or rejection of applications.

(b) Instructions have been issued to expedite cases.

Production of Road Rollers

5242. SHRI E.V. VIKHE PATIL : WILL the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVE LOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY BE PLEASED TO STATE

(a) whether all kinds of road-rollers are being produced in the country;

(b) whether there is still shortage of road rollers in the country; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to meet the shortage?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) The road rollers being produced in the country are of the following three types :—

(1) Standard type (8-10 tons)

(2) Tractor mounted type (5-6 tons)

(3) Vibratory type (3-4 tons).

(b) The present production of road rollers is inadequate to meet the demand which has shot up very considerably during the last two years.

(c) The existing manufacturers are being given all facilities and assistance required for maximising their production. The feasibility of reconditioning old and unserviceable road rollers with a view to bringing them back into service is being explored. Additional capacity for production of road rollers is being created by approving proposals received from new parties.

High Power Transmitter at Varanasi Station of Air

5243. SHRI SUDHAKAR PANDEY : Will the MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) when the decision to convert the existing transmitter of Varanasi station of AIR into High Power transmitter was taken;

(b) whether the progress on this work has not been satisfactory and if so, the steps taken to accelerate the work; and

(c) the time by which the Station will start working to its full capacity?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) to (c) There is no proposal for conversion of the existing medium-power transmiter at Varanasi into a High Power Transmitting Station. There is, however, a proposal for the construction of permanent studios thereto convert the station into a full-fledged programme-originating station. This scheme is likely to be completed by 1975-76.

आयकर अधिकारियों के स्थायी रिक्त पदों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5244. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अगस्त, 1972 को आयकर अधिकारियों से संबंधित दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अस्थायी पदों में भी स्थायी रिक्त स्थान हो सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न सेवाओं से सम्बद्ध अपने वर्तमान नियमों, विनियमों और अनुदेशों के बारे में इस निष्कर्ष में निहित बातों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) : सम्बन्धित निर्णय वर्ष 1965 की सिविल अपील संख्या 1038 तथा वर्ष 1966 की लेख्य याचिका संख्या 5 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष - कर बोर्ड द्वारा तैयार की गई आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता सूची से सम्बन्धित अपील के सिलसिले में है। यह निर्णय 'आल इंडिया रिपोर्टर' में अभी उसके चालू महीने अर्थात् दिसम्बर, 1972 में ही प्रकाशित हुआ है। इस निर्णय की इस दृष्टि से जांच की जा रही है कि क्या उसमें आयकर सेवा, जिससे कि उसका संबंध है, के अलावा किसी अन्य सेवा से संबंधित नियमों विनियमों आदि के बारे में उसका कोई निहितार्थ है।

Import of equipment and designs by Maruti Limited

5245. SHRI HUKUM CHAND KACHWAI :

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state the value of the foreign exchange spent in importing equipments and designs by Maruti Limited?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : Government have not allocated any foreign exchange to M/s. Maruti Pvt. Ltd. for importing equipment or designs.

मुल्की कानूनों सम्बन्धी प्रश्न का हल

5246. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुल्की कानूनों सम्बन्धी प्रश्न को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) राज्य में आन्दोलन के फलस्वरूप जान-माल की कितनी क्षति हुई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) : 27 नवम्बर, 1972 को सदन में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) सूचना के ब्यौरे राज्य सरकार से एकत्रित किए जा रहे हैं।

औश्रोगिक उत्पादन में आधार

5247. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) वर्ष 1972 के प्रथम सात (जनवरी—जुलाई) महीनों के औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सिविल आपूर्ति संगठन के सूचकांक के अनुसार 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 1971 की इसी अवधि में वृद्धि 1.9 प्रतिशत थी।

(ख) औद्योगिक उत्पादन में तुलनात्मक पुनरुत्थान बहुत से बड़े उद्योग समूहों और उपसमूहों की, जैसे वस्त्र निर्माण, कागज उत्पाद, रबर, उत्पाद, रासायनिक अधातुज उत्पाद, मूलतः धातु उद्योग वैद्युतेतर मशीनरी, वैद्युत मशीनरी और यातायात उपकरण (ट्रांसपोर्टस विवपमेंटस) आदि को पुनः पनपाने से हो सकेगा।

(ग) सरकार द्वारा अपनाये गये निम्नलिखित अभ्युपाय औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की वर्तमान गति को बनाये रखने में सहायक होंगे :—

(1) औद्योगिक लाइसेंस नीति में उदारता और लाइसेंसीकरण तरीकों का सुप्रवाही बनाना।

(2) सभी विदेशी बहुलांश वाली फर्मों और बड़े गृहों के अलावा चुने हुए निरन्तर प्रक्रिय वाले 65 मुख्य उद्योगों में उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता को अनेक पारी कार्य प्रणाली द्वारा 200 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देकर विद्यमान लाइसेंसों में संशोधन। विदेशी बहुलांश वाले और बड़े गृहों के उपक्रमों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक क्षमता बढ़ाने के प्रश्न की संवीक्षा करने के लिए कृतिक दल की स्थापना की गई है।

(3) सभी आवेदकों के लिए (बड़े गृहों और विदेशी बहुमत वाले फर्मों को छोड़कर विदेशी मुद्रा की आश्यकता की शर्तों आदि के कुछ बन्धनों के अधीन 1 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए और औद्योगिक लाइसेंस की सीमा को हटाना।

(4) विशेष वस्तुओं जैसे इस्पात जिसकी आपूर्ति कम है, औद्योगिक कच्चे माल के लिए आयात नीति में उदारता।

(5) पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना; और

(6) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में क्षमता के पूर्ण प्रयोग में बाधक कठिनाइयों को दूर करने के विचार से योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक ग्रुप की नियुक्ति।

Panchayat level planning

5248. SHRI M.C. DAGA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission propose to start Planning at Panchayat level and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI M.C. HAN DHARIA) : (a) and (b) The Planning Commission has stressed a multilevel planning approach with a view to securing the effective participation and involvement at various levels of Governments as well as different sections of people.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैंने डा० कर्ण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के भंग के बारे में लिखा था। माननीय मंत्री ने अनेक प्रश्नों पर सभा को गुमराह किया है। आपने मुझे मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे माननीय मंत्री को भेज दिया है।

श्री पीलू मोदी : क्या मैं उत्तर की प्रतीक्षा करूं ?

अध्यक्ष महोदयः : आप प्रतीक्षा कीजिए।

श्री पीलू मोदी : गुजरात में गम्भीर सूखा पड़ा है इस बारे में मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है। मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि इसको स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे स्वीकार किया गया तो आपको सूचित कर दिया जायेगा। मैंने सूखे की स्थिति पर चर्चा करने की अनुमति दी है जिस सदस्य को मैंने बुलाया नहीं है वह खड़े न हों। (**अर्न्तबाधा**) कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। वे सभी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। (**अन्तर्बाधाए***

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीमपुर) : हमने इस सभा में मांग की थी कि आसाम को एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाये। सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। श्री पंत स्वयं वहां गये थे। हम चाहते हैं कि वह स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य देंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The situation in Assam has not yet become normal. Shri Pant's visit had a salutary effect on the situation you may please ask him to make a statement.

Mr. Speaker : He will make a statement on the Calling Attention Notice.

श्री पीलू मोदी : गुजरात को खाद्यान्न की सप्लाई में मनमाने तौर पर कटौती कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के बारे में मैं कोई तर्क नहीं सुनना चाहता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे अथवा ध्यान दिलाने वाले सूचना स्वीकार की जा सकती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने आपको दो अन्य मामलों के बारे में लिखा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री को आरोपों से मुक्त करने में विधेयक तथा महालेखापरीक्षक को अर्न्तग्रस्त किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को प्रतिदिन नहीं उठा सकते। आप इस मामले को इस समय नहीं उठा सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बा) : आप सरकार का बचाव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात सभा पर छोड़ता हूं कि क्या मैं सरकार का बचाव कर रहा हूं ? यदि सभा की राय यह है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मुझे सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि आप के विचार में श्री मिश्र ने ठीक प्रक्रिया का अनुपाप नहीं किया है तो आप उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और आप उन पर विचार कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो वह इस मामले को बाद में उठा सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यदि वह कुछ दस्तावेज मुझे भेजना चाहते थे तो उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि आप किसी सदस्य को कुछ प्रश्न उठाने की अनुमति ही नहीं देते हैं।

Mr. Speaker : You cannot discuss this matter in this House. There should be some procedure. We will have to evolve some procedure.

श्री सेझियान (कुम्बओणम) : श्री मिश्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। उन्होंने महालेखा-परीक्षक को लिखे गये पल का उल्लेख किया है, यह निर्णय आपने लेना है कि यह उचित है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय: मैं दस्तावेज देखूंगा। यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्व सूचना दे देते तो मैं जांच कर सकता था

श्री श्यान नन्दन मिश्र : पत्र मेरे पास है। मैं इस समय वह प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने जो निर्णय दिया है हमें उस पर गम्भीर आपत्ति है। मैं इस समय केवल एक संवैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला मंत्रिमंडल के चार मंत्रियों को क्यों सौंपा गया था ? इस मामले को महालेखापरीक्षक को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ? मैंने सत्याग्रह में भाग लेने वालों के बारे में एक अन्य मामला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का मामला है। मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूं कि सत्र के स्थगित होने से पूर्व माननीय वित्त मंत्री वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु: सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चलाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसी टिप्पणियां सहन नहीं कर सकता। इस अनुचित प्रबन्ध के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या हम उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य: इस स्थिति के लिए सरकार ही जिम्मेदार है

श्री जी० विश्वनाथन (बान्डीबाश) : मुल्की नियमों पर चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने कोई समय अलाट नहीं किया है। इसको कल की कार्यसूची में किस प्रकार रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: सभा इस बात का निर्णय करे कि मुल्की नियमों पर चर्चा के लिए समय दिया जाये अथवा नहीं ? कार्यमंत्रणा समिति को उस समय इस बारे में जानकारी नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब यह मामला कार्यमंत्रणा समिती की बैठक में उठाया गया था तो उस समय मुः की नियम विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया था। बैठक में अलग अलग राय व्यक्त की गई थी। क्या विधेयक पर चर्चा के लिए समय देने के लिये किसी अन्य मद को कार्यसूची से निकाला जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: इस बात को देखना मंत्री महोदय का काम है। सभा इस बारे में निर्णय ले सकती है अथवा इसे कार्यमंत्रणा समिति को भेजा जायेगा।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : यह कार्यमंत्रणा को भेज दिया जाये। हम अन्य किसी विधेयक को बाद में ले सकते हैं, हम इस विधेयक पर पहले चर्चा करना पसन्द करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अनेक विधेयकों तथा मदों के लिए समय नियत किया गया है। प्रश्न यह है कि आप उसी समय में इस विधेयक पर भी चर्चा करेंगे अथवा किसी विधेयक अथवा मद को वापस लेंगे।

श्री राज बहादुर : हम किसी अन्य विधेयक को वापस लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप आज सायंकाल 4 बजे एक बैठक बुलायें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : गत तीन सप्ताह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन को कार्य-सूची में रखा जा रहा है। परन्तु आज इसको कार्यसूची में नहीं दिखाया गया है। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की जाये।

श्री के० एस० चावड़ा (पारण) : माननीय विदेश व्यापार मंत्री द्वारा गलत सूचना दिये जाने के बारे में मैंने आपको 18 तारीख को एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी परन्तु आपने उसे अस्वीकार कर दिया था। मैं आज वाद-विवाद पढ़ा तो उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। ऐसा लगता है कि वाद-विवाद में कुछ गड़बड़ की गई है। यह बहुत गम्भीर मामला है। श्री राजबहादुर ने कहा था कि मैंने चार प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जबकि मैंने स्पष्टरूप से कहा था कि मैंने एक भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बात कार्यवाही में नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं।

श्री राज बहादुर : मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने इतना कहा था कि चार प्रस्तावों में श्री बसु का नाम है। टेप-रिकार्ड चला के देखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने सारी बात स्पष्ट कर दी है। अब इस मामले को और लम्बा न किया जाये।

श्री सेझियान : माननीय मंत्री ने कहा था कि श्री बसु ने चार प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : टेप को चलाया जाये। यदि किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है तो उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिये। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि प्रस्तुत प्रस्तावों में आपका नाम था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री राज बहादुर : टेप रिकार्ड से मैं कोई भी चीज नहीं निकाल सकता। रिकार्ड यहां मेरे पास है। मैंने केवल नियमों का उल्लेख किया है और वक्तव्य दिया है। मैंने सभा को कभी गुमराह नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा अनुरोध है कि टेप रिकार्डर चलाया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री राज बहादुर ने निम्नलिखित शब्द कहे थे, जो अब रिकार्ड में हैं :--

"श्री ज्योतिर्मय बसु जिन्होंने उक्त प्रस्तावों के लिये नोटिस दिया है का नाम पहले ही ऐसे चार प्रस्तावों में है। तीन नियम 193 के अन्तर्गत और एक अन्य नियम के अधीन" मैं उन प्रस्तावों को पढ़ सकता हूं। यह भाग रिकार्ड में नहीं है।

श्री राज बहादुर : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा (**अन्तर्बाधाएं**) :

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा कहे गये और विपक्षी सदस्यों द्वारा कहे गये शब्दों में अन्तर है। मंत्री महोदय ने विपक्षी सदस्यों के कथन का जोरदार शब्दों में खंडन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं वास्तविक स्थिति का पता लगाऊंगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभा में गरमा-गर्मी इसलिये हुई कि माननीय सदस्य ने कुछ जोरदारें मांगें रखीं और उनके बारे में माननीय मंत्री ने कुछ टिप्पणी की । मैं टेप रिकार्ड सुनने पर जोर नहीं दूंगा । यदि आप माननीय मंत्री को अपनी टिप्पणी निकालने की अनुमति देंगे तो माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने श्री ज्योतिर्मय की टिप्पणी को सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकालने का निदेश दिया था लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने इससे पूर्व की टिप्पणी भी सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकाल दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि इस प्रकार के शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । सदस्यों को उत्तेजित नहीं होना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह आरोप लगाता हूं कि श्री राज बहादुर ने लोक सभा सचिवालय की सहायता से किसी उद्देश्य से उक्त टिप्पणी को निकाल दिया .... (**अन्तर्बाधाएं**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जांच करूंगा ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आप सभा के सम्मुख प्रस्ताव रखकर विरोधी दल के विरुद्ध अपने लिये सत्तारूढ़ दल का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं ;

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बारे में आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जांच करूंगा । मैं इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की ओर से भारतीय बेतार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय बेतार तार (वाणिज्यिक रेडियो संचालकों की कुशलता के प्रमाण पत्र और बेतार तार संचालन के लिये लाइसेंस) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 1553 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4083/72]

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों के संबंध में लिये गये निर्णयों और उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में एक विवरण (30-11-1972 की स्थिति का) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4084/72]

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (क) के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 अक्तूबर, 1969 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2404 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 977 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4085/72]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) श्री हुकम चन्द कछवाय के अतारांकित प्रश्न संख्या 2206 के 29 नवम्बर, 1972 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4486/72]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इण्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1971-72 सम्बधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4087/72]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० अण्णा साहिब शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 481 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4088/72]

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसर्स दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स, प्राइवेट लिमिटेड, सखोती-टांडा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 572(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4089/72]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) (क) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4090/72]

(दो) (क) संभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1970–71 संबंधी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) संभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4091/72]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखिन संदेश की सूचना देनी है:

(एक) कि राज्य सभा 19 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में 14 दिसम्बर, 1972 को लोक सभा द्वारा पास किये गये परिसीमन विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972 पास कर दिया है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

21वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्त शासी जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

56वां और 58वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सीमा शुल्क के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियां, 1970 सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के अध्याय 2 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 8वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 56वां प्रतिवेदन।

(2) निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1970 के बारे में लोक लेखा समिति के 5वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 58वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE

65वां प्रतिवेदन

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर): मैं माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 65वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2206 की शुद्धि के बारे में

RE : CORRECTION TO UNSTARRED QUESTION No. 2206

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : It is very strange that you did not get my notice.

Mr. Speaker : The hon. Member may please give me a notice in writing in this connection.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister may read out that correction.....

मिस्टर स्पीकर :–ऐसी कोई पद्धति नहीं है जब पत्र सभा पटल पर रख दिये जाते हैं तो उन्हें पढ़ा नहीं जाता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

12वां 13वां और 14वां प्रतिवेदन

श्री बी० के० दास चौधरी (कुच विहार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) भूतपूर्व इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 13वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 12वां प्रतिवेदन।

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)—भारतीय रेलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 13वां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग)—(एक) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (मुख्यालय संगठन); (दो) भिलाई इस्पात संयंत्र; (तीन) राउरकेला इस्पात संयंत्र; (चार) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र; तथा (पांच) बोकारो स्टील लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण तथा नियुक्ति के बारे में समिति का 14वां प्रतिवेदन।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) Shri Kachwai gave a notice under Direction 115. It was admitted by you and the hon. Minister gave contradictory answers of the same question. We now want to know the actual reply to that Question and the reasons for giving two contradictory answers of the same question?

Mr. Speaker : I have asked the hon. Member to speak when the report is placed on the Table of the House. If he has some objection he may bring it to my notice. I will ask the hon. Minister to explain this matter to the House.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has given two different answers to one question. I have also given a notice on it.

Mr. Speaker : You should have given it in writing.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have given it in writing.

Mr. Speaker : I shall look into it.

Shri Hukam Chand Kachwai : what is there in the statement.

Mr. Speaker : The hon. Minister should read it out.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : दोनों प्रश्नों का हिन्दी अनुवाद एक-सा था। एक प्रश्न का अनुवाद करते समय लोकसभा सचिवालय ने एक शब्द का अनुवाद "इन्वैस्टमेन्ट" को दिया परन्तु इस सन्दर्भ में यह शब्द 'इन्वैस्टमेंट' नहीं था। यह शब्द "डिवैलप्मेंट" अथवा "प्लानिंग" होना चाहिये था। अतः इस प्रकार भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः सदन को गुमराह करने का मेरा ईरादा नहीं था। दोनों प्रश्न एक ही तारीख के लिए थे अतः यह समझा गया कि दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Such mistakes should not have occurred. It creats confusion throughout the country. It appears that the hon. Minister has not seen both the questions.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं ने दोनों प्रश्न देखे थे। मैंने अंग्रेजी के आधार पर इसका अनुमोदन किया था। यह कहना गलत है कि मैंने प्रश्न नहीं देखे थे।

Mr. Speaker : Whatever it is. Anybody can commit a mistake.

दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता दिये जाने तथा अमरीका द्वारा वियतनाम पर बमबारी बन्द किए जाने के बारे में याचिका

PETITION RE.RECOGNITION OF PROVISIONAL REVOLUTIONARY GOVERNMENT OF SOUTH VIETNAM AND STOPPAGE OF BOMBING ON VIETNAM BY U. S. A.

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): मैं दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता दिये जाने तथा उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम बमबारी को रोकने के बारे में श्री पी० राममूर्ति तथा अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं इस समय केवल एक प्रति प्रस्तुत कर रहा हूं। शेष प्रतियों को चार बजे स्वागत कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जब यह याचिका सदन में प्रस्तुत कर दी गई है तो इसे मुझे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस समय प्रक्रिया यह है कि जब इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसे याचिका समिति को भी भेजा जाता है। इस बारे में मैं आप से मार्गदर्शन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस में मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, याचिका प्रस्तुत हो चुकी है।

श्री एस० एम० बनर्जी: हम मांग करते हैं कि वियतनाम का अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को तुरन्त मान्यता दी जाये। सरकार को अमरिकी बमबारी की भी निन्दा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार आप नहीं बोल सकते। आसाम के बारे में जो नोटिस आये हुए हैं उनका एक बजे बैलट किया जायेगा। अब सभा मध्याहन भोजन के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock

मध्याहन भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at four minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy speaker in the Chair.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यू० एन० आई० में पत्रकारों ने हड़ताल कर रखी है और सारा काम वहां पर ठप है। इस संस्था को सरकार द्वारा वित्त दिया जाता है। हम जानना चाहते हैं कि इस सम्बद्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है। माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी: श्री खाडिलकर ने दूसरे सदन में एक वक्तव्य दिया है। इस मामले को हल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री को इस सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इस बारे में सूचित किया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morum) : The' Hindustan Samachar' and 'Samachar Bharti' have not been given entry passes for the cricket test. I request that these agencies should be given entry passes. There should be no discrimination in this regard.

रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. RECOMENDATIONS OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

***श्री किरुतिनन** (शिवगंगा) : माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प जिसमें रेलवे कन्वेशन कमेटी, 1971 की कुछ सिफ़ारिशों को भी शामिल किया गया है के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

जिस ढंग से इन सिफारिशों को सभा के अनुमोदनार्थ चुना गया है उसपर मुझे आपत्ति है। यह भी बताया गया है कि सरकार द्वारा अन्य सिफ़ारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में अगली संसदीय समिति को सूचित किया जायेगा। क्या इन सिफ़ारिशों को इतनी कम वरीयता दी जानी चाहिए और क्या रेलवे द्वारा इनको क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं न उचित प्रक्रिया तो यह थी की इस सभा को उस संकल्प का अनुमोदन करने के लिए कहा जाता जिसमें सभी सिफ़ारिशें शामिल होती।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

रेलवे कन्वेनशन समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि रलवे द्वारा सामान्य राजस्व में 31 मार्च 1964 से 6 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाना चाहिए । मैंने बार-बार यह कहा है कि सामान्य राजस्व में रेलवे द्वारा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने सदैव इस पर बल दिया है। यदि केन्द्रीय सरकार ने रेलवे में कुछ पूंजी लगानी है तो रेलवे को प्रत्येक वर्ष अपने लाभ की दर को देखते हुए लाभांश का कुछ प्रतिशत सामान्य राजस्व में देना चाहिए। यदि केन्द्रीय सरकार ने रेलवे को ऋण दिया है तो रेलव को केन्द्रीय सरकार को उस पर ब्याज देना चाहिए जिसपर दोनों पक्ष सहमत हों। मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार ने रेलवे को जो राशि दी है वह पूंजी निवेश के रूप में दी है अथवा ऋण के रूप में । माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करके बतायें।

रेलवे द्वारा 6 प्रतिशत सामान्य राजस्व में दिया जाता है और इसके अतिरिक्त रेलवे में अनेक प्रकार के फण्ड बने हुए हैं जिनमें रेलवे की आय का अधिकांश भाग जमा हो जाता है । फलतः रेलवे में काम करने वालों को उनकी मेहनत के अनुसार वेतन नहीं मिलता। रेल कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए।

रेलवे कन्वेनशन कमेटी ने कहा है कि मल्यह्रास आरक्षित निधि में उस दर से राशि जमा नहीं की जा रही है जिस दर पर रेल आस्तियों का प्रतिवर्ष मूल्य-ह्रास हो रहा है । परन्तु मेरा निवेदन है कि इस निधि में राशि बढ़ती जा रही है और यह राशि अप्रयुक्त पड़ी है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस बारे में कमेटी की सिफ़ारिशों का अध्ययन करें और आवश्यक कार्यवाही करें

रेलवे सुरक्षा कार्य निधि में से कुल 1.24 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जबकि 1966-67 से 1971-72 के दौरान इस निधि में 10.81 करोड़ रुपये जमा किये गये थे । देश के अनेक भागों में उपरी पुल तथा फाटक आदि के निर्माण की कड़ी आवश्यकता है। इन कार्यों पर खर्च होने वाली राशि का 75 प्रतिशत भाग रेलवे को देना चाहिए और शेष 25 प्रतिशत भाग राज्यों से लिया जाना चाहिए। देश में लाखों फाटकों पर कोई चौकीदार नहीं है। इस कार्य के लिए इस निधि में स 10 प्रतिशत राशि रखी जानी चाहिए।

देश में रिहायशी मकानों की बहुत कमी है। परन्तु इस कार्य हेतु रखी गई राशि का पूरी तरह प्रयोग नहीं किया गया है। क्वार्टर आदि बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

रेलव के लेखों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को रेलवे द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है । यदि इस सम्बन्ध में रेलव कन्वेशन कमेटी को शिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता तो अनेक समस्याएं हल हो सकती थीं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भा ण समाप्त करता हूं

श्री कें० स० चावड़ा (पाटन): मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि राजकोट डिवीजन में लगभग 167 गाड़ियां चलती हैं जबकि अजमेर डिवीजन में केवल 58 यात्री गाड़ियां चलती हैं। परन्तु राजकोट डिवीजन में टिकट परिक्षकों की संख्या अजमेर डिवीजन से कम है। दोनों डिवीजनों के बीच एक विवाद चल रहा है, जिसे प्रशासन हल नहीं कर सका है।

मैं 26 जून, 1972 को जनरल मैनेजर से मिला था और उन्हें बताया था कि रेलवे अधिक व्यय कर रहा है क्योंकि राजकोट तथा अजमेर डिवीजनों के कर्मचारी दिल्ली मेल, दिल्ली एक्स्प्रेस, जनता एक्सप्रेस तथा 31 और 32 डाअन के 26 स्लीपरों की ही देखरेख करते हैं । ये गाड़ियां

अहमदाबाद जाकर खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार राजकोट डिवीजन के कर्मचारियों से अन्याय हो रहा है। इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। माननीय मंत्री इस मामले पर स्वयं ध्यान दें। यह मेरा अनुरोध है।

Shri Ramautar Shastri (Patna) : I welcome the decision of the Railway Convention Committee for enlarging its field of action to raise the earnings of the Railway.

If we see the figures we will find that there is great difference between the expenditure incurred on the staff and the expenditure being incurred on developmental works. There is need to stop the extravagant expenditure. It will not be proper to have the amount in the revenue, by denying proper amenities to the railway workers.

No one is unaware of the corruption, pilferage and the expenditure incurred on the maintenance of stores. The housing facilities for the workers should be increased. At present only 5 lakhs out of 20 lakhs workers have got the accommodation. Similarly it is horrible to travel by third class. Adequate fans and electricity and water facilities are not supplied in the third class compartments.

The rail way workers have been demanding bonus. The prices are raising and Government have failed miserably to curb the price rise. In view of this the salaries of workers should be increased, they should be given bonus.

At present there is great shortage of wagons in our country. There is huge stock of coal in Bihar and there is no arrangement for its loading. The honble Minister should look into this matter. The problem of ticketless travelling can be solved with the cooperation of railway officers, public and workers' Unions. I hope that Government will look into all these aspects to increase the revenues of Railways.

रेल मंत्री (टी० ए० पाई): मैं रेलवे कन्वेन्शन कमेटी का आभार मानता हूं कि उन्होंने रेलवे के प्रबन्ध सम्बन्धी चार महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया है। जहां तक लेखों का सम्बन्ध है, यद्यपि रेलवे की परिसम्पत्ति का किताबी मूल्य 3,500 करोड़ रुपये है परन्तु उसका बाजार मूल्य कहीं अधिक होगा। वर्ष 1965–66 तक रेलवे ने देश के सामान्य राजस्व में पर्याप्त वृद्धि की है। यह स्थिति तब है जब रेलवे की कुल परिसम्पत्ति युद्ध पूर्व दरों से आंकी गई थी। अब स्थिति यह है कि जो चार पहियों वाला वैगन पहले 16,000 रुपये का था, अब 35,000 रुपये का है। वर्ष 1951–52 में यात्रियों की संख्या 1,2080 लाख थी जबकि वर्ष 1971–72 में उनकी संख्या 25,360 लाख थी। एक वर्ष में लगभग 253 करोड़ लोगों ने यात्रा की है। अतः यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार रेलवे ने वर्ष 1951–52 में 983 लाख टन माल ढोया था जो वर्ष 1965–66 में बढ़कर 2030 लाख टन तक पहुंच गया था। वर्ष 1971–72 में यह घटकर 1970 लाख टन रह गया था परन्तु अब इसमें पुनः वृद्धि हो रही है। हमें आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम लगभग 30 करोड़ टन माल का परिवहन करेंगे।

जहां तक भोजन व्यवस्था का सम्बन्ध है, पूरे वर्ष में और सभी स्थानों पर भोजन व्यवस्था समान नहीं रह सकती है। मूल्य वृद्धि के कारण खाद्य अपमिश्रण की घटनाएं भी हो सकती हैं अतः हमें इस स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि करोड़ यात्रियों

के लिए भोजन व्यवस्था कैसे की जाये । पहले केवल पहले दर्जे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था करनी पड़ती थी । रेलवे में दूसरा दर्जा इस लिए समाप्त कर दिया है क्योंकि उसमें केवल 0.4 प्रतिशत लोग यात्रा करते थे । यदि तीसरे दर्जे से यात्रा करने वाले लोगों को अधिक सुविधाएं दी जानी हैं तो मेरे विचार में हमें यह वर्गीकरण समाप्त करना होगा । अब प्रश्न यह है कि क्या हमने अपनी परिसम्पत्तियों के अनुसार काम नहीं किया है ? कन्वैन्शन कमेटी ने इन सब मामलों पर विचार किया है और हम से कहा है कि हम मूल्यह्रास की राशि को बढ़ायें ताकि इस समस्या का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया जा सके । यदि भारतीय रेलवे सामान्य राजस्व में अपना अंशदान नहीं देता तो उसकी आलोचना की जाती है कि इसका प्रबन्ध ठीक नहीं है । जहां निन्दा की बात हो निन्दा की जानी चाहिए परन्तु जहां सराहना की बात हो वहां सराहना भी की जानी चाहिए । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम फालतू धन-राशि को सामान्य राजस्व के लिए क्यों देते हैं अथवा सरकार से उधार ली गई धनराशि पर व्याज भी क्यों देते हैं ? परन्तु यदि हम ऐसा नहीं करते तो जनसाधारण को मिट्टी के तेल, माचिस या चीनी पर अधिक उत्पादन शुल्क देना पड़ेगा । यह कहना ठीक नहीं कि जितनी धन-राशि फालतू हो वह कर्मचारियों में बांट दी जाये । कुछ लोगों को किराये और भाल भाड़े में वृद्धि किये जाने की शिकायत है । क्या समस्त विश्व में किसी रेलवे व्यवस्था को देश का सामाजिक बोझ उठाने को कहा जाता है ? अलाभकारी शाखा लाइनों से लगभग 8 करोड़ रुपये की हानि हुई है । यदि किसी अन्य देश में यह स्थिति होती तो वे ऐसी रेलवे लाइनों को हटा देते परन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते । अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि उन पर व्यय को किस प्रकार कम किया जाये परन्तु उससे आम जनता को दी जाने वाली सुविधाओं में भी कमी न हो । मैं सभा को बताना चाहूंगा कि जहां तक यात्रियों का सम्बन्ध है, भारतीय रेलवे को घाटा हो रहा है । इस घाटे को माल भाड़े से प्राप्त राशि से पूरा किया जाता है । अतः हम यात्री किरायों और माल भाड़े में अनायास ही वृद्धि नहीं कर देते हैं । भारत में वर्ष 1969–70 में एक यात्री से एक किलोमीटर यात्रा के लिए 2.46 पैसे लिये जाते थे । पूरे विश्व में यह सबसे कम है । मैं यह जानता हूं कि हमारी जनता गरीब है और वह इतने अधिक किराये या माल भाड़े का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि थोड़ा बहुत समायोजन भी न किया जाये । यदि हम यह चाहें कि लोगों से कुछ भी न लिया जाये और उन्हें सब सुविधाएं दी जायें तो यह कैसे सम्भव हो सकता है ? हमारे देश में जो 10 प्रतिशत लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं उनमें 10 प्रतिशत विद्यार्थी, 12 प्रतिशत भिखारी, 23 प्रतिशत छोटे व्यापारी और लघु उद्योगपति तथा 30 प्रतिशत छोटे किसान हैं । मैं केवल यह चाहता हूं कि हम अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग ही करें और अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता को पूरा करें और अधिकतम माल का परिवहन करें ।

जहां तक उपनगरीय यातायात का सम्बन्ध है रेलवे को 12 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । इसका कारण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किराया न दिया जाना नहीं है । मासिक यात्रा टिकटों पर जो हम 10 ट्रिप के हिसाब से जारी करते हैं, लोग जितनी बार चाहें पूरा मास यात्रा कर सकते हैं । हमारे घाटे का यही कारण है ।

अनाज, कोयला, फल, सब्जियां, ईंधन की लकड़ी जैसे माल को बहुत कम भाड़े पर ढोया जाता है । यदि भारतीय रेलवे को लाभप्रद ढंग से चलाना है तो यह तभी सम्भव है यदि ईंधन या कोयले और इस्पात जैसे भारी माल का वाजिब मूल्य रखा जाये ।

रेलवे में वर्ष 1950–51 में मुश्किल से 9–10 लाख कर्मचारी काम करते थे परन्तु अब यह संख्या दुगनी हो गई है । इसी प्रकार नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या भी 10 लाख से बढ़कर 18 लाख

हो गई है। रेलवे में सब से अधिक लोगों को रोज़गार मिला है। हमारा प्रयत्न यह होता है कि हम अधिक से अधिक नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित कर सकें परन्तु बेरोजगार रखने से नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त करना अच्छा होगा।

वर्ष 1950–51 में एक कर्मचारी पर 1263 रुपये व्यय होता था और वर्ष 1971–72 में यह व्यय बढ़कर 3546 रुपये हो गया है। फिर कम भाड़े वाले यातायात से 54 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में भी भाड़े में रियायत दी जाती है। फिर राहत का सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रियायती दर पर ले जाया जाता है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य चिकित्सा और समाज कल्याण सेवाओं पर भी हमारा व्यय लगभग 20.13 करोड़ रुपये होता है। इसी प्रकार रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा सहायता पर 3 करोड़ रुपये और कर्मचारियों को रियायती दर पर आवास सुविधाएं देने पर 10.6 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जो धनराशि जिस प्रयोजन के लिए मंजूर की जायेगी, उसका पूरा उपयोग किया जायेगा और उसमें कोई ढील नहीं दी जायेगी। हम अपने साधनों से रेल कर्मचारियों को जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, दे रहे हैं। हम इस काम को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि समय समय पर उनको बड़ी भारी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है।

भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है। केवल कुछ ही लोग ऐसे कार्य करते हैं। हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए जिससे ऐसी घटनायें न हो। यदि मुझे किसी ऐसी घटना से अवगत करवाया जायेगा तो मैं उस कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे आशा है कि रेलवे कन्वेन्शन कमेटी रेलवे के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए मूल्यवान सुझाव देगी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर की और सामान्य वित्त की तुलता में रेल वित्त सम्बन्धी अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई समिति के लेखे सम्बन्धी विषयों के प्रतिवेदन के, जो 15 दिसम्बर, 1972 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 1.1, 2.31, 3.18, 3.19, 3.27, 3.28, 4.12 4.13 और 5.11 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि उक्त प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही इसी प्रकार के विषयों की समीक्षा करने के लिए इसके बाद नियुक्त की जाने वाली संसदीय समिति को प्रतिवेदित की जाये।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Resolution Was Adopted

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक

NATIONAL LIBRARY BILL

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरल हसन): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बन्धित कपितय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसाकि सभा को पता है, हमारे देश के इस प्रमुख पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण के बारे में काफी असंतोष व्यक्त किया गया था । इसी कारण डा० वी० एस० झा के सभापतित्व में एक समिति गठित की गई थी । इस समिति ने अपना बहुमूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

इस समिति की सिफ़ारिशों को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(1) प्रबन्ध सम्बन्धी अच्छी योजना ।

(2) पुस्तकालय के विभिन्न डिवीजनों और एककों का पुनर्गठन ।

(3) पुनर्गठन सम्बन्धी इन प्रस्तावों के फलस्वरूप अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अधिक धन की व्यवस्था करना ।

मैं आपकी अनुमति से पहली दो सिफ़ारिशों पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा । यद्यपि सरकार के लिए यह सम्भव न होगा कि वह उतने पद दे सके जितने की सिफ़ारिश समिति ने की है, किन्तु 163 अतिरिक्त पद मंजूर किये जा चुके हैं जिनमें श्रेणी एक और श्रेणी दो के तकनीकी पद और श्रेणी दो के सचिवीय पद आदि सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार सरकार ने एक जेरोक्स मशीन और एक आफसैट डुप्लीकेटर की स्वीकृति दे दी है । हां, यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार राष्ट्रीय पुस्तकालय को उतना धन देने की स्थिति में नहीं है जिससे वह अपेक्षित पुस्तकें और पुस्तिकाएं खरीद सके । मैं यह स्वीकार करता हूं कि जितना कोष स पुस्तकालय के पास उससे वह राष्ट्रीय पुस्तकालय के दायित्व निभाने में असमर्थ है । मुझे आशा है कि इस कमी को पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में पूरा कर दिया जायेगा ।

जहां तक पुस्तकालय के प्रबन्ध की समस्या है, इस बारे में समिति ने कई सिफ़ारिशें दी हैं । समिति ने सिफ़ारिश की है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की सलाहकार परिषद् के स्थान पर शासी परिषद् बना दी जाये, जिसमें जाने-माने शिक्षाविद्, प्रशासक, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रसिद्ध व्यक्तित्व सम्मिलित किये जायें । साथ ही परिषद् यह भी सिफ़ारिश करे कि यह शासी परिषद् कानून द्वारा न बनायी जाये, बल्कि सरकार के संकल्प द्वारा बनायी जाये । यह भी सुझाया गया कि एक निदेशक नियुक्त किया जाये, जो उक्त परिषद् का पदेन सभापति भी होगा, और उसका पद और वेतन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के समान होना चाहिए । प्रशासन सम्बन्धी सिफ़ारिशों में से निदेशक का पद के बारे में सिफ़ारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है । किन्तु कठिनाई यह है कि शासी परिषद् बिना कानून बनाये गठित नहीं की जा सकती, क्योंकि संकल्प द्वारा जो परिषद् बनाई जायेगी वह सलाहकार परिषद् होगी और उसमें नियुक्तियों और उसके वित्त-प्रबन्ध में सरकार का स्पष्ट दायित्व हो जाता है । अतः शासी परिषद् कानून के अन्तर्गत ही गठित की जा सकती है । इस दृष्टि से सरकार का विचार राष्ट्रीय पुस्तकालय के सम्बन्ध में सभा में एक विधेयक लाने का है । जिसके अनुसार उक्त पुस्तकालय के लिए एक स्वशासी निकाय बनाया जायेगा । पुनर्गठन सम्बन्धी जो अनेक योजनाएं हैं, उनमें से अधिकतर से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं । किन्तु अन्तर्पुस्तकालय स्तर पर पुस्तकों आदि के आदान-प्रदान पर रोक लगाने के पक्ष में मैं नहीं हूं ? क्योंकि इससे देश के अन्य भागों में शोधकर्ता राष्ट्रीय पुस्कालय में उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाने से वंचित हो जायेंगे ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है, वह है उसे विशेषज्ञों के पथ-प्रदर्शन का न उपलब्ध होना। यदि ऐसा पथ प्रदर्शन उपलब्ध भी कराया गया तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं आड़े आ गई और उनसे लाभ न हो सका। अतः मैं सभा के सामने यह विधेयक लाया हूं जिसमें पुस्तकालय के

प्रशासन के लिए एक बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। दूसरे, पुस्तकालय के कर्मचारियों का बोर्ड के अधीन अन्तरण करना है। तीसरे, नीति सम्बन्धी मामलों पर सरकार इस बोर्ड को निदेश भी दे सकेगी। इसके अतिरिक्त वार्षिक बजट रिजर्व बैंक में जमा धनराशि और बोर्ड के लेखा-परीक्षा आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं से सम्बन्धित उपबन्ध भी विधेयक में रखे गये हैं। वस्तुतः बोर्ड के गठन पर विशेष रूप में ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें सम्बद्ध मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सचिव पदेन-सदस्य के रूप में होंगे। केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 अन्य सदस्य नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें जाने-माने शिक्षाविद, पुस्तकालय-प्रशासन में निपुण व्यक्ति होंगे। इसमें एक विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधि होगा और अन्य सदस्य ऐसा होगा जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अच्छा ज्ञान और अनुभव होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष भी इसमें एक सदस्य मनोनीत करेगा। सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक इसका सदस्य-सचिव होगा। इस बोर्ड को एक कार्यकारी परिषद् नियुक्त करने का अधिकार होगा। निदेशक इस परिषद् का अध्यक्ष होगा। इस परिषद के कुछ सदस्य बोर्ड में से होंगे और कुछ बाहर के अथवा सारे सदस्य बोर्ड में से अथवा सभी सदस्य बाहर के भी हो सकते है। इस कार्यकारी परिषद् में मुख्य रूप से विशेषज्ञ होंगे जो पुस्तकालय की देख-रेख का और संगठन का काम देखेंगे। मोटे रूप से यह राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन की योजना है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बद्ध कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस प्रस्ताव के सम्बध में मुझे श्री एच० एन० मुकर्जी का एक संशोधन मिला है यद्यपि यह देर से मिला है किन्तु मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। साथ ही मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे निर्धारित समय में ही संशोधनों का नोटिस दें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को जनमत-संग्रह के उद्देश्य से 31 मार्च 1973 तक के लिए परिचालित किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि यह उस राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन ढांचे के बारे में है जिसे हम देश में शोध और सन्दर्भ की दृष्टि से एक आदर्श संस्था के रूप में देखना चाहते हैं। किन्तु विधेयक के उपबन्धों से वांछित उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है। सबसे पहले मैं श्री एच०एन० मुकर्जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें विधेयक को जनमत-संग्रह के लिए परिचालित करने का सुझाव दिया गया है। इससे इस विषय पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिल जायेगा जिससे इस पुस्तकालय के प्रशासन में व्याप्त दोषों को दूर करने के उपाय खोजे जा सकेंगे।

विधेयक के साथ संलग्न 'उद्देश्यों एवं कारणों' के विवरण में लिखा है कि विधेयक और समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए लाया गया है। यह कथन एकदम भ्रामक है, क्योंकि इस समिति की मुख्य सिफारिशों में से कोई भी नहीं मानी गई है। एक सिफारिश जो मानी गई है, वह है पुस्तकालय के लिए निदेशक का नियुक्त किया जाना। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में पुस्तकालय की स्थिति बड़ी सोचनीय हो गई थी। वहां के कर्मचारियों में झगड़े चलते रहते थे और वहां पुस्तकों की देख-भाल बिल्कुल नहीं होती थी। वहां से पुस्तकों की चोरी तक हुई किन्तु

कोई प्रभावी कदम न उठाये गये। झा समिति के प्रतिवदन में भी इन बातों की ओर संकेत किया गया है। झा समिति की एक मुख्य सिफारिश यह है कि पुस्तकालय के लिए एक शासी परिषद् या कार्यकारी परिषद् नियुक्त की जाये, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान में दक्ष व्यक्ति रखे जायें और पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी मामले इस पर छोड़ दिए जायें। किन्तु विधेयक में व्यवस्था की गई है दोहरे प्रशासन की—एक प्रशासन-बोर्ड की ओर दूसरे कार्यकारी परिषद् की। साथ ही इस परिषद् की शक्तियों और कृत्यों का ब्यौरा विधेयक में नहीं दिया गया है अर्थात् उसे अपरिमित शक्तियां दी गई हैं। यह भी नहीं बताया गया है कि इस परिषद की नियुक्ति कौन करेगा। बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त सदस्य वाली परिषद नियुक्त करने का क्या औचित्य है। इनके सदस्यों के लिए कोई अर्हता भी निर्धारित नहीं की गई है। यदि कार्यकारी परिषद का गठन ही करना है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसके सदस्य किस प्रकार के लोग होंगे और उनके कार्य और शक्तियाँ क्या होंगी। माननीय मंत्री ने यह भी नहीं बताया है कि कार्यकारी परिषद के गठन का क्या औचित्य है। यद्यपि हम राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के रोजमर्रा के काम में दखल नहीं देना चाहते, किन्तु इतना अवश्य चाहते हैं कि उसकी बोर्ड या परिषद के संविधान के बारे में संसद कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत अवश्य बनाये।

झा समिति ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के उचित कार्यकरण के लिए समितियों या उप-समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। पुस्तकालय के लिए नियुक्त बोर्ड या परिषद को ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति का उल्लेख विधेयक में कहीं नहीं है। पुस्तकालय के कर्मचारी संगठन ने भी इसी आशय का ज्ञापन झा समिति को दिया था। सरकार ने इस पहलू की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार झा समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश की उपेक्षा कर दी गई है। नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत भी इसका उल्लेख नहीं है। यदि समितियां बोर्ड द्वारा नियुक्त भी की गईं, जैसा कि सरकार की ओर से कहा जा सकता है, तो उनको अपेक्षित विधायनी स्वीकृति प्राप्त न होगी। जहां तक झा समिति द्वारा सुझायी गई विभिन्न तकनीकी सेवाओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में भी विधेयक में कोई उपवन्ध नहीं है।

कर्मचारियों के बीच मधुर सम्बन्धों का होना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों के पारस्परिक सम्बन्ध इतने बिगड़ गए थे कि पुस्तकालय में काम का चलाना मुश्किल हो जायेगा। पुस्तकाध्यक्ष और उप-पुस्तकाध्यक्ष पर ऐसे आरोप लगाये गये थे कि वहां पर उन्होंने नियुक्तियां अनियमित रूप से की हैं और वहां भाई-भतीजावाद चलाया है। इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 87 पर उल्लेख किया गया है। किन्तु इस पक्ष पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। समिति का केवल एक सुझाव माना गया है और वह भी पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त करने के सम्बन्ध में है। किन्तु निदेशक के काम क्या होंगे, इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। कार्यकारी परिषद के कत्तव्यों का भी उल्लेख नहीं किया गया है। पुस्तकालय के कार्यकरण के सम्बंध में जो अन्य दोष बताए गये थे, उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। अतः इस विधेयक पर पुनः विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि पुस्तकालय के लिए एक ऐसा बोर्ड का गठन कर देने मात्र से समस्या हल नहीं होगी जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत किये गये सदस्य होंगे।

एक अधिनियम के अनुसार सभी प्रकाशनों का राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजा जाना आवश्यक है। वहां सभी पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए। किन्तु अब राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की स्थिति दयनीय है। वहां जो भी पाठक संदर्भ ग्रंथों का उपभोग करने जाता है, वह शिकायत करता है।

पुस्तकें वहां ठीक प्रकार से नहीं रखी जातीं। वहां से पुस्तकें चुराई गईं। किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले अधिनियम में जो दोष थे, उन्हें इस विधेयक में दूर कर दिया जाना चाहिए। जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने बताया है कि हम पुस्तकालय को उतना धन देने की स्थिति में नहीं है जितना उसे दिया जाना चाहिए: किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार के अनुसार पुस्तकालय को कुल कितने धन की आवश्यकता है और उसे कुल कितना धन दिया जाता है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है? पुस्तकालय को धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है?

विधेयक में प्रारूप सम्बन्धी कुछ असंगतियां हैं, जिनका उल्लेख करना चाहूंगा। खण्ड 10, उप खंण्ड (1) में कहा गया है कि बोर्ड की एक कार्यकारी परिषद होगी और कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या बोर्ड तय करेगा। उप-खण्ड (2) में यह कहा गया है कि ग्रंन्थालय का निदेशक कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड के सदस्यों में से अथवा बाहर के अन्य व्यक्तियों में से की जाएगी। परन्तु विधेयक में यह कहीं नहीं कहा गया है कि उनकी नियुक्ति कौन करेगा ?

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि वर्तमान कमचारियों का स्थानान्तरण बोर्ड को किया जा सकेगा। वे बोर्ड की सेवा में तब तक रहेंगे, जब तक उनकी सेवा को बोर्ड समाप्त नहीं कर देता अथवा जब तक बोर्ड उनकी सेवा शर्तों, पारिश्रमिक आदि में परिवतन नहीं करता, वर्तमान सेवा शर्तें चाल रहेंगी। यह भी व्यवस्था की गई है कि कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल सेवा शर्तों में परिवर्तन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा, परन्तु सेवा समाप्त करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार को भी कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है? केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है परन्तु सांविधिक निकायों के कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह संरक्षण प्राप्त नहीं रहेगा, क्योंकि फिर व सिविल कर्मचारी नहीं रहते।

कर्मचारियों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं श्री मुखर्जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री एच०एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : मैं चाहता हूं कि इस विधयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाये। मुझे पता चला है कि मंत्री महोदय अन्त में झा समिति की सिफारिशों पर ध्यान देने के लिए राजी हो गए और इसलिए उन्होंने यह विधेयक पेश किया है।

झा समिति का मैं भी सदस्य था और इसलिए मैं यह देखने की प्रतीक्षा कर रहा था कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है। परन्तु राष्ट्रीय ग्रंथालय के बारे में जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद के जो विचार थे, उन्हें नौकरशाहों द्वारा तैयार किय गय विधयक में अभिव्यक्ति नहीं मिल सकी है।

राष्ट्रीय ग्रन्थालय के बारे में यह पहला विधेयक है और सरकार इसे जल्दी में पारित कराना चाहती है, इसलिए ही सरकार इसे सत्र के अन्त में लाई है।

मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने झा समिति की सिफारिशों का अनकरण करने का प्रयास किया है और वह स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं।

झा समिति चाहती थी कि विद्वानों के इस राष्ट्रीय केन्द्र की उचित देखभाल की जाय। समिति का एक सदस्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव भी था और उसने इस असंगति अथवा विरोधाभास की ओर संकेत नहीं किया। झा समिति की रिपोर्ट को छापा नहीं गया और पूरी साइक्लोस्टाइल्ड रिपोर्ट को संसद सदस्यों और समिति सदस्यों तक में वितरित नहीं किया गया। सदस्य-सचिव ने विमत टिप्पणी देने के बारे में सदस्यों को कोई जानकारी नहीं दी। गलतफहमी को दूर करने के लिए अध्यक्ष को स्पेशल नोट लिखना पड़ा और उसके बाद सदस्य-सचिव ने एक और नोट लिखा और हमें वे नोट देखने को नहीं मिले।

झा समिति चाहती थी कि प्रशासनिक परिषद में विश्वविद्यालयों के प्रमुख प्रोफेसर, ख्याति-प्राप्त शिक्षाविद और शैक्षणिक रुचि वाले प्रशासक तथा वैज्ञानिक हों। प्रशासनिक परिषद की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें हों और एक तिहाई सदस्यों के स्थान पर हर साल नये सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार नें जिस प्रकार की परिषद का प्रस्ताव किया है, उसमें दस सदस्य होंगे। इस दस सदस्यों में संस्कृति, मंत्रालय के सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव, चार शिक्षाशास्त्री, एक विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधि और एक वैज्ञानिक होगा, एक सदस्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष करेगा और एक अन्य सदस्य ग्रंथालय का निदेशक होगा। सरकार द्वारा तीन या उससे अधिक संख्या में नाम निर्देशित सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय स्वरूप के ग्रंथालय को किस प्रकार संचालित किया जा सकता है ?

कुछ व्यक्तियों का यह बेहूदा आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता में होने के कारण कलकत्ता निवासी लोग इस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। कुछ लोग इसे दिल्ली स्थानान्तरित करने के इच्छुक थे। परन्तु मुझे खुशी है कि सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रंथालय को कलकत्ता में ही रखने का है।

अगर हम यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रंथालय अनुसन्धान और विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन का एक उचित केन्द्र हो, तो उसके लिए ऐसी परिषद से काम नहीं चलेगा जिसमें ऐसे सदस्य हों जो सरकार द्वारा मनोनीत हों, जिनको न तो विषय का ज्ञान हो और न ही मीटिंग में उपस्थित होने के लिए समय ही हो।

इस विधेयक में झा समिति की सिफारिशों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया गया है। विधेयक के खण्ड 13 में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को ग्रंथालय का निदेशक नियुक्त करेगी, जिसके पास विशेष शैक्षणिक अर्हताएं हों अथवा जो प्रमुख ग्रंथागारविद हो। झा समिति की सिफारिशों में यह कहा गया था कि राष्ट्रीय ग्रंथागार का निदेशक पदेन प्रशासी परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। निदेशक का चुनाव प्रशासनिक दक्षता वाले विशिष्ट विद्वानों में किया जाना चाहिए। वे पुस्तकाध्यक्ष जिनकी शैक्षिक जगत में भी मान्यता है, इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र हैं। उसका वेतन और दर्जा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के बराबर होना चाहिए।

झा समिति के समक्ष मैंने कहा था कि ग्रंथागार का यह दुर्भाग्य था कि श्री मुलाम की नियुक्ति हुई और श्री कालिया की नियुक्ति तो सर्वनाश ही थी। इसका कारण यह था कि नियुक्त किये गये लोगों में समस्याओं के प्रति वास्तविक समझ-बूझ की भावना नहीं थी। इसलिए पुस्तकाध्यक्ष को ख्याति प्राप्त शिक्षाविद भी होना चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रंथागार के भावी विकास के बारे में कोई स्पष्ट विचारधारा ही नहीं है। विधेयक में झा समिति की इस सिफारिश का भी कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय ग्रंथागार में सभी प्रादे-

शिक भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह होना चाहिए कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रंथागार सर्वोच्च संस्था हो सकती है और उसके अन्तर्गत क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ग्रंथागार हो सकते हैं। हमारे विशाल देश में एक सर्वोच्च संस्था के अन्तर्गत अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्रंथालय होने चाहिए।

इस विधेयक में इस बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं किया गया है कि ये व्यक्ति क्या कार्य करेंगे ? भारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक वहां होनी चाहिए और विभिन्न भाषाओं में विदेशों में भारत पर जो सामग्री प्रकाशित हो, उसका भी संग्रह किया जाना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक सूची का भी संग्रह किया जाना चाहिए। मूल्यवान सामग्री का पुनर्मुद्रण होना चाहिए और विश्व के अन्य देशों की सामग्री का माइक्रो फिल्म के रूप में संग्रह होना चाहिए ; इस ग्रंथागार अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक विनिमय केन्द्र के रूप में विकास किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय नहीं चाहते कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय या इसे प्रवर समिति को सोंपा जाय। झा समिति की रिपोर्ट पर तीन साल तक विचार नहीं किया गया, तो विधेयक पारित करने के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रंथागार के प्रश्न पर बड़े ध्यान से विचार किया जाना चाहिए।

झा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी थी। 1969-70 में 19,302 नई पुस्तकें ग्रंथागार में आई थीं, परन्तु 1970-71 और 1971-72 में यह संख्या घटकर क्रमशः 18305 और 17557 ही रह गई। एस्प्लेनेड स्थित समाचार पत्र अनुभाग की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं होती। कर्मचारियों और अधिकारियों की संयुक्त परिषद ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है । अगर सरकार को राष्ट्रीय ग्रंथागार में जरा सी भी रुचि है तो उसे इसकी उचित रूप से देखभाल करनी चाहिए।

मंत्री महोदय को चाहिए कि वह इस विधेयक को स्वंय वापस ले लें अथवा वह सदन को यह आश्वासन दिलाएं कि इस विधेयक को इस बारे में जनमत जानने के लिए परिचालित कराएंगे अथवा उसे प्रवर समिति को सौंपेंगे । यदि वह ऐसा नहीं करते तो मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री समर गुहः यदि मंत्री महोदय इस समय कुछ कहते हैं तो हमें अपनी बात कैसे कह सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदयः आप बाद में कह सकते हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसनः मैं माननीय सदस्यों की मांग को स्वीकार करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि इस चर्चा को कल तक स्थगित किया जाए तथा कल मैं सभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखूंगा कि इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए ।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित किया जाए" ।

श्री समर गुहः संयुक्त समिति को विधेयक सौंपे जाने के प्रस्ताव के बाद कौन सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदयः उस प्रस्ताव के बाद भी माननीय सदस्य टिप्पणियां कर सकते हैं तथा उन टिप्पणियों से संयुक्त समिति को सहायता मिल सकती है ।

श्री समर गुहः सभा की यह प्रक्रिया रही है कि संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव के बाद कोई माननीय सदस्य नहीं बोलता प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदयः आपकी यह धारणा निराधार है कि तब आपको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा । सदस्यगण अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं तथा उनसे संयुक्त समिति का मार्ग दर्शन हो सकता है । यह हो सकता है कि उक्त प्रस्ताव को बिना चर्चा किये स्वीकार कर लिया जाए किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं रहेगा ।

श्री समर गुहः उस स्थिति में न माननीय सदस्य गम्भीरता से अपने विचार व्यक्त करते हैं न सदन ही गम्भीरता से उन्हें सुनता है । अतः मेरा अनुरोध है कि कम से कम आधे घन्टे का समय और दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदयः मेरे विचार से उस स्थिति में आपके भाषण का महत्व सदन के लिये भी होगा और प्रवर समिति के लिए भी ।

श्री समर गुहः चर्चा स्थगन के बाद भी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाए । आप इस प्रकार अचानक चर्चा कैसे स्थगित कर सकते हैं । ऐसा तो कभी नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदयः आप इसे मेरा निर्णय मानिये कि आपको विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जाएगा । अब सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाए अथवा नहीं । यदि माननीय सदस्य इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मूल विधेयक के बारे में नहीं ।

श्री समर गुहः मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षा मंत्री ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव स्वीकार कर लिया है ।

महोदय, मैंने गत संसद तथा वर्तमान संसद के दौरान सदन में राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में अनेक प्रश्न उठाए थे । इस प्रकार की बातें सुनाई दी हैं कि कुछ लोग इस पुस्तकालय का प्रांतीय पुस्तकालय के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं । यह धारणा गलत है । यह पुस्तकालय 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी के रूप में बना था तथा 1948 में इसे राष्ट्रीय पुस्कालय बनाया गया था । इसमें लगभग 50 लाख पुस्तकें तथा पाण्डुलिपियां हैं । इसकी स्थापना 1836 में कलकत्ता की जनता ने की थी तथा आसुतोष मुकर्जी तथा रामदास सेन आदि ने लगभग 2 लाख पुस्तकें दी थीं । यह खेद की बात है कि गत 25 वर्षों में केन्द्रीय सरकार के केवल एक पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित की है तथा वह भी दिल्ली में । बम्बई और मद्रास में ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं बनाया गया ।

1959 में पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई गई थी । उस समिति ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था किन्तु सरकार ने उसकी सिफ़ारिशों को लागू करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । यह शिक्षा के विकास तथा अनुसंधान कार्य और प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने की अनेक बात करते हैं किन्तु सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जबकि शिक्षा और प्रतिभा के विकास के लिए इसकी अन्यन्त आवश्यकता है ।

मैं श्री मुकर्जी की इस बात से सहमत हूं किं सरकार ऐसा विधेयक किस प्रकार लाई जिसमें समुचित उपबन्ध नहीं है । कहने को राष्ट्रीय पुस्तकालय स्वायत्त शासी विकास है किन्तु उसमें 10 में से 9 व्यक्ति नामजद होते हैं । श्री कालिया के कंट्रोलिंग एजट होंगे ।

प्रो० एस० नूरुल हसनः महोदय ! चर्चा स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्य को किसी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए ।

श्री समर गुहः मैंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया है । झा समिति के प्रतिवेदन में प्रारम्भ से अन्त तक श्री कालिया के नाम का उल्लेख है ।

प्रो० एस० नूरुल हसनः यदि किसी अधिकारी का इस प्रकार नाम लिया जाएगा तो मुझे आपसे यह निवेदन करना पड़ेगा कि मेरी रक्षा कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदयः पहली बात तो यह है कि इस समय यह प्रस्ताव है कि विधेयक पर चर्चा कल तक के लिए स्थगित की जाए अथवा नहीं । आपने इस विषय से अलग बातें भी कहीं फिर भी आपकी भावनाओं को देखते हुए मैंने वह सुन ली । दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया के अनुसार सभा में किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए । कृपया इस बात का ध्यान रखिये ।

श्री समर गुहः इसके बाद झा समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर खोसला समिति नियुक्त की गयी थी । राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में तथ्यों के उद्‌घाटन का श्रेय श्री केशवन को जाता है और उसके बाद श्री मूले...

एक माननीय सदस्यः वह बार-बार अधिकारियों का नाम ले रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदयः जो रिकार्ड में आ गया वह तो आ गया अब आप किसी का नाम न लें ।

श्री समर गुहः उसके बाद 'ख' आया जो अधिकतर अनुपस्थित रहता था । (व्यवधान) उसके बाद 'ग' आया जिसने इस पुस्तकालय में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दीं । हजारों पुस्तकें चोरी चली गईं । डिप्टी लाइब्रेरियन ने यह सुझाव दिया कि पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी को रोका जाना चाहिये । तथा दोषपूर्ण प्रशासन में सुधार होना चाहिए । (व्यवधान) खोसला समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार उसे लाइब्रेरियन के पद से हटाकर केन्द्रीय सरकार पुस्तकालय का लाइब्रेरियन बना दिया गया तथा वह पद रिक्त पड़ा रहा । श्री सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदि अनेक विद्वानों ने यह मांग की कि डिप्टी लाइब्रेरियन अत्यन्त योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति है तथा उसे लाइब्रेरियन बना दिया जाए । किन्तु दुर्भाग्य से...

उपाध्यक्ष महोदयः आप विधेयक के बारे में नहीं बोल रहे हैं ।

श्री समर गुहः महोदय ! उस व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय किया गया है ।

प्रो० एस० नूरुल हसनः यदि माननीय सदस्य एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए इतने चिंतित हैं तो वह इस कार्य को और तरीके से कर सकते थे सभा का समय क्यों नष्ट करते हैं ।

श्री समर गुहः राष्ट्र के प्रतिष्ठित प्रोफैसरों, कुलपतियों और विद्वानों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया था मुझे नहीं । उस प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को वहां से हटाकर सैन्ट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बना दिया गया जहां न तो पुस्तकें हैं और न पाठक ।

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि आप उस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे कि आप उस व्यक्ति का प्रचार करना चाहते हैं । सभा का समय इस प्रकार नष्ट नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री समर गुहः उस विद्वान के साथ अन्याय किया गया है । क्या आप समझते हैं कि विश्व-विद्यालय के जिन उपकुलपतियों ने तथा प्रतिष्ठित प्रोफैसरों ने मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था वे सब उसका प्रचार कर रहे थे ।

इसके पश्चात् मेरा निवेदन है कि यह विधेयक का दृष्टिकोण नौकरशाही परक है । कुछ नौकरशाह राष्ट्रीय पुस्तकालय के भाग्य का निर्णय करना चाहते हैं ।

प्रो० एस० नूरुल हसन: यदि माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव हो कि इस पद पर सदन द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिए तब उनका यह कहना उचित है कि अमुक व्यक्ति उपयुक्त है ।

श्री समर गुहः मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह सदन राष्ट्रीय चेतना और न्याय का प्रतीक है तथा प्रत्येक सदस्य को यहां पर किसी भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिये । मैं एक विद्वान व्यक्ति के साथ किये गये अन्याय के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करता हूं ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए तो उन शिक्षा शास्त्रियों, शोधकर्ताओं तथा विद्वानों और राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों तथा लाइब्रेरी एसोसिऐशन आफ इंडिया के विचारों को ध्यान में रखा जाए ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsauor) : I agree to the proposal of the hon. Minister that the Bill should be referred to the Select Committee. Any measure for the National Library should not be taken in haste.

I would like to appeal that no member should be debarred from speaking after the motion to refer the Bill to select committee.

उपाध्यक्ष महोदयः जैसा कि मैं कह चुका हूं किसी भी सदस्य को उस स्थिति में अपने विचार व्यक्त करते नहीं रोका जाएगा । अब प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion Was Adopted

रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

RICHARDSON AND CRUDDAS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) BILL

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अन्तरण के लिए, उसके सदस्यों का रजिस्टर पुनः तैयार करने के लिए और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए

Shri R. D. Bhandare In The Chair

रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स लि० एक पुरानी इंजीनियरिंग कम्पनी है तथा साझीदार की हैसियत से इसकी स्थापना 1858 में बम्बई में हुई थी । इस समय इसकी बम्बई, मद्रास और नागपुर में तीन वर्कशाप हैं । यह एक प्रसिद्ध कम्पनी है तथा इसमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं । इस कम्पनी ने इस्पात संयंत्र, तापीय बिजलीघर, रेलवे पुल आदि बनाने में सराहनीय कार्य किया है ।

इस फर्म को हरीदास मूंदड़ा ने 1947 में खरीद लिया तथा 1949 में इसे लिमिटेड कम्पनी बना दिया गया। 1956 से इसके बारे में कुप्रबन्ध की शिकायतें मिली तथा 1957 में ज्ञात हुआ कि बहुत दिनों से कम्पनी की कोई जनरल मीटिंग नहीं हुई। कम्पनी पंजीकार के कार्यालय में लेखे भी प्रस्तुत नहीं किये तथा कई अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं किया। जीवन बीमा निगम ने, जो एक प्रमुख अंशधारी है, 1957 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में कम्पनी के निदेशकों और प्रबन्ध एजेंटों को हटाने की अपील की। 9 दिसम्बर, 1957 को कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच से पता चला है कि वित्तीय अनियमितताओं के कारण कम्पनी को 40 लाख रुपयों का घाटा हुआ। 100 लाख रुपयों की प्रदत्त पूंजी पर विशष अधिकारी के समक्ष 2,08,56,750 रुपयों के शेयर प्रस्तुत किये गये। उक्त अधिकारी ने इनमें से बहुत से दावों को नामंजूर किया तथा एक अंशधारियों का अस्थाई रजिस्टर तैयार किया। जिनके दावे रद्द किये गये उन्होंने कम्पनी पर दावा कर दिया तथा वे मुकदमें अभी न्यायालय में अनिर्णीत हैं।

चूंकि इस कम्पनी ने सरकारी परियोजनाओं के लिए अच्छा काम किया है इसलिए सरकार उसे समय-समय पर आर्थिक सहायता देती रही। सरकार ने आज तक कम्पनी को 217 लाख रुपये का गारंटी ऋण दिया है तथा 160 लाख रुपये का सीधा ऋण देने की मंजूरी दी है। सरकारी नियंत्रण के बिना अब सरकार इस कम्पनी को यह सुविधाएं नहीं दे सकती।

अंशधारियों के विवाद को हल करने के बाद ही उपयुक्त प्रबन्ध की व्यवस्था हो सकती है। यह मामले कलकत्ता न्यायालय में बहुत दिनों से अनिर्णीत पड़े हैं। लोक हित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त यही है कि कम्पनी को इसका देयता सहित अपने अधिकार में ले लिया जाए।

इस कम्पनी के पास महत्वपूर्ण आर्डर हैं तथा आशा है कि कुछ कठिनाइयों के बाद इस कम्पनी का सुधार किया जा सकता है। इसके विकास के लिए इसको आधुनिक किस्म की सुविधाएं देनी होंगी। इस उपक्रम को अधिकारण में लेने के पश्चात् इसका विकास किया जा सकता है। तथा इसको आधुनिक बनाया जा सकता है।

विशेष अधिकारी द्वारा की गई जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि कम्पनी की पूंजी में शेयरधारियों ने केवल एक करोड़ रुपया दिया था जबकि लगभग दो करोड़ रुपयों के दावे हैं।

अतः यह उचित है कि कम्पनी के वास्तविक अंशधारियों को हानि न हो। अतः अंश सम्बन्धी विवादों को शीघ्र निपटाने के लिये एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार है। अंशधारियों के दावों का निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण को उपयुक्त सहायता दी जानी आवश्यक है। अतः न्यायाधिकरण के आदेशानुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकार द्वारा भुगतान की जानेवाली राशि को प्राप्त करने के लिये एक कस्टोडियन की नियुक्ति की जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : जैसाकि विधेयक के शीर्षक में सुझाव दिया गया है, इस विधेयक में उपक्रम के आधिग्रहण की व्यवस्था है। इस कम्पनी में सबसे बड़ा झंझट अंशों का है। कुछ अंश काल्पनिक बताये जाते हैं, जिनके मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं। जब तक ये मुकदमें तय नहीं हो जाते तब तक अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।

जब तक झगड़े तय नहीं हो जाते और वास्तविक अंशधारियों की सूची नहीं बना ली जाती तब तक धनराशि का वितरण नहीं किया जा सकता। धनराशि का वितरण दायित्वों के भुगतान के

लिये किया जाना है। ये दायित्व क्या हैं? खंड 4 के अन्तर्गत सरकार सभी दायित्वों को ले रही है अतः मेरा पहला प्रश्न यही है कि सरकार कम्पनी के दायित्वों को क्यों ले रही है? कोयला राष्ट्रीयकरण के मामले में दायित्वों को लेने की कानूनी व्यवस्था नहीं थी तो इस मामले में, जबकि नियमितता अथवा जिस ढंग से दायित्वों पर खर्च किया गया सन्देह है, दायित्व क्यों लिये जा रहे हैं?

इन देनदारियों की पूर्ति 30 लाख रुपये की भारी धनराशि से करने का उपबन्ध किया जा रहा है। दूसरे यह धनराशि अंशधारियों की इच्छानुसार वितरित की जानी है। ये अंशधारी कौन हैं? क्या इस प्रक्रिया से धनराशि फिर पुराने प्रबन्धकों के पास पहुंच जायगी?

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwary in the chair

क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देगी कि यह राशि पुराने प्रबन्धकों के पास नहीं पहुंचेगी? कृपया मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस बात का स्पष्टीकरण करें।

खंड 7 में यह व्यवस्था की गई है कि कर्मचारी सरकार के आधीन नई कम्पनी के कर्मचारी होंगे और उनकी सेवायें तब तक बनी रहेंगी जब तक कि उनकी सेवायें समाप्त नहीं की जातीं अथवा जब तक कि पारिश्रमिक तथा सेवा की शर्तें समुचित रूप से नहीं बदली जाती आदि-आदि। यद्यपि कर्मचारियों को नई कम्पनी के कर्मचारी बनने से लाभ हुआ है और उनकी सेवायें अब अधिक सुरक्षित हैं, तथापि उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन करने संबंधी शक्ति सदैव के लिये क्यों ली जा रही हैं? ऐसे परिवर्तन किसी से परामर्श किये बिना भी किये जा सकते हैं। अतः केन्द्रीय सरकार सेवा शर्तों, वेतन, परिलब्धियों के मामले में कर्मचारियों को पूर्णतया अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति ले रही है। इस बात को सुनिश्चित कराने के लिये कि उनकी सेवा में बनी रहेंगी, कोई सांविधिक संरक्षण नहीं दिया गया है। इस मामले में अपनाये गये रवैये को बदलना चाहिये। हम विधेयक में मुआवजे की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी उपबन्धों का समर्थन करते हैं।

Shri R.V. Bade (Khargone): The Provisions of the bill are welcomed but this is a belated measuse. In December, 1957 an application was given by L.I.C. to Calcutta High Court alleging mismanagement in the Company. High Court appointed a special officer to go into the irregularities and mismanagement of the Company. There was a big fraud and the Government did not take any action at all. After fifteen years the Government have come forward with this bill.

Clause 8 of the Bill provides the Payment of a huge amount of Rs. 30 lakhs by the Central Government for acquisition of the undertaking. Why this provision has been made? Is it for the payment of spurious shares or for the disputes regarding the shares?

There is no provision made for the employees in this bill. It has been provided that the transfer of services of any officer of other employees from the old Company to the Central Government or to the new Company would not entitle any officer or employee to any compensation and no such claim would be entertained by any court, tribunal or other authority. Thus the doors of the Court have been closed for the employees. The employees have been deprived of the claims to which they are entitled under Industrial Disputes Act. May I know the reason for which such a provision has been made. Nothing has been mentioned about the fraud committed by the Company.

There is no provision as to who will decide the cases pending in the Court, thus the Bill is incomplete. I would request the Hon. Minister to clarify the position regarding the employees right to go to the court in the matter of the claims etc.

With these words I support the Bill because it provides for tackling in the mismanagement in the Company.

श्री तेजासिंह स्वतन्त्र (संगरूर): श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी जाये--अब गणपूर्ति हो गई है। श्री ई० आर० कृष्णन।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम): मंत्री महोदय द्वारा इस कम्पनी को नया जीवन देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये।

खंड 8 में कम्पनी के अधिग्रहण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 लाख रुपये की राशि भुगतान करने की व्यवस्था है। यह राशि किसे दी जायेगी ? कम्पनी पर दोहरे अंशों के मुकदमे चल रहे हैं और लगभग 1 करोड़ रुपये के दावे अनिर्णीत पड़े हैं। इस कम्पनी के अधिग्रहण के पश्चात इस राशि का भुगतान भी केन्द्रीय सरकार को करना पड़ेगा। कंपनी को चलाने के लिये सरकार को 1.50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करना पड़ेगा। जब इस कम्पनी को फिर से चलाने में इतनी बड़ी राशि व्यय आयेगी तब मैं यह जानना चाहता हूं कि 30 लाख रुपये की राशि का भुगतान किसे किया जायगा ? मंत्री महोदय को इस विधेयक को क्रियान्वित करते समय जागरूक रहने की आवश्यकता है। कदाचारों के लिये विख्यात इस कम्पनी में इतना बड़ा पूंजी निवेश किया जा रहा है अतः सरकार को इस कम्पनी के मामले में सचेत रहना चाहिये।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने सावधानीपूर्वक विधेयक के खंडों का अध्ययन नहीं किया है। यह विधेयक तीन उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत किया गया है। पहले यह कि यह कम्पनी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, दूसरे यह कि इसमें लगभग 2500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तीसरे यह कि कम्पनी के प्रबन्ध को सुचारू रूप से चलाने के लिये इसे अधिग्रहण करके एक नई कम्पनी का रूप देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यही इस विधेयक के उद्देश्य हैं।

विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया है। सरकार का विचार एक ओर तो अधिकरण बनाने का है जो दीर्घकाल से अनिणीत पड़े मामलों को निपटायेगा। दूसरी ओर सरकार एक कस्टोडियन बना रही है जो पुरानी कम्पनी के कार्य देखेगा क्योंकि अंशों का मामला विवादास्पद है। श्री हरिदास मूंदड़ा ने, जो इस कम्पनी का प्रबन्ध करते थे, बहुत काल्पनिक तथा दोहरे अंश जारी किये। कस्टोडियन को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह वास्तविक अंशधारियों के हितों पर ध्यान दे सकें।

सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं सरकार उपयुक्त समय पर उन पर ध्यान देगी। माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के विषय में चिन्ता व्यक्त की है। कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। हमें विदित है कि कुप्रबन्ध वाली बहुत सी कंपनियां बन्द हो गई तथा कर्मचारियों को नौकरियों से हाथ धोने पड़े।

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रिचर्डसन एण्ड क्रूड्डस लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अन्तरण के लिये, उसके सदस्यों का रजिस्टर पुनः तैयार करने के लिये और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खंडशः विचार करेंगे। इसमें कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है

"कि खंड 2 से 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 31 विधेयक मे जोड़ दिये गये।

Clause 2 to 31 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting formula, the Preamble and longtitle were added to the Bill.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अखिल भारयीय-सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक

ALL INDIA SERVICES REGULATIONS (INDEMNITY) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : इस विषय पर जब वाद विवाद हुआ था तब बहुत सी कानूनी तथा अन्य बातें उठायी गयी थीं। मामले पर विस्तार से ध्यान देने के, सदस्यों की इच्छानुसार विधेयक पर विचार स्थगित कर दिया गया था। यह सन्देह व्यक्त किया गया है कि इस विधेयक से लोगों के विरुद्ध की गयी पुरानी कार्यवाहियां नियमित हो जायेंगी तथा जो व्यक्ति सदन में नहीं हैं उनका अपने कार्यों से बचाव हो जायेगा। जो कार्यवाहियां की जा चुकी हैं हमारा तात्पर्य उन्हें समाप्त करने का नहीं है। हमारा तात्पर्य उन तथ्यों को नियमित करने से है जो सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। परन्तु कोई भी विनियम इसलिये गैर कानूनी नहीं है कि वह सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। हम उन्हें पटल पर रखने के लिये बाध्य नहीं हैं। परन्तु सावधानी बरतने के लिये हम यह विधेयक लाये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उस दिन जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब कई बातें उठायी गयी थीं। एक बात सदन के पटल पर रखे जाने के लिये आवश्यक किसी भी विनियम के बारे

में उठायी गयी थी। यदि यह मान लिया जाये कि कोई अधिकारी गलत अर्थ निकाल कर अथवा गलती से अथवा जानबूझकर कुछ नियमों का उपयोग करता है और इसके पश्चात कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर मुकदमा जीत लेता है तब यदि उस अधिकारी का बचाव किया जायगा तब पीड़ित पक्ष को कभी न्याय नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिए; भाषण मत करिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्यों ?

सभापति महोदय: : क्योंकि विधेयक पर सदस्य बोल चुके हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी: उस दिन भी हमने केवल कुछ प्रश्न ही किये थे, हम बोले नहीं थे।

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अपना वक्तव्य दे चुके हैं। मंत्री महोदय अब उत्तर देंगे। आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी: मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक की उपयोगिता क्या है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मंत्री महोदय ने आज बताया है कि जो विनियम अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत बनाये गये है उन्हें वैधता देने के लिये संसद के समक्ष रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आदेशात्मक नहीं है। जहां तक नियमों की वैधता का सम्बन्ध है यदि अभी तक सरकार को कोई कानूनी सलाह नहीं मिली है तो इस बात में किसी का संबंध नहीं है कि ये नियम संसद के समक्ष रखे गये है अथवा नहीं।

यदि सरकार को भूलचूक के कारण कुछ हर्जाना देना पड़ा है तो उस भूलचूक को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : उच्चतम न्यायालय के जिस मामले का श्री बनर्जी ने उल्लेख किया है उनका अखिल भारतीय सेवा अधिनियम विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

Shri M. C. Daga : The regulations or rules made in this connection may be laid on the table of the House.

श्री राम निवास मिर्धा: श्री बनर्जी का मामला किसी अन्य समय उठा सकते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर वाद विवाद, 'कि अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक, 1972 पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में. विचार किया जाय', जो 5 दिसम्बर, 1972 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha Divided.

पक्ष में—83	**Ayeas—83**
विपक्ष में—9	**Noes—9**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन बनाये गये कतिपय विनियमों को संसद् के समक्ष रखने में असफलता और उससे संबंधित कुछ अन्य विषयों के बारे में संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं समझता हूं कि यह विधेयक अनावश्यक है। मंत्री महोदय का कथन है कि इन विनियमों को संसद् में रखने की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक किसी विनियम की वैधता के लिए नहीं पेश किया गया। अतः यह विधि संबंधी विधेयक नहीं है। हम उनकी देनदारियों और उनसे निकलने वाले निष्कर्षों को जाने बिना हर्जाना नहीं दे सकते।

इस मामले पर 1955 से ही किसी ने ध्यान नहीं दिया है। किसी ने भी इस मामले की जांच नहीं की है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जो नियम बनाये गये है उन्हें संसद् के समक्ष रखा जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

1955 में ये विनियम जब कभी भी बनाये गये थे तभी इनको सभा पटल पर रखे हुए समझा गया था। यदि उनकी वैधता से कोई संबंध नहीं है तो उन्हें संबंधित पुस्तक में क्यों रखना चाहते है कि वे संसद के समक्ष वैध रूप से रखे समझे जायेंगे।

मंत्री महोदय को इस विधेयक के वास्तविक उद्देश्य को बताना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : इस विधेयक के रखे जाने के कारण पहले ही बताये जा चुके हैं। एक समय यह सोचा गया था कि केवल अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन नियम ही रखे जायेंगे, विनियम नहीं।

श्री आर० डी० भण्डारे : यह इसलिये है कि उच्चतम न्यायालय ने नियमों एवं विनियमों में भेद समाप्त कर दिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : हमें परामर्श दिया गया है कि भविष्य में विनियमों को भी सभा पटल पर रखा जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : किसने परामर्श दिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : ब्रिटिश ला के तथा भारतीय ला के पूर्व उदाहरण हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंनें विधेयक के उद्देश्य पहले ही स्पष्ट कर दिये हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन बनाये गये कतिपय विनियमों को संसद् के समक्ष रखने में असफलता और उससे संबंधित कुछ अन्य विषयों के बारे में संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
Lok Sabha was divided.

पक्ष में—73	**Ayes—73**
विपक्ष में —10	**Noes—10**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : विभिन्न खण्डों के बारे में कोई संशोधन नहीं है। मैं सभी को मतदान के लिन रखता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं खण्ड 2 पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वह कल जारी रख सकते हैं।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में वेंतनमानों का पुनरीक्षण*

REVISION OF PAY SCALES IN KHADI GRAMODYOG BHAVAN, NEW DELHI*

Sh. Chandrika Prasad (Ballia): In reply to unstarred question No. 3293 the Minister stated that class IV employees of Khadi gramodyog Bhavan, New Delhi were not getting Rs. 30 and Rs. 40/- as their basic pay. These employees were not getting dearness allowance etc. as recommended by second Pay Commission.

There are two types of employees-those who were engaged in trading activities and those who are regular employees. The employees engaged in trading activities worked hard. The Commission did not safeguard the interests of these employees but they are looking for those who did not work hard. The scale of pay of regular employees has been increased from Rs 30/- to Rs 70/-. This benefit should also be given to the employees engaged in trading activities.

The workers have not been given participation in management. A Parliamentary Committee may be appointed for providing justice to employees.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : क्या कारण है कि आयोग के व्यापार कार्य में लगे कर्मचारियों में और नियमित कर्मचारियों में भेदभाव किया जाता है। इन कर्मचारियों को नियमित करने के क्या कारण हैं।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : I want to know the difference between the employees concerned with trading and the regular employees. Why the employees concerned with trading are paid less.

Is it a fact that about 41 employees are getting pay between Rs. 30 to Rs 40/-. They should get the facility of minimum pay?

Are the privileges like gratuity, Provident Fund and bonus available to the employees of Khadi and Gramodyog Bhavan?

Shri M.C. Daga (Pali): Is it justified to pay to employees between Rs.40 to Rs.60/- per mensem ? Why there is difference between the pay of L.D.C. and U.D.C. and regular staff and why this is not removed?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Have the employees working in Khadi & Gramodyog Bhavan given some memoranda and if so what are their demands? Does the Government want to adopt a policy of uniform wages for different places?

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half an hour discussion.

A committee was appointed for the management of the Khadi Bhavan but no employee is represented on it. There is a lot of corruption in the commission.

Shri Sidheshwar Prasad : The allegation of Shri Kachwai against the employees of the Commission are baseless.

Shri Ramavtar Shastri : He has said for the management.

Shri Luxminarain Pandeya : Is it not a business sense? If it is why two categories of employees are engaged there?

Shri Sidsheswar Prasad : The employees working in the commission at Delhi get a minimum wage of Rs. 147/50.

Dr. Luxminarain Pandeya : The employees who came under trading community get Rs. 170/-.

Shri Sidheshwar Prasad : There is difference between Khadi Commission and Khadi Bhavan. Khadi Bhavan is different from other trading houses. The employees working there, are selected on different basis.

Khadi Commission has set up a committee for revision of pay scales of Khadi Bhavan. The committee has submitted its report, which is under consideration. I believe that the commission would consider the suggestion, given by the hon. members and also the report of the Third Pay Commission.

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Report

22वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1972/29 अग्रहायण, 1894 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday the 21st December, 1972/ Agrahayana. 29, 1894 Saka

---

MGIPRRND—54 LSS/72—Sec. III—N.S.—490.